

Joint Committee Inspection Report

In the Matter of

Original Application No.11/2022
Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh

Hon`ble National Green Tribunal Central Bench Bhopal order dated
7.02.2022

Date of Visit: 09th March 2022

Location: Ujjain, MP

Joint Committee Inspection Report in the matter of “Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh.”

Hon’ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 7th February 2022 in OA no. 11/2022 in the matter of ‘Bakir Ali Rangwala Vs State of Madhya Pradesh’ directed under Para-1, 6 and 7 as:-

1. *Issue raised in this application is encroachment on the water body / pond / public talab situated in Survey No. 1281 admeasuring around 36 bighas approximately, known as GovardhanSagar near Nagar Kot Mata Temple in the city of Ujjain. It is further alleged that the untreated water is also being discharged in the water body polluting the water quality of underground water and the pond area has also been used for commercial and construction activities.*
2. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
 - (i) *Collector, Ujjain (M.P.)*
 - (ii) *One representative from Central Pollution Control Board, (M.P.)*
 - (iii) *One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board, (M.P.)*
3. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report with the record of Survey No. 1281 as aforesaid and the nature of the land. If there is any change in the nature of the pond area, the committee may also examine the relevant orders of land use change and submit factual report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance with the above Hon’ble NGT direction, the joint committee, on 9th March 2022, visited the GoverdhanSagar located behind

Vikramaditya Cloth Market Ujjain to assess the factual status of the allegations made in the petition and collect other information sought by the Hon'ble NGT. The joint committee comprised of the following officers:

1. Shri Santosh Tagore, ADM, Ujjain
2. Shri Hemant Tiwari, Regional Officer, MPPCB Ujjain
3. Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B' Regional Directorate, CPCB, Bhopal

During the visit Sh. A.D. Sant SSO, Dr Deepak Kale, Scientist from Regional office Ujjain and Revenue Inspector and Patwari of the circle were also present.

The facts observed during the site visit (dated 09/03/2022) of the Committee are as follows: -

1. GPS locations of the site are recorded using a mobile-based GPS application. The location of Govardhan Sagar (further mentioned as Pond) and places around the pond that the committee visited are marked on the Google Map (**Annexure-1**), and photographs taken during the inspection are attached (**Annexure-2**).
2. Committee observed that the Pond is located at (23⁰.11'.53.37"N, 77⁰.39'.21.33"E) at the backside of Vikramaditya cloth market Ujjain. On the west side of the pond, a road exists—the Vikramaditya cloth market is located on the Southside of the pond just adjacent to the pond boundary. The residential colony exists on the north and eastern side of the pond.
3. At the time of visit, no solid waste, garbage, or floating waste material was observed in the pond; however, a large quantity of municipal solid waste and water hyacinth recently weeded out from the pond was found lying on the boundaries of the pond. Ujjain's religious leaders

recently organised a massive clean-up campaign to conserve the Govardhan Sagar.

4. The Committee observed a thin water stream emerging from inside the Patel Nagar area, joining the pond, a surface run-off from the residential area.
5. In the Vikramaditya cloth market, around 300 shops and residential houses exist, and the domestic wastewater is collected in a sump. It is pumped to the Fazalpur drain, further drained in Somwarinala. Septic tanks were constructed on the backside of the residential houses, and the overflow of this tank was also collected in the main sump. At the time of the small visit quantity of the wastewater was found overflowing from the sump, which is further drained out in the pond.
6. To assess the pond's present water quality, two samples have been collected, i.e. pond in front of Charitable hospital, Nikaschouraha and the pond at the backside of Nagarkotki rani temple. The analysis report is enclosed as per **Annexure no. 3.**
7. To assess the present groundwater quality due to pond water's percolation, two samples have been collected, i.e. handpump near Bhuvaneshwari temple and Ganesh tekri Ujjain. The analysis report is enclosed as per **Annexure no. 4.**
8. The wastewater sample of the overflow sump of Vikramaditya cloth market was also collected. The analysis report is enclosed as per **Annexure no. 5.**
9. The Ujjain municipal corporation also submitted the Govardhan Sagar lake area plan under the sewerage project. A map shows the network of sewerage pipelines and open sewers flowing into the Govardhan Sagar lake. These sewers from areas around the Govardhan Sagar lake, i.e., from Patel Nagar, Vikramaditya market,

Fazalपुरa, Nagar Kot Mata mandir, Charitable hospital main road is flowing into the GovardhanSagar lake. The above area is considered in the DPR of the phase-1 underground sewerage scheme. Afterthe construction of this proposedpipeline,the open channels from the sewer around Govardhan Sagar lake will beconnected with the main trunk line. The report is enclosed as **Annexure -6 A.**

10. Smart City Ujjain vide its resolution dated 18.01.2021 (Agenda item 66) has recognized the problem of encroachments and other development around Govardhan Sagar, one of the major water body among famous sapt sagar of Ujjain. The Smart City Ujjain has resolved to take up the project for the rejuvenation of Govardhan Sagar lake, conserving the environment and its development as a recreational city, as one of the interventions of the Ujjain Smart City. The Board of the Smart City Ujjain has resolved to accord in-principle approval for Rejuvenation and Development of Govardhan Sagar Lake, Ujjain. The estimate for this work is around 13 crores. The resolution of the Board of Smart City Ujjain and the estimate of the work is enclosed as **Annexure 6-B.**

Information regarding Encroachment of Govardhan Sagar

As per information received from Tehsildar Ujjain regarding encroachment and area of Govardhan Sagar (**enclosed as per Annexure no. 7**) vide letter No. 339 dt. 21/03/2022, the present status of survey No. 1281 (Total Area 7.716 Hact.) is as follow:-

- (i) Area under waterbody- 4.560 Hact.
- (ii) **Area of encroachment in the form of houses, Shop & Temporary Huts- 1.150 Hact.**

- (5)
- (iii) The area of waterworks office & Road on Govt. land- 0.313 Hact.
 - (iv) The remaining open area is covered as ponds banks, hillocks & shrubs -1.693 Hact.

Status of Govardhan Sagar per Revenue Record

(A) As per the oldest available record of the map of the year 1899, the said survey No. 2279/1 at the relevant point of time was recorded as a pond/water body. A true copy is filed as **Annexure -8**.

(B) That, after that, as per the Khasra of 1911, the said land was recorded as Talaab, admeasuring 34 Biswas, at Survey No.1205. A true copy is filed as **Annexure-9**.

(C) From the record, it appears that the said tank is under public ownership through Municipal Committee Ujjain, also shown in the revenue records of the year 1927-28 in the name of Milkiyat Sarkar Municipal Committee, Ujjain as the Survey No. 1281. After that, in the year 1950-51 the said survey number was split into Survey Nos. 1281/1, 1281/2, 1281/3 and 1281/4 and the said talab was recorded in the name of some private persons erroneously and possibly fraudulently without any legal or valid order of the revenue authorities. Thereafter, the said parcels of land were transferred to various other persons. The fact of fraudulent changes in the revenue records in respect of the tank is borne from a report dated 11.12.2020 written by the Tehsildar to the Sub-Divisional Officer in respect of the said survey number and tank. A true copy is filed as **Annexure -10**.

(D) That, from the aforesaid, it appears clearly that from 1950-51 onwards, the said talab, which is primarily under the ownership and management of the Municipality and was placed under protection

through various circulars and orders of the erstwhile Gwalior Riyasat, have been transferred fraudulently and without any proper decree of court or orders of the competent authorities in favour of private persons in clear violation of the provisions of the law as applicable at the relevant time, and ever since before.

(E) In the present condition, survey no. 1281 total area 7.716 hec. is divided in 20 sub-survey numbers in revenue record and area 7.403 hec is mentioned as private ownership and remaining 0.313 hec is Govt. ownership.

(F) That, it is pertinent to mention here that the Gwalior Municipalities Act, 1911 came into force and as per Section 81(b) of the said act, all the open talaabs were deemed to be under public control and were vested into the management and possession of the Municipality therein. A true copy of the relevant extract is filed herewith as **Annexure -11**

(G) That, thereafter, as per the gazette notification of the Gwalior Riyasat, Revenue Department dated 25.06.1925, prohibition was placed upon the cultivation of various crops and use of talaab water for irrigation and other purposes. Detailed guidelines were laid down in respect of the Municipality's role. Also, revenue officers were authorised to take action against the persons using the talaab in violation of the said notification and prohibitions. In the said gazette notification the Goverdhan talaab is named as Nakhasa and has been recognised for its religious and ecological significance and has been placed under protection by the erstwhile government. A true copy of the Gazette Notification dated 25.06.1925 is **Annexure-12.**

(H) That, after the 1925 gazette publication, in settlement took place in 1927, wherein it has been recorded explicitly that the talaabs which are situated in Kasba haja are under the ownership of milkiyat sarkar and

possession of the Municipal Committee. Here clearly, the name of Municipal Committee has been recorded in respect of the said Govardhan Sagar pond. A true copy of the settlement of 1927 is **Annexure -13**

(I) That, it is also pertinent to mention that many a persons who have unauthorisedly occupied the said talab on the basis of revenue entries or otherwise have attempted to legalise their possession by way of filing suits before the competent civil court, but till now have been unsuccessful in getting any relief. Anil S/o Munnalal Joshi filed one such suit, and the civil suit filed by him RCS 3A/2019 has been dismissed vide judgment dated 19.07.2019 by the trial court holding in para 29 and 31 of the judgment that without any order of competent authority the name of the plaintiff's father was mutated in place of Milkiyat Sarkar. It has also been held that the said land was always talaab, and nobody can claim any ownership or bhumiswami rights over a talab. A copy of the judgment and decree dated 19.07.2019 is **Annexure -14.**

Status of Govardhan Sagar and Land Use as per Town & Country Planning Department

As per the information collected from Joint Director, Town & Country Planning Ujjain vide their letter no. 700 dated 07.04.2022 regarding Govardhan Sagar, the information is as follows: -

(A) In relation to the letter referred to in the above subject, it is informed that according to the adopted Ujjain Development Plan 2021 (with effect from 16.06.2006 publication in the Gazette), no. 17 of paragraph 2.15 has been mentioned in the development and protection of water sources. Govardhan Sagar has been mentioned at number 4 of Table 2-Sa-4 to Sapta Sagar.

Ujjain Development Plan 2021 (with effect from 16.06.2006 publication in the Gazette), no. 17 of paragraph 2.15, number 4 of Table 2-Sa-4 to Sapta Sagar (English translation from original Hindi Text)

no	Details	situation	Status of Sagar	Reasonsof pollution	Effect on the Sagar	Possibility of improvement
4	Govardhan Sagar	East of the Nikasa and on the south-west of Nagarkot's Rani Devi Budhwaria intersection and Ankpat road.	water catchment area (Cleaning of main channels supplying water to the Sagar)	-filling of the Sagar -To use as a garbage dumping site -Use as a toilet by the surrounding population - Massive construction of permanent nature	-Water quality is very poor -Breeding ground of various diseases - mosquitoes	-Cleaning the sources supplying water to the Sagar - Improving water ecology through fish farming. - Improvement in the sewerage system of the surrounding population. In future, there must be a ban on any construction or filling of the Sagar.

Remarks: - The study of Sapt Sagar suggest that the basic structure is changing and area is reducing due to the surrounding land use. Wherever there has been a soil erosion in the embankment area of the Sagar, it should be prevented. The ecological changes taking place in these water sources should be informed to the adjacent rural areas and the Abadi so that they can be conserved properly. And these religious and cultural heritage of Ujjain city should continue to exist. It will be necessary to bring 30 meters green belt around Sapta Sagar.

(B) In the integrated Ujjain development plan 2021 (effective from 16.06.2006) land use of survey number 1281 of Govardhan Sagar is kept as a reservoir and 300 meters around Govardhan Sagar is kept as Green Belt. The Relevant point number -17 of Paragraph-2.15 of Development Plan 2021 is Development and Protection of Resources.

(C) It is very clear that Govardhan Sagar is a pond of religious and historical value and efforts have been made in the Master Plan of Ujjain with effect from 2006 to conserve and preserve the land as a water body. However, some private persons have erroneously and possibly fraudulently got the land entered into the land records (details given in the preceding pages) and have tried to develop the land for commercial and residential activities. Indeed, one Bhanushali Grah Nirman Cooperative Society got a colony layout approved on the site of the water body on survey number 1281/1/1 (enclosed). Further information regarding commercial and residential use of survey number 1281 related to Govardhan Sagar is as follows -

- The application of Bhanushali Grah Nirman Cooperative Society Ujjain was received on 15.03.1987, which was received by this office's inward number 4435 dated 15.12.1987.
- The land survey number 1281/1/1 area 5.322 located in Ujjain town was proposed for residential use in the Ujjain development plan 1991. According to the technical analysis report in the T&CP office, the land in question is under residential use according to the development plan map, and Govardhan Sagar was initially earmarked for educational use as per clause 14.34 of the English book number 250 of the development plan 1991. But if no educational institution is established here in five years, then it is proposed to be developed as a leisure centre.
- “In such a situation, what should be considered as land use of the land in question”, this remark is mentioned in the note sheet of the T&CP on page no 1.

- In this regard, guidance from the Director, T&CP was sought vide the official letter no. 222 dated 18.01.1988. The Director did not give any guidance in this regard within the stipulated time period. The matter was to be resolved within the stipulated period of 60 days, therefore, considering the color map of the Ujjain Development Scheme 1991 as the basis, permission was issued by the official letter no. 728-734 dated (02.03.1988) assuming residential land use.
- Application was received regarding extension of the approved layout on 13.02 1989, which was extended vide letter no. 673 dated 02.03. 1989. The letter is available in the file, but the file and the note sheet is not available. Letter no. 1440 / Namani / 93 Ujjain dated 19.07.1990 is registered in the outgoing register but is not available in the file. In the said letter, it has been written that it is not appropriate to extend the time period of the layout as per the instructions received by from Director City and Village Investment Bhopal, 268/CTC/90 Bhopal dated 06.07.1990 on following grounds:-

1. The land in question is part of the existing reservoir which is famous as Govardhan Sagar.
2. Reservoir is of Historical and Religious Importance and on consideration of associated public sentiments it is important to keep it intact.

3. It is not possible to develop for residential use due to the presence of a reservoir at the present site.


Therefore, on the basis of the above facts, the extension of the time period of the layout in question is refused.

BhanushaliGrahNirman Co-operative Society Limited, Ujjain preferred appeal before the Commissioner, Ujjain Division. Commissioner Ujjain vide order dated 17.06.91 in the case number101 / 89-90 Appeal, cancelledthe letter number 1440 dated 19.07.1990 and the case was reverted with the direction that the case be disposed as per the law after giving the opportunity of hearing to the appellant BhanushaliGrahNirman Samiti and taking evidence etc. on the facts of the case. The office does not know what action was taken after the said order of the commissioner. The said file is not available in the official records. The report received from the Assistant Director, Town & Country Planning, Ujjain is enclosed as per Annexure no. 15)


(Santosh Tagore)
ADM, Ujjain


(Hemant Tiwari)
Regional Officer, MPPCB, Ujjain


कलेक्टर
जिला उज्जैन (म.प्र.)


(DrAnoopChaturvedi)
Scientist-B, CPCB-RD-Bhopal



Location image from Google

Water sampling points

Code in map	Location details
01	pond in front of Charitable hospital, Nikaschouraha
02	pond at Nagarkotki rani temple
03	handpump near Bhuvaneshwaritample
04	Hand pump Ganesh tekri.
05	Overflow sump of Vikramaditya cloth market

Photograph of the visit









REGIONAL LABORATORY

M. P. POLLUTION CONTROL BOARD

17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001

Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984

E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 1372/2022

TEST REPORT

Sample from :- Goverdhan Sagar in front of Charitable Hospital, Nikas Chauraha, Ujjain
 Description of Sample :- Pond water
 Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	09-03-22	Sample Volume- 2 Litre
Date of Receipt	09-03-22	Plastic bottle 2 litre marked "1"
Start of Analysis	09-03-22	Collected by :- Mr. Anup Chaturvedi, Scientist - B, CPCB Bhopal
Date of Completion of Analysis	15-03-22	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist

S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	8.32
2	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B	1 to 20000 micromho/cm	3316
3	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl-B	5 to 50000 mg/l	532
4	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	1092
5	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	780
6	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	486
7	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	294
8	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	2350
9	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	32
10	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	2318
11	B.O.D.(3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025,P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	1 to 50000 mg/l	38
12	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	70
13	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	11.86
14	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.018
15	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	1.12
16	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method ,4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 20 mg/l	1.53
17	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-E	1 to 5000 mg/l	152.6
18	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	356
19	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	8.32
20	*Total Coliform	MPN/100ml	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	>1600
21	*Fecal Coliform	MPN/100ml	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	920

INDICATION : □ PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-

1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.
4	ND - Not Detected, BDL- Below Detectable Limit

Note:-

- (1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain
- (2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.
- (3) The result relate only to the sample tested.
- (4) Sample received in sealed condition.



(A.D. Sant)

Senior Scientific Officer

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
 Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984
 E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 1374/2022

TEST REPORT

Sample from :- Govardhan Sagar back site of Nagarkot ki Rani Temple, Ujjain
 Description of Sample :- Pond water
 Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	09-03-22	Sample Volume- 2 Litre
Date of Receipt	09-03-22	Plastic bottel 2 litre marked "3"
Start of Analysis	09-03-22	Collected by :- Mr. Anup Chaturvedi, Scientist - B, CPCB Bhopal
Date of Completion of Analysis	15-03-22	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist

S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	8.24
2	Specific Conductance	micromho/cm	APHA 23rd edi. 2017, By Conductivity Meter 2510-B	1 to 20000 micromho/cm	3374
3	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl--B	5 to 50000 mg/l	540
4	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Titrimetric Method 2320-B	10 to 1000 mg/l	1160
5	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Method 2340-C	10 to 5000 mg/l	792
6	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, EDTA Titrimetric Mehod 3500-Ca-B	5 to 5000 mg/l	502
7	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Calculation Method 2340-B	5 to 5000 mg/l	290
8	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	2400
9	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	38
10	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	2362
11	B.O.D.(3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025,P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	1 to 50000 mg/l	38
12	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	80
13	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Phenate Method 4500-NH3F	0.1 to 200 mg/l	11.72
14	Nitrite as NO ₂ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Colorimetric Method 4500-NO2-B	0.002 to 5 mg/l	0.016
15	Nitrate as NO ₃ ⁻ -N	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, UV Spectrometer Method 4500-NO3-B	0.1 to 100 mg/l	1.24
16	Phosphate as PO ₄ ³⁻ -P	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Method ,4500-PD-Stannous Chloride	0.1 to 20 mg/l	1.62
17	Sulphate as SO ₄ ²⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Turbidimetric Method 4500-E	1 to 5000 mg/l	131.4
18	Sodium as Na	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-Na-B	5 to 1000 mg/l	342.6
19	Potassium as K	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Flame photometer Method 3500-K-B	1 to 200 mg/l	7.94
20	*Total Coliform	MPN/100ml	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	>1600
21	*Fecal Coliform	MPN/100ml	APHA 23rd edi. 2017, Standard Method	--	540

INDICATION : <input type="checkbox"/> PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-		Note:-
1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.	(1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain
2	Standards prescribed in Enviroment (Protection) Rules 1986.	(2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.	(3) The result relate only to the sampale tested.
4	ND - Not Detected, BDL- Below Detectable Limit	(4) Sample received in sealed condition.


(A.D. Sant)
 Senior Scientific Officer

M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
 (Permanent Facility)

Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984

E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 1375/2022

TEST REPORT

Sample from :- Handpump water sample near Bhuvaneshwari Temple, Nagar Kot ki Rani, Ujjain

Description of Sample :- Underground water

Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection		09-03-22	Sample Volume- 2 Litre		
Date of Receipt		09-03-22	Plastic bottle 2 litre marked " 4 "		
Start of Analysis		09-03-22	Collected by :- Mr. Anup Chaturvedi, Scientist - B, CPCB Bhopal		
Date of Completion of Analysis		15-03-22	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist		
S.No.	Characteristic	Unit	Indian Standard Drinking Water Specification (Second Revision) IS 10500 : 2012		Result
			Requirement (Acceptable Limit)	Permissible in the Absence of Alternate Source	
1	Colour	Pt.Co.Sc.	--	--	Colourless
2	Odour	--	--	--	Odourless
3	pH	pH Unit	6.5-8.5	No relaxation	7.44
4	Specific Conductivity	µMhos/cm.	--	--	2052
5	Total Solids	mg/l	--	--	1446
6	Suspended Solids	mg/l	--	--	8
7	Total Dissolved Solids	mg/l	500	2000	1438
8	Chloride as Cl	mg/l	250	1000	330
9	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	200	600	576
10	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	200	600	468
11	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	--	--	294
12	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	--	--	174
13	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	0.5	No relaxation	0.11
14	Nitrite as NO ₂ -N	mg/l	--	--	0.003
15	Nitrate as NO ₃	mg/l	45	No relaxation	18.96
16	Phosphate as PO ₄ --P	mg/l	--	--	BDL
17	Sulphate as SO ₄	mg/l	200	400	29.4
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	--	--	10
19	B.O.D. (3 Days 27 ^o C)	mg/l	--	--	1
20	Sodium as Na	mg/l	--	--	20.2
21	Potassium as K	mg/l	--	--	1.4
22	*Total Coliform	MPN/100ml	--	--	8.2
23	*Fecal Coliform	MPN/100ml	--	--	<1.8

ND - Not Detected, BDL- Below Detectable Limit

(A.D. Sant)

Senior Scientific Officer

M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
(Permanent Facility)

Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984
E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 1376/2022

TEST REPORT

Sample from :- Handpump water sample Ganesh Tekari, Nagar
Kot Ki Rani, Ujjain
Description of Sample :- Underground Water
Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection		09-03-22	Sample Volume- 2 Litre		
Date of Receipt		09-03-22	Plastic bottle 2 litre marked " 5 "		
Start of Analysis		09-03-22	Collected by :- Mr. Anup Chaturvedi, Scientist - B, CPCB Bhopal		
Date of Completion of Analysis		15-03-22	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist		
S.No.	Characteristic	Unit	Indian Standard Drinking Water Specification (Second Revision) IS 10500 : 2012		Result
			Requirement (Acceptable Limit)	Permissible in the Absence of Alternate Source	
1	Colour	Pt.Co.Sc.	--	--	Colourless
2	Odour	--	--	--	Odourless
3	pH	pH Unit	6.5-8.5	No relaxation	7.32
4	Specific Conductivity	µMhos/cm.	--	--	4116
5	Total Solids	mg/l	--	--	2898
6	Suspended Solids	mg/l	--	--	12
7	Total Dissolved Solids	mg/l	500	2000	2886
8	Chloride as Cl	mg/l	250	1000	672
9	Total Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	200	600	568
10	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	200	600	610
11	Calcium Hardness as CaCO ₃	mg/l	--	--	344
12	Magnesium Hardness as CaCO ₃	mg/l	--	--	266
13	Ammonical Nitrogen as NH ₃ -N	mg/l	0.5	No relaxation	0.216
14	Nitrite as NO ₂ -N	mg/l	--	--	0.003
15	Nitrate as NO ₃	mg/l	45	No relaxation	30.38
16	Phosphate as PO ₄ --P	mg/l	--	--	0.012
17	Sulphate as SO ₄	mg/l	200	400	134.4
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	--	--	20
19	B.O.D. (3 Days 27 ⁰ C)	mg/l	--	--	1.4
20	Sodium as Na	mg/l	--	--	76.2
21	Potassium as K	mg/l	--	--	1.7
22	*Total Coliform	MPN/100ml	--	--	10
23	*Fecal Coliform	MPN/100ml	--	--	<1.8

ND - Not Detected, BDL- Below Detectable Limit


(A.D. Sant)

Senior Scientific Officer

REGIONAL LABORATORY
M. P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARAT PURI, UJJAIN-456001
 (Permanent Facility)
 Phone -0734-2525281,2510984 FAX-0734-2510984
 E-mail- rlmppcbujain@gmail.com

Report No. 1373/2021

TEST REPORT

Sample from :- Nallah water V. D. Market Society, Fajalpura, Ujjain
 Description of Sample :- Nallah water before mixing to Govardhan Sagar
 Reference :- As per Monitoring Package 2019-20 / Payment Basis/Complaint
 Sampling Method :- APHA, 23rd Edition, 1060

Date of Collection	09-03-22	Sample Volume- 2 Litre			
Date of Receipt	09-03-22	Plastic bottle 2 litre marked "2"			
Start of Analysis	09-03-22	Collected by :- Mr. Anup Chaturvedi, Scientist - B, CPCB Bhopal			
Date of Completion of Analysis	15-03-22	Analysed by :- Mr. Devendra Solanki, Chemist			
Observation Turbid, liquid with unpleasant odour.					
S.No.	Parameters	Unit	Test Method	Range of testing	Result
1	pH	pH Units	APHA 23rd edi. 2017, Electrometric Method 4500-H+B,	1 to 14 pH Unit	7.46
2	Total Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 B	10 to 100000 mg/l	1584
3	Total Dissolved Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 C	10 to 100000 mg/l	1462
4	Suspended Solids	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Gravimetric Method 2540 D	5 to 1000 mg/l	122
5	Chloride as Cl ⁻	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Argentometric Method 4500-Cl--B	5 to 50000 mg/l	232
6	B.O.D. (3 Days 27°C)	mg/l	IS 3025, P-44, 1993 (3-Day B.O.D. Test)	1 to 50000 mg/l	60
7	Chemical Oxygen Demand	mg/l	APHA 23rd edi. 2017, Open Reflux Method 5220-B	5 to 100000 mg/l	130
INDICATION : □ PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO-			Note:-		
1	Standards prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25-03-1988.	(1) The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Laboratory, M.P. Pollution Control Board, Ujjain			
2	Standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986.	(2) No Statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.			
3	The Tests mark with an * are not accredited by NABL.	(3) The result relate only to the sample tested.			
			(4) Sample received in sealed condition.		


 A.D. Sant

(Senior Scientific Officer)

UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION, UJJAIN

Letter No: - 32

Date - 21.3.2022

To,

The Hon'ble Collector

Ujjain (M.P)

Sub. – Goverdhan Sagar Lake area plan under Ujjain Sewerage Project-reg

Ref. – 1) NGT Bhopal case no. 11/2022

2) Your office letter no. 2293 dtd. 10.03.2022

Respected Sir,

This is with reference to the above mentioned subject and references, we would like to inform you that in Ujjain city under the government of India Scheme AMRUT (ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION) Phase-1 of underground sewerage project is in progress which covered a laying of 440 km sewerage line, construction of 92.5 MLD sewerage treatment plant, 92.5 MLD Main pumping station and 15 km Trunk Main. After construction of all components of project open sewer flowing in several water bodies like River Kshipra, Rudrasagar Lake, Goverdhan Sagar Lake etc. will be channelized through underground sewerage pipe line and same will be treated at under construction 92.5 MLD STP.

A map is enclosed showing network of sewerage pipe lines and open sewer flowing into the Goverdhan Sagar Lake. The sewer from area's around the Goverdhan Sagar Lake i.e. from Patel nagar, VD market, Fazal Pura, kot mata Mandir, Charitable hospital main road is flowing into the Goverdhan Sagar Lake. The above area is considered in DPR of Phase-I of underground sewerage scheme. After laying of this

Open line & their connectivity with the trunk main line, The open channels will be will be free from sewer around Goverdhan Sagar Lake, only surface water will flow into drains.

Current status of Sewerage Project

S.No.	Name of Component	Unit	BOQ	Progress % wrt BOQ	Progress %
1	Trunk Main	Km	15.10	9.70	64.67
2	Network	Km	439.00	222	50.45
3	Sewage Pumping Station	%	100	45.70	54.30
4	Rising Main	Rmt	3520	3093	87.84
5	Sewage Treatment Plant (92.5 MLD)	%	100	90.60	90.60

Encl: - Drawing of sewer network of Goverdhan Sagar Lake periphery

Superintending Engineer (AMRUT)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain, (M.P.)


Letter No: - /AMRUT/2016

Date - 21.3.22

Copy to:- 33

- 1) Commissioner UMC, Ujjain (M.P) for kind information.
- ✓ 2) Regional officer MPPCB Ujjain (M.P) for necessary action.

Superintending Engineer (AMRUT)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)



Handwritten signature

Superintending Engineer
AMRUT
Municipal Corporation Ujjain

UJJAIN SMART CITY LIMITED

उत्कृष्ट उन्नत उज्जवल उज्जैन



क्रमांक :- 257

उज्जैन, दिनांक : 18/01/2022

प्रति,

श्री अति प्रसाद,
अपर कलेक्टर,
जिला उज्जैन

विषय - अभिलेखों की सत्यापित/प्रमाणित प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ :- कलेक्टर, जिला उज्जैन का पत्र क्रमांक स्टेना/07/2022 दिनांक 17/01/2022

विषयवस्तु Accord in Principal Approval for Rejuvenation and Development of Goverdhan Sagar Lake, Ujjain के सम्बन्ध में कार्यालय में उपलब्ध निम्नानुसार अभिलेखों की सत्यापित प्रति आपकी ओर सादर प्रेषित है।

1. Copy of USCL Board meeting 19K Dated 18.01.2022 Agenda #66.
2. Copy of Project Plan

सालम्न - उपरोक्तानुसार।

Dharmendra Verma
Superintending Engineer
Ujjain Smart City Limited
अधीक्षक यंत्री

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

उज्जैन, दिनांक - 18/01/2022

पृष्ठांकन क्रमांक :- 258

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कलेक्टर महोदय को अवगत कराये जाने हेतु।

2. कार्यालय कलेक्टर, जिला-उज्जैन कार्यपालक निदेशक, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर सादर सूचनाय प्रेषित।
(निज सहायक शाखा)

शाखा Add. Coll.
दिनांक 07/03

Dharmendra Verma
Superintending Engineer
Ujjain Smart City Limited

निज सहायक

कलेक्टर
जिला-उज्जैन

Email : ujjainSMARTCITY@gmail.com

Contact : 0734 2525856

Mela Karyalaya, Kothi Road, Ujjain.

Madhya Pradesh, India. 456001

HELD AT ON TIME

FURTHER RESOLVED THAT Executive Director of the Company be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be necessary in this regard.

65. TO ACCORD IN PRINCIPLE APPROVAL OF WORK AND EOI FOR DESIGN, PROCURE, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, OPERATION AND MAINTENANCE OF DYNAMIC RGB LED/MONOCROME FACADE ILLUMINATION OF VARIOUS MONUMENTAL STRUCTURES OF UJJAIN

The Chairman informed the Board that Dynamic RGB LED/MONOCROME Façade Illumination will be smart lighting features with all modern amenities etc. for Various Monumental Structures of Ujjain. The theme/color scheme for each monument to be based on mythological, historical, cultural, and urban heritage of related monument and the city of Ujjain.

The Board has discussed the matter and unanimously passed the following resolution:

"RESOLVED THAT the Board be and is hereby accords In principle approval of work and EOI for "Design, Procure, Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of Dynamic RGB LED/MONOCROME Façade Illumination of Various Monumental Structures of Ujjain under ABD/PAN City" and also approves to proceed for RFP and project execution accordingly.

FURTHER RESOLVED THAT Board be and is hereby take note and ratify EOI floated.

FURTHER RESOLVE THAT the Board be and is hereby authorized Executive Director of the company to do all such acts, deeds and things as may be necessary in this regard.

66. TO ACCORD IN PRINCIPLE APPROVAL FOR REJUVENATION AND DEVELOPMENT OF GOVARDHAN SAGAR LAKE, UJJAIN

The Chairman informed the Board that Govardhan Sagar lake is one of the major water body among famous Sapta Sagar of Ujjain. It is situated on Anapat Road and near Patel Colony at Ujjain city. Due to encroachments and other developmental works in and around the catchment area, letting of wastewater discharge, the current situation of the lake is very pathetic. It has been decided to take-up the the project for rejuvenation of Govardhan Sagar lake, conserving the environment and its development as a recreational city, as one of the interventions of the Ujjain Smart City.


Project is envisioned on the following:

- 1. Rejuvenation of Govardhan Sagar lake

[Handwritten signature]

CHAIRMAN'S INITIALS [Handwritten initials]

Dharmendra Verma
Superintending Engineer
Ujjain Smart City Limited



HELD AT ON TIME

- Dredging, pitching, etc
- 2. Measures for
 - environmental conservation and sustainable water quality/level
 - prevention of wastewater inflow
 - Increase collection of rainwater
- 3. Landscaping works including gazebos
- 4. Construction of lake boundary, kiosks, cafeteria, pathways, parking, public amenities and other ancillary works.

The estimated cost of above work is Rs 13.00 Cr.

The project is submitted for approval of the Board.

The Board has discussed the matter and unanimously passed the following resolution:

***RESOLVED THAT** the Board be and is hereby accords in-principle approval for Rejuvenation and Development Of Govardhan Sagar Lake, Ujjain:

FURTHER RESOLVED THAT Executive Director of the Company be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be necessary in this regard.

67. TO CONSIDER THE REQUEST OF M/S VIJAYWARGI ENGINEERS PVT FOR RECONSIDERING TERMINATION ORDER FOR INTERIOR WORKS AND FURNITURE WORK FOR INCUBATION CENTRE AT MELA OFFICE, UJJAIN INCLUDING DLP FOR 3 YEARS

The Chief Executive Officer informed that the tender for interior works for the proposed Incubation Center at Mela Office, Ujjain, had been accepted for Rs 1,53,61,180 against the probable cost contract of Rs 1,70,11,274 (9.7% below) with a contract duration of 6 Months. The work order was issued vide USCL letter No 766 dated 24.06.2019 with the intended date of completion as 23.12.2019.


Looking to substantial pending work and to keep the contract live, the provisional time extension was granted upto 29.02.2020, vide USCL letter No 27 dated 03.01.2020, then further upto 30.04.2020, vide letter dated 03.03.2020.

Looking at poor progress of the contractor a 'Notice for Slow Progress' along with provisional time extension till 31.08.2020, was issued vide USCL Letter No 1061 dated 22.06.2020.

Since no substantial improvement was reflected on site, a "Show cause Notice for termination of Contract" was given to contractor vide USCL letter No 1801 dated 09.09.2020 with the directions to take all necessary steps and mobilize additional resources to take corrective actions and expedite the progress to complete the pending works by 31.08.2020.



CHAIRMAN'S INITIALS

Dharmendra Verma
Superintending Engineer
Ujjain Smart City Limited



SMART CITY LIMITED UJJAIN					
BLOCK COST OF DEVELOPMENT FOR GOVERDHAN SAGAR LAKE UJJAIN					
S. No.	Head	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Clearing jungle	sqm	205.36	₹ 341.00	₹ 70,027.76
2	RCC Frame structure civil work	sqm	528	₹ 18,500.00	₹ 97,68,000.00
3	Cement concrete pavement road and Parking Area	sqm	3200	₹ 2,500.00	₹ 80,00,000.00
4	Footpath with paver block	sqm	1850	₹ 2,600.00	₹ 48,10,000.00
5	Strom water drain	Rm	940	₹ 4,500.00	₹ 42,30,000.00
6	Boundary with Chain-link Fencing	sqm	2772	₹ 750.00	₹ 20,79,000.00
7	Retaining Wall up to 3mtr Height	Rm	200	₹ 75,000.00	₹ 1,50,00,000.00
8	Gazebo	Nos	5	₹ 7,50,000.00	₹ 37,50,000.00
9	Landscape Area	sqm	13500	₹ 250.00	₹ 33,75,000.00
10	Dewatering, Dredging, & Desilting of Pond	Cum	44845	₹ 543.00	₹ 2,43,50,835.00
11	Stone Pitching	sqm	2678	₹ 1,200.00	₹ 32,13,000.00
12	Dismantling of Existing Structure	Cum	24000	₹ 475.00	₹ 1,14,00,000.00
13	Equipment of Kids Play Area & Jim Equipment	LS	-	-	₹ 50,00,000.00
14	Sewage Diversion	Rm	1850	₹ 6,150.00	₹ 1,13,77,500.00
15	Water Source	Rm	850	₹ 7,500.00	₹ 63,75,000.00
				Total	₹ 11,27,98,362.76
16	Electrification	LS		12%	₹ 1,35,35,803.53
17	Plumbing Work	LS		4%	₹ 45,11,934.51
				Total	₹ 13,08,46,100.80
				In Cr.	13.08

GOVARDHAN SAGAR REJUVENATION PLAN



S.NO.	PARTICULARS	AREA (IN SQM)
1	POND	44,845.00
2	LANDSCAPING	13,500.00
3	VENDING ZONE	408.00
4	TOILET BLOCK	120.00
5	ROAD AND PARKING	3,200.00
6	PATHWAY	1,850.00
7	SHOP 3X5 M	42 NOS.

PARKING DETAIL		
S.NO.	VEHICAL	NO.
1	CAR	37 (37 ECS)
2	MOTORCYCLE	212 (53 ECS)
3	AUTO RICKSHAW	12 (6 ECS)
4	TOTAL	261 (96 ECS)

KEY PLAN

कार्यालय तहसीलदार तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन

क्रमांक / 339 / सी-1 / 2022

उज्जैन दिनांक: 21.03.2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
(सामान्य-दो शाखा)
जिला उज्जैन

विषय:- गोवर्धन सागर के निरीक्षण दिनांक 09.03.2022 के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्र./सामान्य-दो/2022/2293 दिनांक 10.03.2022

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्र.क्र. 11/2022 (बाकिरअली रंगवाला विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 07.02.2022 को पारित आदेश ब्रजमोहन गोहलोत विरुद्ध म.प्र. शासन के अनुपालन में कस्बा उज्जैन स्थित गोवर्धन सागर की भूमि सर्वे क्रमांक 1281 की जानकारी राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से ली जाकर पत्र के संलग्न श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न: राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी
द्वारा प्रस्तुत मूल प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा


तहसीलदार
तहसील उज्जैन नगर
तहसील उज्जैन नगर

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील उज्जैन नगर
जिला उज्जैन

विषय: कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 के संबंध में।

संदर्भ: श्रीमान के द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश के पालन में कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 के संबंध में वांछित जानकारी पत्र के संलग्न श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न: वांछित जानकारी का प्रपत्र एवं नजरी नक्शा।


17/7/22


तहसीलदार
नगर उज्जैन नगर

कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 की जानकारी

वर्ष 1911-12 की स्थिति	वर्ष 1927-28 की स्थिति	वर्ष 1950-51 की स्थिति	वर्तमान स्थिति
मिसल बंदोवस्त वर्ष 1911-12 में सर्वे क्रं. 1205 कुल रकबा 40 बीघा 3 बिसवा जिसमें से 34 बीघा 3 बिसवा पर तालाब तथा 6 बीघा पर बाड़ा दर्ज अभिलेख है।	मिसल बंदोवस्त वर्ष 1911-12 में सर्वे क्रं. 1205/1 का मिसल बंदोवस्त वर्ष 1927 में नवीन सर्वे क्रं. 1281 रकबा 36 बीघा 18 बिसवा बना जिसमें कालम नंबर 6 (नाम मालिक) में मी. सरकार कमेटी तथा मिसल खसरा के कालम नंबर 29 एवं 30 में तालाब रकबा 36 बीघा 18 बिसवा दर्ज अभिलेख है।	वर्ष 1950-51 के खसरा अभिलेख में सर्वे क्रं. 1281/1 रकबा 35 बीघा 7 बिसवा। 1281/2 रकबा 1 बीघा 3 बिसवा, 1281/3 रकबा 6 बिसवा तथा 1281/4 रकबा 2 बिसवा निजी स्वत्व में दर्ज है। सर्वे क्रं. 1281/1 के खसरा कालम नंबर 21 एवं 22 में तालाब 30 बीघा 4 बिसवा दर्ज अभिलेख है।	सर्वे क्रं. 1281 कुल रकबा 7.716 हे. वर्तमान खसरा अभिलेख वर्ष 2021-22 में बीस उपखंडाको में दर्ज होकर 7.403 हे. निजी स्वत्व में तथा 0.313 हे. रकबा शासकीय मद में दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त कुल रकबा 7.716 हे. में से वर्तमान में मौके की स्थिति निम्नानुसार है:- 1. रकबा 4.560 हे. पानी के नीचे 2. रकबा 1.150 हे. पर मकान, दुकान, अस्थायी गुमटिया निर्मित है। 3. शासकीय भूमि रकबा 0.313 हे. पर वाटर वर्क्स कार्यालय एवं सडक स्थित है। 4. शेष रकबा 1.693 हे. तालाब का तटीय भाग, टापू एवं झाडी से आच्छादित होकर रिक्त है।

नोट:- उपरोक्त जानकारी मिसल बंदोवस्त खसरा एवं मौके के आधार पर तैयार की गई है।

Signature
27/05

Signature
R.S.

Signature
तहसीलदार
तहसील उज्जैन नगर

नम्बर साविक	नम्बर हज्ज	नम्बर खसरा	नम्बर खसरा	नाम शोध पट्टी	नाम मालिकान	नाम कारतकार बकैद वदियत कौमियत सकूनत व मुदत कारत मय किस कारतकार आया दखीलकार या साकितुल मिलकियत या गैर दखीलकार	नाम शिकमी कारतकार बकैद वदियत कौमियत व सकूनत	खान कारतकार बखली	शरह खान कारतकार बकैद वदियत कौमियत व सकूनत	खान कारतकार बकैद वदियत कौमियत व सकूनत	सरीका आवपासी	सरीफ			रबी			जायद		रकबा हुकसली	तहसील आराजी गैर पञ्च आ मुवधिक खानेजात मिलाज खसरा			
												जिन्ध	रकबा	रकबा जाया-शुदा	जिन्ध	रकबा	रकबा जाया-शुदा	जिन्ध	रकबा		किस आराजी	रकबा		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	
2200	1200	6			शामलानर																			
2201	1201	201			शामलानर																			
2202	1202	91	वारी 9		पञ्चरसि																			
2203	1203	913			शामलानर																			
2204	1204	63	भुरी 3		भुरी																			
2205	1205	8003	वाजा 5		परिसर																			
2206	1206	169	वाजा 7		परिसर																			
2207	1207	917	भुरी 7		भुरी																			




प्रमाणित किया जाता है कि सत्य-प्रतिलिपि है।
 हे कारिस्ट
 कृष्णचंद्र, उज्जैन
 नि.शुल्क-प्राप्त

कार्यालय कलकत्ता-१०-उत्तर (म.प्र.)
 प्रतिलिपि आवेक क्रमांक 16 दि. 3-2-22
 प्रतिनिधि वृहत्सिल व

खमरा ग्राम 377

सर्वे क्रमांक व खेत का नाम	क्षेत्रफल बीघा या एकड़ में	मालिक का नाम खेवट के क्रमांक सहित	रजिस्टर खेतजात के खाते का क्रमांक	कृषक तथा उसके पार का नाम, जाति, निवास स्थान, हक तथा सुवत	उप-कृषक, शिकमी कर्तव्यकार तथा उसके अपके नाम, जाति, निवास स्थान	लगान उप-कृषक	आवपासी का साधन निवान इत्यादि की व्यवस्था सहित
921	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
922	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
923	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
924	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
925	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
926	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
927	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
928	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
929	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र
930	1/2	श्री रामचन्द्र	50	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र	श्री रामचन्द्र



जिला 377 मध्यभारत संवत् 2000 विक्रमी सन 1922 ईसवी


खेत क्रमांक	क्षेत्रफल		रकबा		आयद		रकबा दुफसली		शेर मजदूरी भूमि का विवरण			
	आवपासी	शेर आवपासी	क्षेत्रफल	शेर आवपासी	क्षेत्रफल	शेर आवपासी	क्षेत्रफल	शेर आवपासी	शामिल जोत खाती की	शामिल जोत खाती की	शामिल जोत खाती की	शामिल जोत खाती की
921	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
922	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
923	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
924	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
925	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
926	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
927	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
928	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
929	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
930	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2



प्रमाणित किया जाता है कि सत्य-प्रतिलिपि है।
 नि. शुल्क-शासकीय

नजरी नक्शा
 ग्राम - कटका उज्जैन
 श्रमि - सर्वे क्र. 1281

36



मॉडा स्थिति	संकेत	विवरण
पानी के नीचे	Blue	-
अच्छाई निर्माण	Pink	अनुमोदित वर्ष 1950 के पूर्व
	Red	अनुमोदित वर्ष 1980 के पश्चात
अच्छाई निर्माण	Green	अच्छाई गुंजायती
निम्न श्रमि	Yellow	-

12/11/05
 तहसीलदार

तहसीलदार
 कटकील उज्जैन नगर

Ⓐ	पानी के नीचे	- 4.56	} कुल 7.716
Ⓑ	घड़त श्रमि	- 1.693	
Ⓒ	सड़क/शाल. श्रमि	0.313	
Ⓓ	निर्माण	1.150	

serve no. 1281

kasba ujjain

Legend



Google Earth

Image © 2022 Maxar Technologies

100 m





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



38

CLR No. : 11019012509

ग्राम: कस्या उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्या उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /घुस 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4836	1281/ 1/1/2 (S)	null	0.0450 हेक्टेयर कृषि रु.0.45	अशोककुमार पिता सुरजमल वआशादेवी पति अशोककुमार जैन पता कस्या उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11019012590

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघारिण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /कृष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4792	1281/ 1/1/3 (S)		0.2000 हेक्टेयर कृषि रु.1.55	ईश्वरदास पिता जयरामदाससिन्धी पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



40

CLR No. : 11019012691

ग्राम: करबा उज्जैन			पटवारी हल्का: करबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कुषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4858	1281/ 1/1/4 (S)		0.2000 हेक्टेयर कृषि रु.1.60	लछमनदास पि. जयरामदास सिन्धी पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



(4)

CLR No. : 11019026696

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की सूचिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिकोणक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4904	1281/ 1/1/5 (S)		0.2000 हेक्टेयर कृषि रु.1.50	गोरधनदास पि. हेमनदास सिन्धी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी							



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



42

CLR No. : 11019047787

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन		तहसील: उज्जैन नगर				जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की गिनती और ईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	नौकरी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर क्लिंटिंग तथा प्रभार	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृद्ध 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
			2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघरिण किया गया है	2. शासकीय भूमि		2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	1. बंधक	2. दृष्टिबद्धक	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4735	1281/ 1/1/6 (S)		0.2000 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	इश्वरलाल पिता हेमनदाससिंधी पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						



CLR No. : 11019047846

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघारिण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /कृष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4869	1281/ 1/1/7 (S)		0.2000 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	कन्हैयालाल पिता हेमनदाससिंधी पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						



(44)

CLR No. : 11019051519

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दना में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. आसकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	नौकरी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विह्वलन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबन्धक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4803	1281/ 1/1/9 (S)		0.5060 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	अनिलजोशी पिता मुन्नालाल पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1						प्रकरण क्र.0358/अ-6(अ)/2021-22 आदेश दिनांक 15/11/2021 के अनुसार पूर्व में खसरा नं.1281/1/1/मिन-1 से 1281/1/1/9 में परिवर्तित ।



CLR No. : 11019049168

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघरिण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4937	1281/ 1/1/म िन-2 (S)		0.3790 हेक्टेयर कृषि भिन्न आशय रु.179.00	चांदमल पिता शजमल नि.व्यायमशाला की गली भूमि स्वामी	हि.0. 042 है.						व्यपवर्तित क्षेत्रफल 3790 (वर्ग मी.) नामा.पंजी क-71 से 82 दानिक 17-7-10 तथा अनु.अधि.उज्जैनकेप्र.क्र- 473,747,475,476,477,478,480,481,482,484,486,487/ अ-2/82-83 दिनांक 6-7-83 से भूमिपरिवर्तन किया
				मोहनलाल पिता सत्यनारायण पता कार्तिक चौक उज्जैन भूमि स्वामी	0.04 3 है.						
				मोहनलाल पिता बाबूलाल पता अब्दालपुरा उज्जैन भूमि स्वामी	हि.0. 043						
				गोपाल पिता सत्यनारायण पता पानदरीबा उज्जैन भूमि स्वामी	0.02 5 है.						
				विट्टलदास पिता कालूराम पता उज्जैन भूमि स्वामी	हि.0. 010 है.						
				अशोककुमार पिता ब्रजमोहन पता उज्जैन भूमि स्वामी	0.01 0 है.						



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

46



CLR No. : 11019049168

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022	
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर धिल्लाम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल		
				वंशीधर पिता दाऊमल पता उज्जैन भूमि स्वामी	0.01 0 है.							12
				कमलकिशोर पिता सरदारमल पता उज्जैन भूमि स्वामी	हि.0. 043 है.							
				सत्यनारायण पिता गोरधनदास पता उज्जैन भूमि स्वामी	0.04 3 है.							
				गिरधरगोपाल पिता बापूलाल पता उज्जैन भूमि स्वामी	0.05 9							
				शकुन्तलाबाई पति मनोहरलाल पता उज्जैन भूमि स्वामी	हि.0. 059 है.							
				शैलेन्द्रकुमार चांदमल पता उज्जैन भूमि स्वामी	0.04 3 है.							



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



47

CLR No. : 11019049168

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की गूनिंक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दवा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



48

CLR No. : 11019049192

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबद्धक 3. भू-उर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4915	1281/ 1/1/म िन-3 (S)		0.0250 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	बंसीलाल पिता अनन्तनारायण नागर पता निवासी कार्तिक चौक उज्जैन भूमि स्वामी							नामा.पंजी क्र. 87,88 आदेश दिनांक 10-9-10 से नामा. अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के आदेशप्र.क.479,474/अ-2/दि.6-7-98 से भूमि परिवर्तन



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11019049239



49

ग्राम: कस्या उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्या उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022		
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघरिण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिक्रमक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बॉरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/घुस 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	फसल के बॉरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल		10	11
146709 4926	1281/ 1/1/म िन-4 (S)		0.0100 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	प्रेमनारायण नागर पिता सत्यनारायण पता नि.उज्जैन भूमि स्वामी									नामा.पंजी क्र. 87,88 आदेश दिनांक 10-9-10 से नामा. अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के आदेश प्र.क.479,474/अ-2/दि.6-7-98 से भूमि परिवर्तन



CLR No. : 11019049272

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निश्चय किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के बारे में	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4814	1281/ 1/2 (S)		0.1050 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	मन्चुलाल पि. कन्हैयालाल पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



(5)

CLR No. : 11019049307

ग्राम: करवा ऊर्जैन			पटवारी हल्का: करवा ऊर्जैन			तहसील: ऊर्जैन नगर			जिला: ऊर्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की गिनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दना में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	नौरुबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिकोणक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4871	1281/ 2 (S)		0.2400 हेक्टेयर सड़क 0.2400 रु.0.00	(शासकीय)							सड़क 0.2400



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

S2



CLR No. : 11019049352

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हत्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौजूबी कुक्क (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विस्तार तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के ब्यारे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4779	1281/ 3 (S)		0.0630 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							पडती ५ बार्स से ज्यादा 0.0630 शहरी सिकिंग



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



53

CLR No. : 11019050383

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022	
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/कॉर्वा मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निघरिण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	नोरखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /कृष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
146709 4781	1281/ 4 (S)		0.0110 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	अनिलजोशी पिता मुन्नालाल पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1							बड 1 पीपल 1 प्याउ 1, हनुमान मंदिर पक्का



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



54

CLR No. : 11019050411

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबद्धक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4768	1281/ 5 (S)		0.0100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 0.0100 शहरी सिर्किंग



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



55

CLR No. : 11019050428

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विच्छिन्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/घुस 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4746	1281/ 6 (S)		0.8450 हेक्टेयर कृषि रु.41.10	भानूशाली सहकारी गृह निर्माण उज्जैन अध्यक्ष इश्वरदास पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



CLR No. : 11019050456

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर खिल्लाम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / घुस 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
			2. भूमि उपयोग जिसके लिए नियंत्रण किया गया है	2. शासकीय भूमि		2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र		फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4847	1281/ 7 (S)		1.4720 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	भानूशाली सहकारी गृह निर्माण उज्जैन अध्यक्ष इश्वरदास पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



57

CLR No. : 11019050469

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संख्या प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4757	1281/ 8 (S)		1.3150 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	भानूशाली सहकारी गृह निर्माण उज्जैन अध्यक्ष इश्वरदास पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



CLR No. : 11019050505

ग्राम: कस्बा उज्जैन			पटवारी हल्का: कस्बा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए नियंत्रण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी प्लेटवर का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर क्लिंटान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संकेदी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4882	1281/ 9 (S)		0.8450 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	भानूशाली सहकारी गृह निर्माण उज्जैन अध्यक्ष इश्वरदास पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



59

CLR No. : 11019050520

ग्राम: कसबा उज्जैन			पटवारी हल्का: कसबा उज्जैन			तहसील: उज्जैन नगर			जिला: उज्जैन		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दना में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146709 4893	1281/ 10 (S)		0.8450 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	भानूशाली सहकारी गृह निर्माण उज्जैन अध्यक्ष इश्वरदास पता नि. उज्जैन भूमि स्वामी							

खंभरा ग्राम उज्जैन तहसील

क्र.सं.	सं.सं.	रबी 21/1/21		आयद		रकबा दुफसली		गैर मजबूत भूमि का विवरण		शामिल जेत खाता की	अलावा गैर खाता की	शामिल जेत खाता की	अलावा गैर खाता की										
										क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9221	18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9222	19	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9223	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9224	21	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9225	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9226	23	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9227	24	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9228	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9229	26	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9230	27	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9231	28	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9232	29	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9233	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9234	31	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9235	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9236	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9237	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9238	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9239	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9240	37	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9241	38	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9242	39	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9243	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9244	41	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9245	42	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9246	43	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9247	44	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9248	45	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9249	46	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9250	47	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35



व्यापक किता जाया है कि व्यव-प्रतिनिधि है।

ह. कालिका
उज्जैन-तहसील, उज्जैन

नि.शुल्क-शासकीय

खसरा ग्राम तहसील जिला

सर्वे क्रमांक व खेत का नम्बर	क्षेत्रफल बीघा या एकड़ में	मालिक का नाम खेवट के क्रमांक सहित	रजिस्टर खेतजात के खेत का क्रमांक	कृषक तथा उसके बाप का नाम, जाति, निवास स्थान, हक तथा मुद्दत	लगान	उप-कृषक शिकमी कास्तकार तथा उसके बाप का नाम, जाति, निवास स्थान, मुद्दत	लगान उप-कृषक	आवपाशी का साधन निवान इत्यादि की व्यवस्था सहित	क्षेत्रफल		आयद		रकबा दुफसली		गैर मजदूरी भूमि का विवरण										
									क्षेत्रफल	गैर आवपाशी	क्षेत्रफल	गैर आवपाशी	क्षेत्रफल	गैर आवपाशी	शामिल खेत खातों की	शामिल भूमि का विवरण	क्षेत्रफल	शामिल भूमि का विवरण	क्षेत्रफल	शामिल भूमि का विवरण					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
१२७६	२	मि. लखार वरना कुशमठी	५१५	पं. लखार वरना कुशमठी																					
१२७६	११)	श. लखार वरना	२८८	श. लखार वरना																					
१२७७	१)	मि. लखार वरना कुशमठी	५५१																						
१२७८	१३	व. लखार	५५१																						
१२७८	११)	मि. लखार वरना कुशमठी	५८६																						
१२७८	१३	मि. लखार वरना कुशमठी	५५१																						
१२८१	११३	मि. लखार वरना कुशमठी	५८६																						
१२८२	११३	पं. लखार वरना कुशमठी	२६	पं. लखार वरना कुशमठी																					
१२८२	१३	मि. लखार वरना कुशमठी	५८६																						
१२८३	११२	पं. लखार वरना कुशमठी	३६	पं. लखार वरना कुशमठी																					
१२८३	१५	मि. लखार वरना कुशमठी	५८६																						
११	६१३																								
५६																									



नि: शुल्क = शासकीय

XXIII-P
Settlt.

प्रतिदिगि आवेदन क्रमांक 338 दिनांक 19/11/22
प्रतिदिगि

P. II

नॉर्म 9683



उपसहित तब्दीलिया को

नम्बर	रकबा (यदि भूमि पर खति की है तो विवरण.)	कब्जदार का नाम, पिता अथवा पति का नाम, सकूनत, हक्क, जमा या लगान (दिलो कंडिका ५ अथवा ५, लैण्ड रिकॉर्ड मैनुअल, जिल्ह १).	अग्नि-स्वामी के पट्टा धारी या मीरका हुक्क के उप-पट्टाधारी का नाम, चाप का नाम, जमान का पट्टाधारी और पट्टा पर की गई भूमि का रकबा.	रकबा जो खत में शामिल है						नाम जिन और रकबा जो वे या रकबा में है.
				जिल पर साल के अन्तर. फसल हुई	पड़ती का रकबा					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१२८१ ३	१९ ००६३	मन्नुलाल जा. न. १२८१ श्रीमती स्वामी आधी बायल वक्कस विक्रम उज्ज्वल य. ल. रकबा ०९	X						आबादी १९	
१२८९ ६	६२ ००३१	मन्नुलाल जा. न. १२८९ श्रीमती स्वामी आधी श्रीहरिकान्त मादी बाबू श्रीकाम व्यम-थापक नाना या गामेश्वरान्त आदी.	X						आबादी ६२	प्या. क. श्रीहरिकान्त श्रीमती बाबू श्रीकाम
१२८३ ७	६३ ०१२०	श्रीमती लक्ष्मीनारायण पदास जी जाली महाजन स्वामीय श्रीमती स्वामी श्री जा १-५६	X	मक्का ६५					कसीम ६३ आबादी १५	जमाली २ मकान पुरेना ताम्र सं २००१ २००३ म. में कुल के मा.
१२८२ २	६३ सड़क ०३१	सड़क में तकियाग.	X							
१२८३ ९	१६२ ००३३०	रामानंद वर्गेश्वर जा. न. १२५६ श्रीमती स्वामी.	X	नागनीय ११४	वागपूल १२				कुआ ६२ आबादी १९	कुआपनका चालू मकाग पक्का-चयनरा श्रीशंकरजी. नामफल नीड ३० आदिवासी
२११५ ००५३३				मक्का १९					कसीम ०३ आबादी ११४	
				नागनीय ११५					कुआ ६२	
				११५ ००६६					११५	

वर्ष १९६५-६६	वर्ष १९६६-६७	वर्ष १९६७-६८
खतरे के खतरे का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	खतरे के खतरे का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी	खतरे के खतरे का नम्बर जिसमें तब्दीली होगी
१५	१६	१७
१४	१८	१९
१५	१९	२०
१६	२०	२१
१७	२१	२२
१८	२२	२३
१९	२३	२४
२०	२४	२५
२१	२५	२६
२२	२६	२७
२३	२७	२८
२४	२८	२९
२५	२९	३०
२६	३०	३१
२७	३१	३२
२८	३२	३३
२९	३३	३४
३०	३४	३५
३१	३५	३६
३२	३६	३७
३३	३७	३८
३४	३८	३९
३५	३९	४०
३६	४०	४१
३७	४१	४२
३८	४२	४३
३९	४३	४४
४०	४४	४५
४१	४५	४६
४२	४६	४७
४३	४७	४८
४४	४८	४९
४५	४९	५०
४६	५०	५१
४७	५१	५२
४८	५२	५३
४९	५३	५४
५०	५४	५५
५१	५५	५६
५२	५६	५७
५३	५७	५८
५४	५८	५९
५५	५९	६०
५६	६०	६१
५७	६१	६२
५८	६२	६३
५९	६३	६४
६०	६४	६५
६१	६५	६६
६२	६६	६७
६३	६७	६८
६४	६८	६९
६५	६९	७०
६६	७०	७१
६७	७१	७२
६८	७२	७३
६९	७३	७४
७०	७४	७५
७१	७५	७६
७२	७६	७७
७३	७७	७८
७४	७८	७९
७५	७९	८०
७६	८०	८१
७७	८१	८२
७८	८२	८३
७९	८३	८४
८०	८४	८५
८१	८५	८६
८२	८६	८७
८३	८७	८८
८४	८८	८९
८५	८९	९०
८६	९०	९१
८७	९१	९२
८८	९२	९३
८९	९३	९४
९०	९४	९५
९१	९५	९६
९२	९६	९७
९३	९७	९८
९४	९८	९९
९५	९९	१००

नवाबान किवा जारा है कि
किस-प्रतिदिगि है।
३. अतिरिक्त
१५ अक्टोबर, १९६६
नि:शुल्क-शासकीय

कार्यालय कलेक्टर जि. उज्जैन म.प्र.
प्रतिलिपि आवेदन क्रमांक 38 दिनांक 19-4-2025 P.H.E

नया फार्म

परिवर्तनों के धारे



क्र.सं.	शेखर का नाम, उच्छेदितता का या पति का नाम तथा निवासी-स्थान, निवासी के जन्म-दिनांक और देय राशि या लगान	किसी परिवारवासी के पट्टेदार का या किसी मालिकी का उच्छेदितता का नाम, पत्ता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये गण का क्षेत्रफल	जब से जहाँ		किसी का क्षेत्रफल					
			जब से	जहाँ						
1200	रामेन्द्र प्रसाद देवप्रसाद पिता अमरशंकर महिषा सुन्दरबाई जि. अमरशंकर जाति ब्रा. खानिपारसी समान आशीशर भूमिस्वामी भू.सं. 7-22	वागडग्राम जुवा	53 254							
1201	सन्तान पिता कर्णधारा जाति ब्राह्मण खानिपारसी भूमिस्वामी भू.सं. 25-65	मागवा आमर	31 3							

क्र.सं.	परिवर्तनों के धारे	क्र.सं.	परिवर्तनों के धारे
119	वागडग्राम 0-0-39 मुठा 0-460 वा 0-860	115	वागडग्राम 0-0-39 मुठा 0-460 वा 0-860
120	मार्ग मुठा	116	मार्ग मुठा
121	मार्ग मुठा	117	मार्ग मुठा

अज्ञात कया जाया है कि
किस-प्रतिपत्ति है।

नि. धुलक-शासकीय

जायगीरदार

31/3
2-22
372

31/3
2-22
372

2-22
372

2-22
372

2-22
372

आ का नया फॉर्म

११ पा


तिरुतंगों के ग्योरे

क्र.सं.	सं.	अपेक्षित प्रविष्टि	सं.सं.	सं.सं.	हाते की भूमि		किसी भूमिस्वामी के एट्टेस्टार का क्र. नं. के उप-एट्टेस्टार का नाम, पता का नं. नगरीय और उप-एट्टे पर दिव्य एवं भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्र जितने वर्षों के दौरान में फसल उगाई गई		पड़ती का क्षेत्रफल			अन्य पड़ती अर्थात् २ वर्ष से अधिक
					फसल का नाम	क्षेत्रफल		दुफरानी क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती		
१२६१	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६१	१२६१	१२६१									
१२६२	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६२	१२६२	१२६२									
१२६३	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६३	१२६३	१२६३									
१२६४	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६४	१२६४	१२६४									
१२६५	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६५	१२६५	१२६५									
१२६६	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६६	१२६६	१२६६									
१२६७	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६७	१२६७	१२६७									
१२६८	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६८	१२६८	१२६८									
१२६९	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२६९	१२६९	१२६९									
१२७०	११	मनमोहन आरिहंत नं. १२७०	१२७०	१२७०									



१२६०-७१
२०२७

सं. १२६१-७२ २०२८	सं. १२६२-७२ २०२८
सं. १२६३-७२ २०२८	सं. १२६४-७२ २०२८
सं. १२६५-७२ २०२८	सं. १२६६-७२ २०२८
सं. १२६७-७२ २०२८	सं. १२६८-७२ २०२८
सं. १२६९-७२ २०२८	सं. १२७०-७२ २०२८




अपेक्षित प्रविष्टि का आधा हिस्सा
उपरोक्त प्रविष्टि में है।
१. अपेक्षित
२. अपेक्षित
नि:शुल्क-शासकीय

कार्यालय करीब जं: उम्मेद स.
प्रतिष्ठि आयेदन क्रमांक ३४ दिनांक १७/५/६९



क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	जिसी भूमिस्वामी के पट्टेदार का वह किसी मौलसी का पतदार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, स्थान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाले की भूमि		पड़ती का क्षेत्रफल	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाले के बाहर के क्षेत्रों में कोई भी कसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष १९७४-७५	वर्ष ७५-७६	वर्ष ७६-७७	वर्ष ७७-७८	संशोधित प्रविष्टि					
				क्षेत्रफल	वृक्षमाली क्षेत्रफल													
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१२६२	०.३६१ सदर (समुदाय भूमि)																	
१२७६	०.०३१ सदर (समुदाय)																	
१२८०	०.६७६	गजेन्द्रप्रसाद फादर कुं. नं. १११७ आसिनामनी अ. नं. ११६६		मसका ०.४६०	०.०३१		आकादी ०.०३१ देवा ०.०४२ बरीम ०.१७२	मोदी श्रीमनपति जी.	५.६	मसका ०.४६० का. का. ०.०३१	१.६	उबाट ०.४६०	लागा आग ०.०३१	५.६	०.४६०	०.०३१	५.६	०.४६०
१२८१	७.२८६	मनमोहन पिता मसका व सेतीयाई विधाना मसका का नाम उम्मेद जि. कृष्णचन्द्र आसिनामनी अ. भागम ०३-४४		मसका ७.२८६	०.२३६		लागाव ४.६८०	मसका से मुक्त पसका आग से मुक्त पस ५ भागमाव	५.६	मसका ७.२८६ मसका ०.४०० मेड ०.४००		मसका - ५ भाग मा. का ५ भाग मा. का कुल ११० पस कांकित है	५.६	७.०४६	७.०४६	७.०४६	७.०४६	७.०४६
१२८१	०.१०४	मनमोहन अतुन १२८१ आसिनामनी अ. नं. ५ १२८१/१११					आकादी ०.१०४											
४	८.३६२ उम्मेद ८.०७० उम्मेद ०.२९२			मसका १-२६६			उम्मेद ०.११४ उम्मेद ५.९६० उम्मेद ०.३६६ उम्मेद ०.१२२											



मसका का नाम जोरा है कि
उम्मेद-प्रतिष्ठि है।
नि:शुल्क-शासकीय

P II

संख्या संख्या

कार्यालय कलेक्टर जि. उज्जैन म.प्र.

प्रतिनिधि आवेदन क्रमांक 38 दिनांक 19-4-11

प्रतिनिधि



क्र.सं.	व्यक्ति का नाम, उसके पिता का या पति का नाम क्या विवाह स्वतंत्र, यदि नहीं तो तब भी उक्त का उल्लेख करना	किसी व्यक्ति का पतेदार का या किसी नौकरी का पतेदार के उप-पतेदार का नाम, पिता का नाम, पति का नाम या पते की स्थिति और उप-पतेदार के नाम का उल्लेख	व्यक्ति का पतेदार			व्यक्ति का पतेदार का नाम	व्यक्ति का पतेदार का पता				
			पतेदार का नाम	पतेदार का पता	पतेदार का पता						
1	0-230 सदस्य (सामान्य)										
2	0-231 सदस्य (सामान्य)										
3	0-232 सदस्य (सामान्य)										
4	0-233 सदस्य (सामान्य)										
5	0-234 सदस्य (सामान्य)										
6	0-235 सदस्य (सामान्य)										
7	0-236 सदस्य (सामान्य)										
8	0-237 सदस्य (सामान्य)										
9	0-238 सदस्य (सामान्य)										
10	0-239 सदस्य (सामान्य)										
11	0-240 सदस्य (सामान्य)										
12	0-241 सदस्य (सामान्य)										



प्रतिनिधि आवेदन क्रमांक 38 दिनांक 19-4-11

प्रतिनिधि आवेदन क्रमांक 38 दिनांक 19-4-11

नि. शुल्क-शासकीय



01.3.2014

पंजाब का कृषि विभाग

क्र.सं.	सं.सं.	किसान का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवाह स्थान, जिनके नामों के अधीन यह भूमि खरीदी गई है और वे पंजाब के कृषि विभाग के अधीन हैं	भूमि का विवरण (किसान के नाम, पिता का नाम, भगवत या फूट की संख्या और लक्ष-फूट की संख्या)	वेतन विवरण वर्ष के दौरान के अंत में		भूमि का क्षेत्रफल		अन्य विवरण	सं.सं.	विवरण	सं.सं.	विवरण
				वर्ष	मास	वर्ग	घ.सं.					
3253	3-202	श्री बहादुर सिंह पिता जगजित सिंह भूमि का नाम जगजित सिंह स्थानी: सुखविहार 92=00										
3257	3-234	श्री बहादुर सिंह पिता जगजित सिंह जगजित सिंह पिता जगजित सिंह भूमि का नाम जगजित सिंह स्थानी: सुखविहार 92=04										
3258	3-064	श्री बहादुर सिंह पिता हेमनंद सिंह भूमि का नाम सुखविहार स्थानी: सुखविहार 92=50										
3258	3-064	श्री बहादुर सिंह पिता हेमनंद सिंह भूमि का नाम सुखविहार स्थानी: सुखविहार 92=50										
3253	3-064	श्री बहादुर सिंह पिता हेमनंद सिंह भूमि का नाम सुखविहार स्थानी: सुखविहार 92=50										
X	3-223	श्री. डी. डी.										



पंजाब का कृषि विभाग
पंजाब-भारत

डि. डी.
कृषि विभाग

नि.शुल्क-शासकीय

अ. 3 अंश

परिवर्तन के ब्योरे 10

क्रमांक	खसरा नं. (यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो, तो उसका वर्णन)	कस्बेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमि-स्वामी या फटेदार का या किसी मोल्हो काशतकार के उप-फटेदार का नाम, पिता का नाम, लगान नं. फटे की रकम और उप-फटे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	घाते की भूमि						वर्षों में कोई नई फसल खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	परिवर्तन के ब्योरे								
				क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				वर्ष 1921/22	वर्ष 1922/23	वर्ष 1923/24	वर्ष 1924/25					
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	कुफसली क्षेत्रफल	बाल वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	आठ पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		संशोधित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9207/3	6-90X	मन्मोहन सिंह का खसरा जग. सिवासी (विद्यार्थी) उरिफिला							खसरी -90X										
9207/2	258 1260 1000																		
9207/3	454 0083 गण्डक	अज्ञात बिजापूर									मन्मोहन सिंह की मन्मोहन सिंह								
9207/8	8-99	मन्मोहन सिंह मन्मोहन देवसिंह के खसरा मन्मोहन जग. सि. विद्यार्थी अधि. श्री मन्मोहन सिंह पदम सिन्हा (विद्यार्थी) मोहिंदराम सिंह सिन्हा 2E							खसरी -99		मन्मोहन सिंह मन्मोहन सिंह								
9207/6	0-090	अज्ञात																	
वि. नं.	0-99E 0-249 0-02 0-392 0-520	अज्ञात 2605 W.H.I							0-99E 21E										



अज्ञात कया जाय है कि
अज्ञात-अज्ञात है।

मि. शुक्ल-शासकीय

कार्यालय कलेक्टर जि. उज्जैन म.प्र.
प्रतिलिपि आवेदन क्रमांक 38 दिनांक 19/4/22
P. II खसरा पांच

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो, तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुशी कोश्टकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	नुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9216	0-23		9300								
9217	0-24		9300								
9218	0-29		9301								
9200	0-26	संशोधित खसरा नम्बर 9306	✓								
9209	0-29	संशोधित खसरा नम्बर 9306	9303								
9209	0-24	अयोध्यापुर से अजयपुर व आजादपुरी प्रदेस अजयपुर और नि. जोरला काशीपुरी अजयपुर	9304								
9209	0-23	अजयपुर									



साला का नया फार्म

9.3.22

परिवर्तन के व्योरे							
वर्ष 1925-26	वर्ष 1926-27	वर्ष 1927-28	वर्ष 1928-29	वर्ष 1929-30	वर्ष 1930-31	वर्ष 1931-32	वर्ष 1932-33
संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो
13	14	15	16	17	18	19	20

आधार का नया फार्म है कि
अध्य-आधार है।

डि. कलियुक्त-शासकीय
कलेक्टर, उज्जैन

0503/20

76

परिवर्तन के व्योरे

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो, तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौजूदगी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	परिवर्तन के व्योरे											
				क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पट्टी का क्षेत्रफल				वर्ष 1954-55	वर्ष 1955-56	वर्ष 1956-57	वर्ष 1957-58	वर्ष 1954-55		वर्ष 1955-56		वर्ष 1956-57		वर्ष 1957-58	
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	कुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक						खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
9209/9198	0-064	शाम्भुदास शंकर गिरी शंकर शंकर	1100						1000			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		
9209/9198	0-200	शंकरदास शंकर गिरी शंकर शंकर	1101						1200			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		
9209/90	0-064	शाम्भुदास शंकर गिरी शंकर शंकर	1102						1000			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		
9209/9198	0-200	शंकरदास शंकर गिरी शंकर शंकर	1103						1200			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		
9209/9198	0-064	शाम्भुदास शंकर गिरी शंकर शंकर	1104						1000			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		
9209/9198	0-524	शंकरदास शंकर गिरी शंकर शंकर							2000			10	✓	90	✓	90	✓	90	✓	90		



आपका नाम वा पता है कि
कब-प्रतिष्ठित है।
H. K. S. S.
नि.शुल्क-शासकीय

040320

77

परिवर्तन के व्योरे

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातों में सम्मिलित न हो, तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौलूशी काश्तकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष 1954-55 के खसरे का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन हुआ जा रहा है	वर्ष 1954-55		वर्ष 1955-56		वर्ष 1956-57			
				क्षेत्र जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल					संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	खसरे के खाने का क्रमांक जिसकी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाना हो	संशोधित प्रविष्टि	
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	कुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक										संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9209 912	0-90X	मन्सूखान पि कण्ठेयालाख डा. नि. सुधकारिया पुरि गिह.	7/84						45- 0-90										
9209 912	0-260 112		7/84																
9209 912	0-263 112		7/84																
9209 912	0-99	मन्सूखान पि मन्सूखान रेवतुलाखे देवा मन्सूखान डा. नि. सुधकारिया कारिका :- श्री सुधकारिया पिहल नि. सुधकारिया गोविंदराज डा. नि. सुधकारिया	7/84						45- 0-99										
9209 912	0-90 112		7/84																
9209 912	0-99		7/84																



व्योक्त का नया फार्म है कि
संशोधित प्रविष्टि है।

के. ए. ए. ए.
नि. शुल्क-शासकीय

कक्षा - उज्जैन

ह.नं. २४
जिला - उज्जैन
मापमान - १" = ३००'
शीट नं. ४



मि. जी. ए.



ह.नं. - अनुसूचित - आर्य समाज - स.श.प्र. - ४२२३

मि. जी. ए.

कारकारी उपयोग हेतु

प्रमाणित प्रतिलिपि
Stamp
राजकीय कार्यालय
जिला उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय तहसीलदार तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन

क्रमांक/1560/री.1/2020

उज्जैन दिनांक: 11.12.2020

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुभाग उज्जैन नगर

विषय: म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा आयुक्त न.पा.नि. उज्जैन कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 रकबा 7.476 के संबंध में जाँच प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भ: श्रीमान का पत्र क्र./रीडर-1/एस.डी.एम.नगर/2020/1730 दिनांक 24.11.2020

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित क्रम में निवेदन है कि आयुक्त महोदय न.पा.नि. उज्जैन के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रं. 1281 रकबा 7.476 हे. के बटांकनो पर अनावेदकगण के नाम असत्य एवं अवैधानिक आधारों पर दर्ज किया गया है जबकि उपरोक्त गोवर्धन सागर की सम्पूर्ण भूमि पर अनावेदकगण को किसी भी प्रकार का स्वत्व, हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होने से गोवर्धन सागर तालाब की सम्पूर्ण भूमि सर्वे नं., रकबा पर अनावेदकगण के नाम के इन्द्राज को निरस्त किये जाने तथा पूर्वानुसार नगर पालिक निगम के नाम का इन्द्राज बहसियत भूमि स्वामी के दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सर्वे नंबर 1281 रकबा 7.476 हे. की पटवारी प्रतिवेदन अनुसार जाँच निम्नानुसार है:-

1. उक्त सर्वे नंबर वर्ष 1911-12 में 1205 नंबर होकर 40 बीधा 3 बिस्वा रकबा था उक्त नंबर पर पट्टी हट्टेसिंह ब न 35 काश्तकार भाउलाल एवं विवरण में बाडा 1 - 6 बीधा तालाब - 34 बीधा 3 बिस्वा रबी फसल में 6 बीधा चने दर्ज है।
2. वर्ष 1927-28 में उक्त सर्वे नंबर के दो भागों में बटकर सर्वे नंबर 1280 एवं 1281 हो गये। सर्वे नंबर 1280 में रकबा 3 बीधा 5 बिस्वा मालिक मुन्नालाल काश्तकार जेशंकर वल्द किशनलाल कोम ब्राह्मण सा. देह. माफी देवस्थान एवं विवरण में किस्म - गो.मु. टेकरी 3 बीधा 5 बिस्वा कैफियत मंदिर श्री गणपति भुवर एवं सर्वे नंबर 1281 में रकबा 36 बीधा 18 बिस्वा मालिक मि. सरकार ब. न. 194 कमेटी (ब.न. 194 में मी. सरकार मु. कमेटी) काश्तकार छोटेलाल वल्द भाउलाल कायस्थ सा. देह द. कार. तथा शिकमी काश्तकार रघुनाथ वल्द रामचन्द्र व रामचन्द्र वल्द नाना सा. देह. अंकपात अहीर सा. देह. हिसा बराबर साल 1 एवं विवरण में तालाब - 36 बीधा 18 बिस्वा दर्ज है।
3. वर्ष 1950-51 के शासकीय रिकार्ड में उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 1281 चार भागों में बटकर 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4 हो गया तथा रिकार्ड में कॉलम नं. 03 में पट्टी रामरतन के भूमि स्वामी स्वत्व पर बिना किसी आदेश के दर्ज हो गया। तथा तालाब की प्रविष्टि 1281/1 पर दर्ज है अर्थात् उक्त तालाब 1950-51 के रिकार्ड में निजी स्वत्व पर दर्ज हो गया।



तहसील उज्जैन नगर

4. 1950-51 में ही कृषक के तौर पर सन् 1281/1 पर मुन्नालाल पिता कन्हैयालाल भूमि ब्राह्मण का नाम बिना किसी आदेश के दर्ज हो गया। 1950-51 से 1963-64 तक का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

5. बाद के वर्ष अर्थात् 1963-64 के रिकार्ड में उक्त गोरधन सागर तालाब की भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व पर मन्नुलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण का नाम बिना किसी आदेश के दर्ज हो गया। व तालाब का रकबा 27 बीघा व 10 बिसवा होकर शेष भाग में कृषि व आबादी क्षेत्र दर्ज हो गया है।

6. 1281 का कुछ भाग शासकीय सड़क (1281/2) वाटर वर्क्स विभाग (1281/3) व श्री हनुमान मंदिर (1281/4) के नाम पर भी दर्ज पाया गया। तथा समस्त प्रविष्टियों के साथ उपरोक्त मन्नुलाल पिता कन्हैयालाल का नाम भी दर्ज पाया गया।

7. उक्त प्रविष्टिया खसरा वर्ष 1970-71 तक निरंतर रही। बाद के वर्ष अर्थात् 1971-72 में 1281/1/1 पर मन्नुलाल के वारिसान मनमोहन पिता मन्नुलाल व रेवतीबाई विधवा मन्नुलाल जाति ब्राह्मण का नाम नामांतरण र.क. 27/1970-71 आदेश दिनांक 19.06.1971 से दर्ज हुआ है। तालाब का रकबा 5.780 हे. व शेष रकबा अर्थात् 1.506 हे. पर कृषि संबंधी प्रविष्टिया दर्ज हैं एवं 1281/1/2 रकबा 0.105 हे. पर आबादी दर्ज है।

8. उपरोक्त प्रविष्टिया वर्ष 1982-83 तक यथावत चलती रही है। बाद के वर्ष अर्थात् 1983-84 में उपरोक्त तालाब की भूमि सर्वे क्रं. 1281/1/1 क रकबा 0.964 हे. मनमोहन पिता मुन्नालाल आदि तथा उक्त रकबे में से 0.045 हे. पर अशोक कुमार पिता सूरजमल व श्रीमती आशादेवी पत्नि अशोक कुमार जैन निवासी गीता कालोनी नामांतरण रजिस्टर क्रमांक 24 आदेश दिनांक 04.11.1988 से दर्ज हुये तथा शेष रकबा पडत कदीम दर्शाया गया।

9. इसी आधार वर्ष 1983-84 में बिना किसी आधार के सर्वे क्रं. 1281/1/1 ख रकबा 1.672 हे. ईश्वरदास पिता जयरामदास सिंधी सर्वे क्रमांक 1281/1/1 ग रकबा 1.515 हे. लक्ष्मणदास पिता जयरामदास सिंधी, सर्वे क्रं. 1281/1/1 घ रकबा 1.045 हे. गोरधनलाल पिता हेमनदास सिंधी, सर्वे क्रं. 1281/1/1 च, रकबा 1.045 ईश्वरलाल पिता हेमनदास सिंधी सर्वे नं. 1281/1/ छ, रकबा 1.045 कन्हैयालाल पिता हेमनदास सिंधी व 1281/1/2 रकबा 0.105 बिना किसी आदेश के मन्नुलाल पिता कन्हैयालाल (कृषि भिन्न) दर्ज हुआ। उपरोक्त सर्वे क्रमांक 1281/1/1 ख से छ तक पडत कदीम दर्ज होकर वर्ष 1987-88 में सिंघाडा फसल दर्ज है।

10. वर्ष 1988-89 के खसरे में सर्वे क्रमांक 1281/1/1 मि. क रकबा 0.919 पर सर्वे नं. के नीचे सिर्फ गोरधन सागर तालाब दर्ज हे रकबा पडत कदीम ही दर्शाया गया है।

11. वर्ष 1988-89 के वर्ष में उपरोक्त सर्वे क्रमांक 1281/1/1 ख से छ तक की संपूर्ण भूमि का नामांतरण श्री भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति को नामांतरण रजिस्टर क्रं. 60 आदेश दिनांक 25.07.1988 से किया गया। उक्त समिति के अध्यक्ष ईश्वरदास पिता जयरामदास थे तथा वर्ष 1988-89 के रिकार्ड में खसरे के कॉलम 10 में संपूर्ण रकबा तालाब की मद में दर्ज है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक ने अर्थात् ईश्वरलाल, लक्ष्मणदास, गोरधनदास, ईश्वरलाल व कन्हैयालाल द्वारा अपने अपने रकबे में से 0.200 हे. भूमि स्वयं के स्वामित्व की छोड़कर शेष संपूर्ण रकबा उक्त भानुशाली सहकारी समिति को विक्रय कर दिया।

तहसीलदार
तहसील उज्जैन नगर

12. वर्तमान में उक्त सर्वे क्रमांक 1281 में उपरोक्त भूमि स्वामियों जो कि बिन्दु क्रमांक 8 व 9 व 11 में बताए गए हैं, के अतिरिक्त सर्वे क्रमांक 1281/1/1 मि. 1 रकबा 0.506, अनिल पिता मन्नुलाल प्र.क्रं. 56/अ-6/2011-12 दिनांक 16.04.2012 से प्रविष्टि दर्ज है। 1281/1/1 मि. 2 रकबा 0.379 हे., चांदमल आदि पिता शेजमल पंजी क्रं. 71/2010-11 दिनांक 17.07.2010 से प्रविष्टि दर्ज है। 1281/1/1 मि. 3 रकबा 0.025 बंसीलाल पिता अनंतनारायण, पंजी क्रं. 87/2010-11 दिनांक 10.09.2010 से प्रविष्टि दर्ज है। सर्वे नं. 1281/1/1 मि. 4 रकबा 0.010 प्रेमनारायण पिता सत्यनारायण पंजी क्रं. 88/2010-11 दिनांक 10.09.2010 से प्रविष्टि दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय उज्जैन के प्र.क्रं. 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 484, 486, 487/अ-2/1982-83 दिनांक 06.07.1983 से भूमि परिवर्तन किया गया व्यपवर्तित क्षेत्रफल 3790 वर्गमीटर प्रविष्टि कालम नं. 12 में दर्ज है।

13. उपरोक्त भूमिस्वामियों में से अनिल पिता मन्नुलाल जोशी द्वारा उपरोक्त भूमि सर्वे क्रमांक 1281/1/1 रकबा 0.505 हे., सर्वे क्रमांक 1281/1/2 रकबा 0.105 हे. एवं सर्वे क्रमांक 1281/4 रकबा 0.011 हे. के स्वत्व के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में एक वाद क्रमांक 3ए/2019 दिनांक 17.03.2015 दायर किया गया था जिसे कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त आवेदक के स्वत्व के वाद को निरस्त करते हुए उपरोक्त भूमि को तालाब की भूमि माना है। आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त स.क्र. 1281 पूर्व से ही तालाब की भूमि रही है जो कि गोरधन सागर के नाम से प्रचलित है एवं मौके पर भी तालाब है।

अतः जाँच प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
तहसील-उज्जैन नगर
तहसील उज्जैन नगर

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन (म.प्र.)

(भरतपुरी यूडीए भवन द्वितीय तल उज्जैन)

दूरभाष क. 0734-2510597 ईमेल पता: ujjain@mptownplan.gov.in

क्रमांक 574 /नग्रानि/सामान्य/2022

उज्जैन, दिनांक 17/03/2022

प्रति,

कलेक्टर

जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- गोवर्धन सागर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक सामान्य-दो/2022 उज्जैन दिनांक 10.03.2022,

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराया जाता है कि अंगीकृत उज्जैन विकास योजना 2021 में गोवर्धन सागर के सर्वे क्रमांक 1281 का भू-उपयोग जलाशय एवं गोवर्धन सागर तालाब के चारों ओर 30.00 मीटर हरित क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। विकास योजना 2021के भूमि उपयोग मानचित्र एवं जल स्रोतों का विकास व संरक्षण संबंधी बिंदु क्रमांक 17 की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

ae

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
(M) उज्जैन म.प्र.

16. कब्रिस्तान एवं शमशान घाट

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तान एवं शमशान यथावत् रहेंगे. वर्तमान में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यशील कब्रिस्तान एवं शमशान को यथावत् रखने का प्रस्ताव है. जत्र तक कि जनसामान्य की मांग या उचित कारण से कहीं अन्यत्र विस्थापित किये जाने की स्थिति न बने. कब्रिस्तान एवं शमशान घाट के समीप शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है. नये कब्रिस्तान व शमशान घाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे. किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा.

17. जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण

जलस्रोत उज्जैन नगर की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण व अभिन अंग है. उज्जैन नगर का धार्मिक ही नहीं वरन् इकोलॉजिकल महत्व भी है. क्षिप्रा नदी व सप्त सागर इस प्राकृतिक विरासत का भाग है.

उज्जैन : सप्त सागर (जल स्रोत)

2-सा-14


क्र.	विवरण	स्थिति	सागर का स्वरूप	प्रदूषण के कारण	सागर पर प्रभाव	सुधार की संभावना
1	2	3	4	5	6	7
1	रुद्र सागर	● महाकाल मंदिर के समीप.	● रिचार्ज क्षेत्र गंदा नाला व हनुमान नाले का डिस्चार्ज क्षेत्र.	● केचमेंट क्षेत्र में विकसित आबादी का कचरा व सीवेज. ● सागर के क्षेत्र पर निर्माण अतिक्रमण.	● तटों का कटाव तथा किनारों पर नगरीय गतिविधि के कारण पुराव, जल की गुणवत्ता अत्यधिक खराब.	● ग्रंथों के अनुसार क्षिप्रा नदी से जुड़े दो चैनल का पुनर्द्वार सागर के किनारे भवन निर्माण गतिविधि पर रोक. सागर के किनारों पर गंदगी/मलबा हटाना क्षेत्रीय वृक्षों का रोपण व नगर निगम उज्जैन द्वारा प्रस्तावित ईकोसिटी योजना के अनुसार विकास.
2	विष्णु सागर	● अंकपात राम जनार्दन मंदिर के पास.	● डिस्चार्ज क्षेत्र	● सागर में मिट्टी/ गाद का भर जाना. ● सागर में वनस्पति ● सागर की पाल का कटाव.	—	● गहरी करण (डिसिल्टेशन). ● तटों पर वृक्षारोपण.
3	क्षीर सागर (बावड़े रूप)	● स्कंद पुराण अवंतिका कांड में उल्लेख.	● जल संग्रहण क्षेत्र गंधावती का स्रोत किंतु नयी सड़क व कंठाल क्षेत्र के विकास से अवरुद्ध.	● मुख्य कारण मिट्टी का जमा होना (सिल्टेशन).	● पानी का बहाव न होना तथा जल की गुणवत्ता खराब.	● डिसिल्टेशन तथा सफाई. ● तालाब की मरम्मत व सफाई. ● सागर के पर्यावरण हेतु मछली पालन.

1	2	3	4	5	6	7
4	गोवर्धन सागर.	<ul style="list-style-type: none"> ● निकास के पूर्व तथा नगरकोट की रानी देवी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित. ● बुधवारिया चौराहा तथा अंकपात पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल संग्रहण क्षेत्र (सागर को जल प्रदाय करने वाले मुख्य चैनलों की सफाई). 	<ul style="list-style-type: none"> ● सागर का पुराव ● कचरा घर की तरह उपयोग. ● आसपास की आबादी द्वारा शौचालय की तरह उपयोग. ● वृहद रूप में स्थायी निर्माण. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल की गुणवत्ता का अत्यंत खराब होना. ● विभिन्न बीमारियों का घर. ● मच्छर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सागर को जल प्रदाय करने वाले स्रोतों की सफाई. ● मछली पालन से जल की इकोलॉजी सुधारना. ● आसपास की आबादी की सीवेज व्यवस्था में सुधार. ● भविष्य में सागर में कोई पुराव/निर्माण, भराव पर प्रतिबंध.
5	पुरुषोत्तम सागर (सप्त सागर).	<ul style="list-style-type: none"> ● ईदगाह के उत्तर में अंकपात मार्ग पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल संग्रहण क्षेत्र (वर्ष भर) जल उपलब्ध है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● रेत (सिल्टेशन) 	<ul style="list-style-type: none"> ● वर्षा में सिंघाड़े की खेती (200 वर्ष से). 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिंघाड़े की खेती जारी रखी जाये. ● पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है.
6	रत्न सागर (उंडासा-तलाब).	<ul style="list-style-type: none"> ● उज्जैन नगर से 12 कि.मी. दूर मक्सी मार्ग पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिंचाई के उपयोग हेतु तथा आसपास के उद्योगों को जल प्रदाय (सिंथेटिक्स) फेक्ट्री, दुग्ध डेरी. ● पिंगला नदी से जल प्राप्त क्षेत्र. 	<ul style="list-style-type: none"> ● खेती पर उपयोग होने वाली रसायनिक खाद. ● आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल की गुणवत्ता वर्तमान में काफी उपयुक्त है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● आसपास की आबादी एवं गतिविधियों पर नियंत्रण ताकि सागर को जल प्राप्त होने के चैनल बंद न हो.
7	पुष्प सागर (सूरज कुंड)	<ul style="list-style-type: none"> ● रुद्र सागर के समीप साकीपुर क्षेत्र में. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सूरज कुंड के अतिरिक्त मूल स्वरूप नष्ट प्रायः. ● सागर में स्थित बावड़ी में पानी उपलब्ध. 	<ul style="list-style-type: none"> ● बावड़ी पर मकानों द्वारा अतिक्रमण. ● पानी का स्रोत भी बंद हो गया है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिल्टेशन ● जल की गुणवत्ता खराब. 	<ul style="list-style-type: none"> ● मूल स्वरूप को पुनः बनाया जावे. ● जल स्रोत को पुनर्जीवित करना.

नोट.—इन सभी सप्त सागर के अध्ययन से पता चलता है कि इनका मूल स्वरूप व क्षेत्र आसपास के भू-उपयोग के कारण कम होता जा रहा है. सागर के किनारे के क्षेत्र में जहां-कहीं भी मृदा कटाव हुआ है, बचाया जाना चाहिए. आसपास के ग्रामीण क्षेत्र व आबादी को इन जल स्रोतों में होने वाले 'ईकोलॉजिकल' बदलाव के कारण बतलाये जाना चाहिए, ताकि इनका उपयोग ठीक ढंग से हो सके व उज्जैन नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों का अस्तित्व बना रहे.

सप्त सागर के चारों ओर 30 मीटर ग्रीन बेल्ट रखा जाना आवश्यक होगा.





प्रस्तावित उमि

UJJAIN उज्जैन
 DEVELOPMENT PLAN विकास योजना


संकेत प्रणाली		
EXISTING	PROPOSED	
[Symbol]	[Symbol]	RESIDENTIAL
[Symbol]	[Symbol]	COMMERCIAL
[Symbol]	[Symbol]	GENERAL MANDI
[Symbol]	[Symbol]	TRANSPORT MANDI
[Symbol]	[Symbol]	INDUSTRIAL
[Symbol]	[Symbol]	PUBLIC & SEMI PUBLIC
[Symbol]	[Symbol]	PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
[Symbol]	[Symbol]	RECREATIONAL
[Symbol]	[Symbol]	PARK
[Symbol]	[Symbol]	STADIUM
[Symbol]	[Symbol]	ENVIRONMENTAL FORESTRY
[Symbol]	[Symbol]	TRANSPORTATION
[Symbol]	[Symbol]	ROADS
[Symbol]	[Symbol]	BUS STAND
[Symbol]	[Symbol]	RAILWAY LINE
[Symbol]	[Symbol]	RAILWAY STATION
[Symbol]	[Symbol]	OVER BRIDGE
[Symbol]	[Symbol]	WATER BODIES
[Symbol]	[Symbol]	AGRICULTURAL
[Symbol]	[Symbol]	SINGHASTH MELA AREA
[Symbol]	[Symbol]	VILLAGE BOUNDARY
[Symbol]	[Symbol]	PLANNING AREA


 (सिद्धि धीरू मुकुजी)
 संचालक
 नगर स्थापना विभाग
 म.प.भोपाल

18/11/05
 18/11/05



UJJAIN उज्जैन
DEVELOPMENT PLAN विकास योजना




EXISTING		PROPOSED	
RESIDENTIAL	[Yellow]	[Yellow]	आवासीय
COMMERCIAL	[Orange]	[Orange]	वाणिज्यिक
GENERAL MANDI	[Black]	[Black]	सामान्य
TRANSPORT NAGAR	[Black]	[Black]	परिवहन नगर
INDUSTRIAL	[Red]	[Red]	औद्योगिक
PUBLIC & SEMI PUBLIC	[Dark Red]	[Dark Red]	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES	[Black]	[Black]	सार्वजनिक सुविधाएँ
RECREATIONAL	[Green]	[Green]	आनंद भूमी
PARK	[Light Green]	[Light Green]	उद्यान
STADIUM	[Dark Green]	[Dark Green]	स्टेडियम
ENVIRONMENTAL/FORESTRY	[Light Blue]	[Light Blue]	वातावरण संरक्षण
TRANSPORTATION	[Grey]	[Grey]	परिवहन
ROADS	[White]	[White]	सड़कें
BUS STAND	[Black]	[Black]	बस खड़ा
RAILWAY LINE	[Black with cross-ticks]	[Black with cross-ticks]	रेलवे लाइन
RAILWAY STATION	[Black with cross-ticks]	[Black with cross-ticks]	रेलवे स्टेशन
OVER BRIDGE	[Black with cross-ticks]	[Black with cross-ticks]	ओवर ब्रिज
WATER BODIES	[Blue]	[Blue]	जलसंधारण
AGRICULTURAL	[Light Yellow]	[Light Yellow]	कृषि
SINGHASHTH MELA AREA	[Yellow]	[Yellow]	सिंहस्थ मेला क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY	[Dashed line]	[Dashed line]	ग्राम सीमा
PLANNING AREA	[Dotted line]	[Dotted line]	नियंत्रण क्षेत्र


 (वी.पी. मीर मुकुजी)
 संचालक
 नगर स्था. ग्राम निवेश
 म.प्र.भोपाल

18/11/08
 18/11/08
 18/11/08



UJJAIN **उज्जैन**
DEVELOPMENT PLAN विकास योजना




वर्तमान प्रस्तावित
EXISTING PROPOSED

RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
GENERAL MANDI		सामान्य मण्डी
TRANSPORT NAGAR		यातायात नगर
INDUSTRIAL		औद्योगिक
PUBLIC & SEMI PUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES		सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
PARK		उद्यान
STADIUM		स्टेडियम
ENVIRONMENTAL / FORESTRY		नगर बन एवं पर्यावरण वानिकी
TRANSPORTATION		यातायात
ROADS		मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
RAILWAY LINE		रेलवे लाईन
RAILWAY STATION		रेलवे स्टेशन
OVER BRIDGE		ओवर ब्रिज
WATER BODIES		जलाशय
AGRICULTURAL		कृषि
SINGHASHTH MELA AREA		सिंहस्थ मेला क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY		ग्राम सीमा
PLANNING AREA		निवेश क्षेत्र

(Signature)
18/11/08
(Signature)
18/11/08
(Signature)
18/11/08

(दीप्ति गौड़ मुकजी)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.गोपाल



दफा ८१.—(१) किसी ऐसी खास मुस्तसनायात की पावन्दी के साथ जो गवर्नमेन्ट तजवीर जायदाद मकरूजा कमेटी के तमाम ऐसी किस्म की जायदाद जिसको दफे इजा के जैल में तशरीह की गई है, और जो म्युनिसिपैलिटी के अन्दर बाँटे हो, कमेटी के कब्जे व दखल में आजायगी और उसको मिल्कियत होगी और मय हीगर जायदाद के जो उसके कब्जे व दखल में आये उसके एह्तयाग व इन्तजाग और निग्रानी में रहेगी, और उसे वह इत फानूत की अघरात के छिपे कब्जे में रखेगी, और सौ करोगी पानी:—

[अलिफ] तमाम पब्लिक शहर पनाहें व दरवाजे व बाँडियां व जिबदाखानेजात, व खार और मिशाना के मोशाम, और हर किस्म की पब्लिक इमारतें, जो सयामे म्युनिसिपल से बनाई गई हों, या कायम रखी जाती हों.

[बे] तमाम पब्लिक मदिनां और चशमें, और मकासिद पब्लिक के छिपे पानी व चिन्ली, साने और जमा रखने, और तफ्तीम करने की तामीरात और तमाम पुख व इमारतें व कलें व असबाब और चीजें जो उनके साथ बाँस्ता रखती हों, या उनसे मुतअडिक हों और नीज कोई जमीन मुत्तसिल (जो खानगी जायदाद न हो) किसी पब्लिक ताखाम या कुबे से मुतअडिक हों.

[जीम] तमाम पब्लिक जमींदोज व मोरियां व सुली मोरियां और तमाम जमींदोज व खुली हुई मोरियां और कलवर्देम (ताखियां) व पानी के बहाव की ताखियां जो किसी शहर आम में या उसके सरायद या नीचे हों और तमाम तामीरात और मसाखद और चीजें जो उनसे मुतअडिक हों.

[दाल] तमाम फूटा, या निशानत, या मोशर, या टाल, या फुखला या माहा हैवानो, या गिशानत, या कितो किस्म का कुडा, या कचरा, या जानवरों की लाशें, जो कमेटी कृषी या बगों या जायमहलों या जमींदोज मोरियां या इन्जितमार गिशानत की अघेदों, या और मकातात से जमा करें, या दफे ९६ के समुजिय मकायात मुकरर कमेटी में जमा हो.

[हे] तमाम पब्लिक टालदेम और टालदेमों के खम्बे और आछात जो उनके साथ रगें हूये हों या उनसे मुतअडिक हों.

[वाय] तमाम जमीन और जायदाद जो मिन्जानिय गवर्नमेन्ट या किसी शहस के बजारिये दिया या खरीद या और तरह मकाशी मकासिद आम के छिपे कमेटी के हक में मुतअडिक हों.

[जे] तमाम झोकमय काम और उनके परी और परफा और मसाखे व नीज तमाम दरखत और तामीरात और मसाखे और औजार और दीगर चीजें जो ऐसे शायदाय आम के छिपे मुहयवा की गई हों.

(२) गवर्नमेन्ट को इखितपाए है कि यजरिये नोटिफिकेशन मुन्दजे मयाखिथार स्टेर गजद, हिदायत को कि कोई जायदाद जो हस्व दफे तदती (१) कमेटी के कब्जे में आई हो ऐसे कब्जे में न रहे और इस पर जायदाद जिसको तशरीह नोटिफिकेशन में की गई हो कमेटी के कब्जे में नई रहेगी और गवर्नमेन्ट निस्वत सुपुर्दगी व इन्तजाग ऐसी जायदाद के हुक्म मुतअडिक सादिर करेगी. * मगर शर्त यह है कि, जब गवर्नमेन्ट अपने छिपे आराजी उफतादा को या उस जायदाद को, जो गवर्नमेन्ट ने म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द की हो, लेना चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा. और जब गवर्नमेन्ट किसी ऐसी जायदाद को, जो म्युनिसिपैलिटी ने अपने सरमाये से बनाई हो या किसी आराजी उफतादा या जायदाद को, जो म्युनिसिपैलिटी को मिल्कियत हो, किसी तीसरे शहस के छिपे तहत दफा इजा हाखिख को तो म्युनिसिपैलिटी को फानूत हुक्म आराजी, सम्मत १९७४, के हिस्सा दोषम के अहकाम के मुताबिक मुआवजा दिया या दिखबाया जायगा. "

दफा ८२.—(१) हर एका पब्लिक इन्स्टिट्यूशन (पब्लिक कारखाना) जो सरमाये पब्लिक इन्स्टिट्यूशन म्युनिसिपल से कायम हो उसका एह्तयाग व निग्रानी और इन्तजाग कमेटी के हाथ में होगा.

मगर शर्त यह है कि किसी ऐसे कारखाने की निस्वत कमेटी को जो आजाद इखितपाए होगा उसकी हर का तजय्युन गवर्नमेन्ट कर सकेगी.

(२) जब कोई पब्लिक कारखाना कमेटी के एह्तयाग व इन्तजाग और निग्रानी में रखला जाय तो तमाम जायदाद और देवन (बरक) और सरमाया जो उसके मुतअडिक हो बगवानत उन अघरात के छिपे कमेटी के कब्जे में रहेगा जिनके यदने ऐसी जायदाद और देवन (बरक) और सरमाये का सर्क करना, उस कारखाने के इस तरह खुद सुपुर्द किने जाने के यक्त जायज था.

बाब पांचवां. पुलिस.

दफा ८३.—हर शहस अन्डे पुलिस पर खामिज है कि हर ऐसे जुर्म को इसला जिसका पुलिस का कर्ज निस्वत इतिफाव इस फानूत या कवाअद या बाइजाज (दस्तूख-बागल) के खिखार मरद ओहदेदारान म्युनिसिपल दअरि जामयम मरूअ में आये फिलसोर कमेटी को पहुंचाये और उसे खामिज होगा कि शायअडिक कामत व कवाअद व बाइजाज इखितपादात के इस्तेमाल में मदद देये.

* दफा ८१ के जिमान (२) के खाली में यह इबात इजाफा की गई (फरम करेवरान सिलब नम्बर १०, ता० १५-११-२० ई०, मतयुआ गवालिभार गवर्नमेन्ट गजद, ता० २२-११-२० ई०, मयजय खिखारिये एन्ड तजय्युनल डिगर्नमेन्ट).

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट.

259

गिस्त नम्बर १९२५, २१ गिस्त.

मजकूर आम, समस्त १९२०, में फर्द नम्बर २ के तजवीज नम्बर ९ वा तह ठहराव हुआ या कि

"(१) तीर्थ स्थानों की व नोज ऐसे जमींदारी ताछावों की, जिनके सिवाय गांधियाली को दीगर जर्ग थापनोशी नहीं है, परगनेवार केहरिस्त, जिसमें ताछ के गाम को साफ तशरीह हो, याद संगभत व फेसछे वजरात नदीदार मुतअल्लिका, मारफत तहसील मुसत्तिय की जावे और इस किस के सरकारी वा म्युनिसिपैलिटी के ताछावों की केहरिस्त महकमे आवपाशी व म्युनिसिपैलिटी दे.

(२) इन गुल्फा ताछावों की केहरिस्त म्यालियर गवर्नमेन्ट गॅसेट में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से शाया कराई जाकर इस अंश का नोटिफिकेशन किया जावे कि, तारीख नोटिफिकेशन के बाद के जोछाई महाने से इन ताछावों में काश्त सिवाडा न की जावे. आयन्दा अगर मवाजिवात मुतअल्लिका में दीगर जराये आवनोशी गिदा दी तो यह रोक उठाछी जावे."

यह ठहराव दरबार से मंजूर करमाया गया, जिसकी इशाअत म्यालियर गवर्नमेन्ट गॅसेट, तारीख १८ अक्टूबर सन १९२४ ई० के सका ७२७ पर जर्ज नोटिफिकेशन नम्बर २२, लेजिस्लेटिव एन्ड जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, से हुई है.

लिहाजा हरव ठहराव सदर जमींदारी, सरकारी व म्युनिसिपल ताछाव व तीर्थ स्थानों की केहरिस्त वास्ते आगाही हर खास व आम जैल में दी जाती है. सरकारी व म्युनिसिपैलिटी के ताछावों में यह काश्त न होने का इन्तबाम महकमे आवपाशी व म्युनिसिपैलिटी करेगे. और जमींदारी ताछावों में न होने की निगानी जिम्मे नायब तहसीलदार, सरकिल, रहेगी. (नायब तहसीलदार प्रोपेगेंडा भव कायम न रहने से.)

इन ताछावों में तारीख १ जोछाई सन १९२५ ई० से काश्त सिवाडे की मुमानियत समझी जावे. अस्त खिलाफवर्जी कार्रवाई मुताबिक कलम नम्बर (४) धगावत (७) मुन्दजे ठहराव की जावेगी, कलम नंबर (४) धगावत (७) वास्ते बाकफियत आम व ऑफिसरान मुतअल्लिका जैल में दिवे जाते हैं:—

कलम नंबर (४)—अगर कोई शख्त खिलाफवर्जी करे तो नायब तहसीलदार प्रोपेगेंडा का फर्ज होगा कि इसकी इच्छा फौन तहसील को करे. ऐसी इच्छा गिलते ही तहसीलदार एक नोटिस खिलाफवर्जी करने वाछे शख्त या अशाखास के नाम जारी करे कि वह इस काश्त को तारीख पहुंचने नोटिस से एक माह के अन्दर जाया करके पानी को साफ करे और इस तारीख की इच्छा बाद तहसील नायब तहसीलदार प्रोपेगेंडा अन्दर मियाद तहसील में दाखिल करे.

कलम नंबर (५)—अगर अन्दर मियाद नोटिस तामीची इच्छा खिलाफवर्जी करनेवाले की ताफ से दाखिल न हो वा कोई उन्नदारी पेश न हो तो तहसीलदार का मजाब होगा कि अज खुद काश्त जाया कराकर पानी को साफ करावे और इसमें जो सका हो वह मय जुमान, जिसकी सादाद रकम सर्फ के दुचद तक हो सकती है, खिलाफवर्जी करने वाछे, शख्त से वासल करे. रकम सर्फा वापिस जमा होगी और रकम जुमाना सिवाय जमा की जावे. मियाद नोटिस खत्म होने के बाद कार्रवाई तहसीलदार की निम्नत कोई अपील समाभव न होगी.

कलम नंबर (६)—नोटिस खिलाफवर्जी पहुंचने पर अगर खिलाफवर्जी करने वाछे शख्त को यह उम हो कि वह खिलाफवर्जी का जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसा उम दे जाने के स्थाप के साथ तहसील में अन्दर मियाद नोटिस पेश कर सकता है. ऐसा उम देने पर तहसीलदार

२. परगना सवलपाद.

१. मोहन मोहनरावसिंह, जमींदार, मीना मना का मी.
साहित गुमनाम.

२. मंगलसिंह, जमींदार, मीना मोहारी.
३. मुलाय, रावत, जमींदार, मीना मंगरीक.
४. मकई जमींदार, मीना सुनेहेरा.

३. परगना अंपाद.

१. श्रीधरी अंगनापति, साकिन ओटई.
२. श्रीधरी नंदम, साकिन मुलायत.
३. ठाकुर जोरसिंह, मेवर, पंचायत बोर्ड, फसलदा.
४. श्रीधरी मजूमसिंह, जमींदार मेवर, पंचायत बोर्ड.
५. पणित गुंगाराम, मांढण, सरपंच, पंचायत बोर्ड.

४. परगना चूरापाद.

१. शिवलाल वरद रागनेद, गुजर, मोडेरी.
२. विजयसिंह वरद श्रीवाळ, ठाकुर, मिरकपुरी.
३. कोटाराम वरद लाडाराम, कोव वैश्य, मीना मी.
४. लूजवाळ वरद टीकाराम, स्वामी, कोम मांढण, मुरेता गांव.
५. श्यालसिंह वरद लाडाराम, मीना गिरवान.

२. जिला शोपुर.

१. परगना शोपुर.

१. मंगलाल वरद शोयक्ष, धोकर, मेवरदार, साकिन अजापुरा.
२. लालजी वरद रामरक्ष, मीना, मेवरदार, मीना यंड.
३. गोवाळ वरद उंकार, कोम मीना, साकिन मीना हलगावदा घु.
४. रामचंद्र वरद भीकार, कोम मीना, मेवरदार, साकिन वाडीखेडा.
५. पनाळाल वरद बळदेव, कोम मीना, मेवरदार, साकिन मोई कला.

२. परगना विजयपुर.

१. रामलाल वरद खेमचंद, मीना, जमींदार, सुनुवा.
२. किरानलाल वरद गुलाबचंद, मारथाडी मांढण, जमींदार, मदा.
३. जगन्नाथ वरद पन्नालाल, बनिपा, जमींदार, मीना मयामनी.
४. गोविंदलाल वरद नंद, ब्राह्मण, जमींदार, मीना मारवा.
५. मराठी वरद ननु, बनिपा, जमींदार, मीना मारवा.

३. जिला नरवर.

१. परगना धिवपुरी.

१. गोपीलाल वरद पन्नालाल, कायस्थ, जमींदार, मीना मोरामा.
२. रागमोवाळ वरद मोहनलाल, मांढण, जमींदार, मीना खोस्थार.
३. काळहनस वरद भुगवानलाल, मांढण, जमींदार, मीना मुलायत.
४. कृष्णवल्लभ वरद मूळचंद, वैश्य, जमींदार, मीना शती किरा.
५. सोभाचंद वरद गानकचंद, वैश्य, जमींदार, मीना यरोदी.

२. परगना करेरा.

१. गोपिलाल वरद यालापसाद, कायस्थ, जमींदार, कस्था करेरा.
२. गजराजसिंह वरद दीळतसिंह, ठाकुर, साकिन जमींदार मीना तोडा पिछोर.
३. वनास्तीदास वरद लखमनदास, पंचावी मांढण, साकिन दिनारा, जमींदार, मेवडी खुर्द.
४. सुरतमसाद वरद लाडाराम, तिवारी, साकिन नखर.
५. वनसुन्दर वरद सुन्दरसिंह, रावत, सरपंच, बोई दिहावळा.

३. परगना पिछोर.

१. रावत दीळतसिंह, जमींदार, मीना मोहासा.
२. विश्वनाथ, जमींदार, मीना हिमतपुर डामरोन.
३. निर्मय, जमींदार, मीना कमालपुर.
४. पन्नालाल, जमींदार, मीना लाखारी.
५. भूरेसिंह, जमींदार, मीना गढरोली.

४. परगना कोलारस.

१. जोरायरोसिंह वरद जवाहरसिंह, दांगी, साकिन पंचायली.
२. थारिलाल वरद श्रीचंद, बनिपा, साकिन वृटा डोंगर.
३. धर्मजीत वरद परतापसिंह, रावत, जमींदार, सेसवे यु.
४. जापदहसेन वरद हागिबहुसेन, मुसलमान, जमींदार, देहरवारा.
५. हैदरखली वरद अन्दुलहसन, मुसलमान, मेवर, बोई अफासिरी.

55

26

जिल्हा सचिव

भागा-जिजा व कर परगना, भागा-तीर्था व तीर्थ स्थान, भागा-गोजा जिजा व तीर्थ स्थान

- २२. भागा-काटीदा, काटीदा.
- २३. भागा-जाट, जाट.

तालाब व तीर्थ स्थान जेर अहलमामे न्युनिसेपेळिजीज

- १. जिजा भिडे, परगना भिडे
- २. जिजा शिवाण्डे परगना गुणप्रली
- ३. जिजा उळ्हेन, परगना उळ्हेन
- ४. ताळाव मुजरिया, गुणप्रली
- ५. हरसिदी ताळाव, उळ्हेन
- ६. क्षीरसागर, ताळाव
- ७. दुधतळाई
- ८. राजकुंड
- ९. विष्णुसागर
- १०. मळासा
- ११. सोळासागर
- १२. धमराज कातेचयो
- १३. गीळगंगी
- १४. भाशातळाई

गोवा सरकार गवर्नमेंट ऑफिस, ताराख १३ जून सन १९२५ ई०. मॅजिस्ट्रेट नोटिफिकेशन बाबत कायदा जमींदारी बोर्डस इन्तखाव मेन्बरांत बोर्ड हाय अजकायानिडे, मोल्सा, उळ्हेन, शंजापर व गन्दसो का इन्तखत ही चक्रा हे इती नोटिफिकेशना के सिलसिले मे अजकाय तवरघार, गोपुर, नरवरे शिवाण्डे, अमदरा व तीन परगनांत जिजा भिडे के मुन्तखिब मेन्बरांत बोर्डस के तणा वारते आगाही हर खांत व आम जेळ मे दिव्य जाते हे कायदे अर्पना काम मुकाम तह नीळ पर शक जोलाई सन १९२५ ई० से शुरू करेग. ओर मेन्बरांत बोर्डस वसरत राय स अर्पने मे से एक को प्रेसीडेन्ट तजवीज करेग व बोर्ड का काय तीन मेन्बरांत का होगा. बोर्डस इन्त खान्त ताळ के डिप यानिसेपेळ १९८७ अखर समाप्ता जावगा.

- १. जिला तवरघार
- (१) परगना जारा
- २. श्रीकृष्ण वरद शिरोसिह, ठाकुर, साकिन
- ३. गजाप्रसिह वरद परमानंद, ठाकुर, साकिन
- ४. वरमिलासिह वरद गानेसिह, ठाकुर, साकिन
- ५. गोपीराज वरद गाम्पसिह, ठाकुर, साकिन
- ६. गोविंदसिह वरद गाम्पसिह, ठाकुर, साकिन

दफा ८१.—(१) किसी ऐसी बात मुद्रसतसिपात की पावन्दी के साथ जो गवर्नमेन्ट तजवीज
जायदाद परकुरा कियेगी. जरे तमाम ऐसी किस्म की जायदाद जिसकी दरजे हाजा के जेज में तसरीह की
गई है, और जो म्युनिसिपैलिटी के कब्जे पर है, कमेटी के कब्जे पर दखल में आजायगी और उधकी
मिलिकत होगी और मग होकर जायदाद के जो उसके कब्जे पर दखल में आये उसने एहरगाम व इन्तिजाम
और निजामती में रहेगी, और उसे तह इत कानून की अपराज के लिये कब्जे में रहेगी, और तह
कोगी यानी:—

[अलिफ] तमाम पब्लिक जहर परहों व दरवाजे व नदियां व जिनहाखानेजाम, व खार
और मिडीज के मोराम, और हर किस्म की पब्लिक इमारतें, जो सरगामे
म्युनिसिपल से बनाई गई हों, या कायम रखी जाती हों.

[बे] तमाम पब्लिक नदियां और चर्मों, और मकसिद पब्लिक के लिये पानी,
न बिक्री, खाने और जमा रखने, और तस्रीम करने की तमोरात और तमाम
पुख व इमारतों व फलों व असबाब और चीजें जो उनके साथ बास्ता रखती
हों, या उनसे मुशबिहत हों और नीज कोई जमीन मुससिल (जो खानगी
जायदाद न हो) किसी पब्लिक साखम या हुजे से मुशबिहत हों.

[जीम] तमाम पब्लिक जर्मिडोज व मोरियां व खुली मोरियां और तमाम जर्मिडोज व
खुली हुई मोरियां और कलबदेस (नारिधियां) व पानी के बहाव की तखिज
जो किसी जारे आम में या उसके सपामर या नीचे हों और तमाम तामीरात
और मसाख और फांज जो उनसे मुशबिहत हों.

[दाख] तमाम कुंड, या निजामत, या मोर, या शाय, या कुजला या मादा देवानो, या
निजामत, या किसी किस्म का कुंड, या कचरा, या जानवरों की छाई, जो
कमेटी कृपा या धर्म या जायदादों या जर्मिडोज मोरियों या इन्तिजाम
निजामत की कमेटी, या और मकामत से जरा को, या दफे ९६ के बर्जिन
मकामात मुकर्रम कमेटी में जाय हो.

[ई] तमाम पब्लिक खालदों और खालदों के खन्धे और आछात जो उनके साथ
रहे हों या उनसे मुशबिहत हों.

[यास] तमाम जमीन और जायदाद जो मिल्गामिय गवर्नमेन्ट या किसी शालस के
बजारिये हिया या कमीद वा और तरह मकामो मकामिद आम के लिये
कमेटी के दफे में मुससिल हों.

[जे] तमाम शारेखाम आम और उनके फरी और फरफ और मसाखे व नीज तमाम
दखल और सामीदात और मसाख और शीजाद और हीजर चीजें जो एते
शारेखाम आम के लिये मुद्रया की गई हों.

(२) गवर्नमेन्ट को इकितयार है कि बजारिये मोडिफिकेशन मुद्रजे मकामिदयार
स्टेट गजट, तिरायत को कि कोई जायदाद जो हस्न दफे तदती (१) कमेटी के कब्जे में आई हो देने
कब्जे में न रहे और इस पर जायदाद जिसकी तसरीह मोडिफिकेशन में की गई हो कमेटी के कब्जे में
नहीं रहेगी और गवर्नमेन्ट निस्वत सुपुर्दों व इन्तिजाम ऐसी जायदाद के इन्तिजाम मुससिल सादिर करेगी.
* " मगर शर्त यह है कि, जब गवर्नमेन्ट अपने लिये आराजी उपतादा को या उस जायदाद
को, जो गवर्नमेन्ट ने म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द की हों, लेना चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को कोई मुआवजा
नहीं दिया जायगा. और जब गवर्नमेन्ट किसी ऐसी जायदाद को, जो म्युनिसिपैलिटी ने अपने सरमाधे
से बनाई हो या किसी आराजी उपतादा या जायदाद को, जो म्युनिसिपैलिटी को निस्किगत हो, किसी
तोशरे शालस के लिये तहत दफा हाजा हासिल को तो म्युनिसिपैलिटी को कानून इम्तूख आराजी,
सम्मत १९७४, के हिस्सा दोषम के अहकाम के मुताबिक मुआवजा दिया या दिखनाया जायगा."

दफा ८२.—(१) हर एक पब्लिक इन्स्टिट्यूशन (पब्लिक कारखाना) जो सरगामे
पब्लिक इन्स्टिट्यूशन म्युनिसिपल से कायम हो उसका एहरगाम व निजामती और इन्तिजाम कमेटी
(पब्लिक कारखानो) का के हाथ में होवा.

मगर शर्त यह है कि किसी ऐसी कारखाने की निस्वत कमेटी को जो गजाद इकितयार होवा
सतकी हद का तजबुज गवर्नमेन्ट कर सकेगी.

(२) जब कोई पब्लिक कारखाना कमेटी के एहरगाम व इन्तिजाम और निजामती
में रखला जाय तो तमाम जायदाद और देब (बरफ) और सरमाधे जो उसके मुशबिहत हो सरगामे
सन अपराज के लिये कमेटी के कब्जे में रहेगा जिनके बास्ते ऐसी जायदाद और देब (बरफ) और
सरमाधे का सर्त करना, उस कारखाने के इस तरह खुर सुपुर्द किये जाने के पस जायज था.

बाब पांचवां. पुलिस.

दफा ८३.—हर शालस सम्झे पुलिस पर खजिम है कि हर ऐसे खुर की इसका निजामत
शक्ति या कर्ज निस्वत इतिकाम इस कानून या कयाअद या माइजान (दस्तूख-अयल) के तिमक
मदद औरदेवारान म्यु- बरफ में आये किलकोर कमेटी को पड़ेवाये और उसे खजिम होवा कि
निसिपल दशारे जरायम कमेटी के तमाम मेम्बरो और ओददेवारों और मुजामिमी को उनके जायज
मुशबिहत कयायत व इतिकथारात के इस्तेमाल में मदद देते.
कयाअद व माइजान.

* दफा ८३ के नियम (२) के अखीर में यह इशारा इजाअत की गई (पब्लिक कारखाने सिंज
नम्बर १०, ता० १५-११-२४ ई०, मसुदा मकामिदयार गवर्नमेन्ट गजट, ता० २२-११-२९ ई०, मसुदा
मिनिस्टरीय एन्ड जर्मिडोज डिपार्टमेन्ट).

1-2-9

क्वालिफर गवर्नमेन्ट गिडेट, तारीख २७ जून सन १९२५ ई०.

भा. लोकटो के तहसीलवा-रुका कितना ब्राह्मण मुभातवा गीना को, येत केसके की कमी
 मुभात में तारीख भिन्ने पुनम से अन्तर निमाद की कता ही तकती है; लेकिन इसका अर्थ
 के अन्तर में तारीख मुभातिका एसाई माल मुकसमी मदी की जायेगी.
 कलम नंबर (७) - भारत सिमाका जिन ताकागी में कोरे की मुभातिका की कमी यहाँ पर की जाने पर उपर
 काया किये जाने से जो मुभात दो डपके मुकसमिक कोर काया बिबिक तरकीबका
 समाप्त न होया.

केहरित सालाबहाय आवनोशी घ तीर्थ स्थान जिनमें काइत सिधाडा मन्नुश रखना है.

नंबर सिवहिल.

नाम जिला व फेड परगना. नाम सालाब वा तीर्थ स्थान. नाम गीजा जिनमें तयार या तीर्थ स्थान बाके है. रिवाज.

तालाब जमींदारी जेर अहतमाम महकमे माल.

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|
| १. जिला भेइसा, परगना बासोदा | १. तालाब सुखपुरा | सुखपुरा |
| २. जिला उजैन, परगना लाचरोद | २. तालाब कनखेडा | कनखेडा |

तालाब सरकारी जेर अहतमाम महकमे आवपायी.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| १. जिला सोपुर, परगना सुवखगढ | १. तालाब रामगढ | रामगढ |
| २. जिला नरवर, परगना शिवपुरी | २. " डोगरा | डोगरा |
| ३. जिला ईसागढ, परगना ईसागढ | ३. " सुकरा | सुकरा |
| ४. जिला उजैन - | ४. " मुडेरी | मुडेरी |
| - १. परगना उजैन | ५. " ईसापुरा | ईसापुरा |
| २. परगना लाचरोद | ६. " उन्हेल | उन्हेल |
| ५. जिला मरसौर - | | |
| १. परगना दुर्वासरा | ७. " खनाथपुरा | खनाथपुरा |
| २. परगना नीमच | ८. " जावी | जावी |
| | ९. " शक्तिवाडा | शक्तिवाडा |
| | १०. " नीमच | नीमच |
| | ११. " वरुखेडा | वरुखेडा |
| | १२. " पीपल्या बाग | पीपल्या बाग |
| | १३. " रातडिया | रातडिया |
| | १४. " सगराना | सगराना |
| | १५. " देवडा | देवडा |
| | १६. " जमनिया कला | जमनिया कला |
| | १७. " चउखेडा | चउखेडा |
| (६) टया सिगोली | १७. तालाब सिगोली | सिगोली |
| | १८. " भडोद | भडोद |
| | १९. " महेसा | महेसा |
| | २०. " पटया | पटया |
| | २१. " डुकरा | डुकरा |

5

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट

259

गवर्नमेन्ट गैझेट, तारीख: २७ जून सन १९२५

मजदूर आम, संघर्ष १९२०, में फर्द नम्बर २ के तजवीज नम्बर १ या यह ठहराव हुआ था कि
"(१) तीर्थ स्थानों की व नोज ऐसे जमींदारी ताबानों की, जिनके सिवाय गंधियाओं को दीगर जर्ग आग्नेवी
नहीं है, परामेवार केहरिस्त, जिसमें ताब के नाम को साफ तशरीह हो, प्राद संगीत व फेसछे डजरात जमींदार
मुतअल्लिका, मारफत तहसील मुरत्तिय की जावे और इस किम के सरकारी वा म्युनिसिपैलिटी के तारावों की केहरिस्त
महजमे आबपाशी व म्युनिसिपैलिटी दे.

(२) इन जुम्हा ताबानों की केहरिस्त ग्वाडियर गवर्नमेन्ट गैझेट में 'रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट' में शायद काई आकर
इस भय का नोटिफिकेशन किया जावे कि, तारीख नोटिफिकेशन के बाद के जोछाई नहीने से इन ताबानों में काइत
सिवादा न की जावे, आयुदा अगर मवाजिवात मुतअल्लिका में दीगर जराये आबनोशी गिदा हों तो यह रोक
उठावी जावे,।

यह ठहराव दरवार से मंजूर करमाया गया, जिसकी इशाअत ग्वाडियर गवर्नमेन्ट गैझेट, तारीख १८ अक्टूबर
सन १९२४ ई० के सफा ७२७ पर जर्गे नोटिफिकेशन नम्बर २२, लेजाट्रैटिव एन्ड जुदीशियल डिपार्टमेन्ट, से
हई है.

लिहाजा हरेव ठहराव सदर जमींदारी, सरकारी व म्युनिसिपल ताबाव व तीर्थ स्थानों की केहरिस्त वास्ते
आगाही हर खास व आम जैल में दो आती है. सरकारी व म्युनिसिपैलिटी के ताबानों में यह काइत न होने का इन्तजाम
महजमे आबपाशी व म्युनिसिपैलिटी फीमे, और जमींदारी ताबानों में न होने की निगानी जिमेव नायव तहसीलदार,
सरकिल, रहेगी. (नायव तहसीलदार प्रोवेगेन्डा भय कायम न रहने से.)

इन ताबानों में तारीख १ जौछाई सन १९२५ ई० से काइत सिवादे की मुमानियत समझी जावे, अतः
लिखाफवर्जी कारवाई मुताबिक कक्रम नम्बर (४) चगावत (७) मुदजे ठहराव की जावेगी, कक्रम नंबर (४) चगावत (७)
वास्ते बाकाफियत आम व ऑफिसरान मुतअल्लिका जैल में दिये जाते हैं:—

कलम नंबर (४)—अगर कोई शख्स लिखाफवर्जी करे तो नायव तहसीलदार प्रोवेगेन्डा काफर्ज होगा कि
इसकी इच्छा फौरन तहसीलदार को करे. ऐसी इच्छा मिलते ही तहसीलदार एक नोटिस
लिखाफवर्जी करने वाचे शख्स या अशाखास के नाम जारी करे कि वह शख्स को तारीख
पहुंचने नोटिस से एक माह के अन्दर जावा करके पानी को साक करे और इस तारीख की
इच्छा बाद तहसीलदार प्रोवेगेन्डा अन्दर गियाद तहसील में दाखिल करे.

कलम नंबर (५)—अगर अन्दर गियाद नोटिस तारीखी इच्छा लिखाफवर्जी करनेवाले की तरफ से दाखिल
नहीं हो या कोई उअदारी पेश न हो तो तहसीलदार का मजबूत होगा कि मजबूत काराव
आया काराकर पीना को साक करे और इसमें जो सफाई हो वह मजबूत होगी, जिसका
सादाद रकम सेके के दुचन्द तक हो सकती है, लिखाफवर्जी करने वाचे शख्स से वास्त
को रकम सर्मा बापिस जमा होगी और रकम जुगना सिवाय जमा की जावे. गियाद
नोटिस लम्ग होने के बाद कारवाई तहसीलदार की निद्वत कोई अपील संगीत न होगी.

कलम नंबर (६)—नोटिस लिखाफवर्जी पहुंचने पर अगर लिखाफवर्जी करने वाचे शख्स को यह उअर हो
कि वह लिखाफवर्जी का जिमेदार नहीं है, तो ऐसा उअर पेश जाने के स्थान पर साय
तारीख में ग्याद गियाद नोटिस पेश कर सकता है. ऐसा उअर पेश होने पर तहसीलदार

३. परगना सपलपाद.

१. शिवजी शिवजीराव, जमींदार, मीजा राजा का नीर, साकिन गुमनाम.

२. शिवजीराव, जमींदार, मीजा सोहेरा, साकिन गुमनाम.
३. रामसिंह, जमींदार, मीजा सोहारी.
४. मुकाम, सपल, जमींदार, मीजा मंगरीक.
५. नरक, जमींदार, मीजा सुवेहेरा.

२. परगना अंमदा.

१. श्रीधरी अण्णापति, साकिन गोठई.
२. श्रीधरी चंदम, साकिन पुसायल.
३. डाकुर जोरसिंह, गेवर, पंचायत बोर्ड, कंसमदा.
४. सोनरी गजेंद्रसिंह, जमींदार गेवर, पंचायत बोर्ड.
५. प्रथित गुणाराम, माण्डण, सलंच, पंचायत बोर्ड.

४. परगना नूराबाद.

१. शिवलाल बख्त रागचंद, गुजा, भोडिरी.
२. विजेसिंह बख्त श्रीवाळ, ठाकुर, गिरकपुषा.
३. कोटाराम बख्त लाळाराम, कोन देव्य, मीजा मी.
४. तुंजवाळ बख्त टीकाराम, स्वामी, कोम माण्डण, गुरिता गांव.
५. ग्याळसिंह बख्त लाळाराम, मीजा गिरघान.

२. जिल्हा शोपुर.

१. परगना शोपुर.

१. मंगलाल बख्त शोभक्ष, श्रीकड, नंवरदार, साकिन अजापुरा.
२. लालजी बख्त रामबळ, मीजा, नंवरदार, मीजा शंढ.
३. गोपाळ बख्त ठंकार, कोम मीना, साकिन मीजा इलमीवडा, घु.
४. रामचंद्र बख्त भीका, कोम मीना, नंवरदार, साकिन वाडीखंडा.
५. पंताळाल बख्त बळदेव, कोम मीना, नंवरदार, साकिन गोई कभा.

२. परगना विजयपुर.

१. रामलाल बख्त लोमचंद, मीना, जमींदार, सुनेवाई, जमींदार, मडा.
२. केशनलाल बख्त गुलाबचंद, नारधाडी माण्डण, जमींदार, मडा.
३. जगन्नाथ बख्त पन्नालाल, बनिपा, जमींदार, मीजा अमिनी.
४. गायनलाल बख्त नंद, ब्राह्मण, जमींदार, मीजा दाया.
५. सुडी बख्त राम, बनिपा, जमींदार, मीजा अजापुरा.

३. जिल्हा नरवर.

१. परगना चिखपुरी.

१. गोपीकाळ बख्त पन्नालाल, कायस्थ, जमींदार, मीजा सोराना.
२. रामगोपाल बख्त मोहनकाळ, माण्डण, जमींदार, मीजा खोशधार.
३. छालेदंत बख्त अण्णाणकाळ, माण्डण, जमींदार, मीजा मुसायळ.
४. कृष्णवल्लभ बख्त मूळचंद, वीश्य, जमींदार, मीजा राती किरार.
५. सोभाचंद बख्त नाराकचंद, वीश्य, जमींदार, मीजा यरोदी.

२. परगना करेरा.

१. गोविंदाळ बख्त दाळापलाद, कायस्थ, जमींदार, करेरा.
२. गजराजसिंह बख्त दीळतसिंह, डाकुर, साकिन य जमींदार मीजा तीडा पिछोर.
३. बनारसीदास बख्त लछमनदास, पंचावी माण्डण, साकिन दिनारा, जमींदार, नेवडी सुई.
४. सूरतसिंह बख्त लाळाराम, तिंधारी, साकिन नरवर.
५. बनसुंदर बख्त सुंदरसिंह, रावत, सरपंच, बोई दिहायळा.

३. परगना पिछोर.

१. रावत दीळतसिंह, जमींदार, मीजा मोहासा.
२. विश्वनाथ, जमींदार, मीजा हिमतपुर डापरोम.
३. निर्मम, जमींदार, मीजा कमालपुर.
४. पन्नालाल, जमींदार, मीजा लाखारी.
५. भूरेसिंह, जमींदार, मीजा गदरेली.

४. परगना कोलारत.

१. जोरापरीसिंह बख्त जवाहरसिंह, दागा, साकिन पंचायली.
२. अखिलाळ बख्त श्रीचंद, बनिपा, साकिन घुटा डोंगर.
३. धर्मजीत बख्त परतासिंह, रावत, जमींदार, सेसव घु.
४. जायदुसेन बख्त हागिदुसेन, मुसलमान, जमींदार, देहरवारा.
५. हैदरखली बख्त अन्दुलहसन, मुसलमान, गेवर, बोई अफासिरी.

प्रकाशक-व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
ड. क्र. द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
वि. पू. भु.-भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिजीजन
म.प्र.-108 भोपाल-06-08.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2006—वैशाख 15, शक 1928

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्र. एफ. 3-10-2001-बत्तीस.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम
1984 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें राज्य सरकार मध्यप्रदेश नगर
तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की

धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, बनाना प्रस्तावित
है, को जानकारी के लिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में दिनांक
16 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित किया गया था, प्रस्तावित संशोधन
पर कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं. अतः निम्नलिखित
प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप दिया जाता है :-

संशोधन

नियम 17 के उपनियम (5) के खण्ड (छ) के पश्चात्

म्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ज) दो या दो से अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्र के किसी भी प्रकार के विकास के समस्त अभिन्यासों में वर्षा के पानी (Rain water) हार्वेस्टिंग उपायों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।”

उपरोक्त उपायों की व्यवस्था 10 प्रतिशत खुले स्थान में की सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्र. एफ-3-10-2001-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 के खण्ड (ख) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण भाग की सूचना क्रमांक एफ-3-10-2001-बत्तीस, नॉक 26 अप्रैल 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 26th April 2006

NOTICE

No. F-3-10-XXXII-2001.—The following amendment to the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 85 read with sub-section 24 of Madhya Pradesh Panchayat and Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is published as required by sub-section (1) of section 85 of the said act for the information of all persons likely to be affected thereby in “Madhya Pradesh Rajpatra” dated 16th December 2005. No objections and suggestions have been received within the given time. Hence following proposed amendments to the said Niyam are finalised :—

AMENDMENT

After clause (g) of sub-rule (5) of rule 17 of the said Niyam, the following clause shall be inserted. Namely :—

“(h) In all lay outs of any kind of development having area of 2 hectares or more, rain water harvesting measures shall be compulsory.

The above measures may be provided in 10 percent of the available space.”

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. N. TRIPATHI, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्र. एफ. 9-4-सं.-तीस-06.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज्य संस्थान संचालनालय के अंतर्गत “अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान” स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

1. सम्मान का नाम.—सह सम्मान “अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान” के नाम से जाना जावेगा।

2. उद्देश्य.—स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा की पावनता एवं गौरव को अलंकृत करने तथा इस क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान स्थापित किया गया है।

3. संख्या.—यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा। यह “एकल” सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।

4. सम्मान की राशि.—इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी।

5. पात्रता.—यह सम्मान स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले साधनारत मनीषी/संस्था को दिया जायेगा।

6. अन्य शर्तें.—सम्मान के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिये प्रतिवर्ष प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे। साथ ही राष्ट्रभक्ति एवं समाजसेवा के आदर्शों के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा प्रदेश के / राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा स्वाधीनता संग्राम के क्षेत्र में सक्रिय शोध संस्थानों से भी सम्मान हेतु अनुसंधान / नामांकन आमंत्रित किये जायेंगे।

7. चयन प्रक्रिया.—सम्मान के चयन के लिये प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन स्वराज्य संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर म. प्र. शासन संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मंडल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों पत्रकारों एवं विशेषज्ञों

क्र. ई-5-502-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. टी. एक्का, सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 5 से 16 जून 2006 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17, 18 जून 2006 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. टी. एक्का को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. एक्का को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, मुख्य सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2006

क्र. एफ. 3-46-2006-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत जिला योजना समिति, मन्दसौर की अधिसूचना क्र. 2724-जियोस-2000, दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार गरोठ निवेश क्षेत्र की सीमायें परिनिश्चित करता है :—

अनुसूची

गरोठ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—ग्राम बरखेडा लोया, कस्बा गरोठ की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में—कस्बा गरोठ, ग्राम पावटी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में—ग्राम पावटी, कस्बा गरोठ एवं फूलखेडा की दक्षिणी सीमा।

पश्चिम में—ग्राम फूलखेडा कस्बा गरोठ एवं बरखेडा लोया की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2006

क्र. एफ. 3-69-बत्तीस-2005.—एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है

कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत उज्जैन निवेश क्षेत्र की विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की गई है तथा अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :—

- (1) आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन (मध्यप्रदेश)।
- (2) कलेक्टर, कार्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)।
- (3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)।
- (4) आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)।

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2006

क्र. एफ. 3-69-बत्तीस-2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्र. एफ. 3-69-बत्तीस-2005, दिनांक 6 जून 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 6th June 2006

No. F. 3-69-2005-XXXII.—Notice is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Ujjain Planning Area under sub-section (1) of Section 19 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), submitted by the Director, Town and Country Planning, Madhya Pradesh under sub-section (3) of Section 18 of the said Adhiniyam and copy of the approved Development Plan may be inspected at following offices :—

- (1) Commissioner, Ujjain Division, Ujjain (M.P.).
- (2) Collector, District Ujjain (M.P.).
- (3) Deputy-Director, Town and Country Planning, District Office, Ujjain (M.P.).

(4) Commissioner, Nagar Nigam, Ujjain District
Ujjain (M.P.).

(1)

(2)

(3)

The Development Plan shall come into operation from the date of publication of the said notice in "Madhya Pradesh Gazette" as per the provisions of Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

B. N. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2006

क्र. एफ. 3-47-2006-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17 (क)(1) के अंतर्गत नागदा विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क)(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17(क)(1) की उपधारा (क से झ)	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था/पता
(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद, नागदा
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, उज्जैन
(ग)	लोकसभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र, उज्जैन
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, खाचरौद
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, खाचरौद

(छ)

1. सरपंच

ग्राम पंचायत, भाटीरवा, तहसील नागदा.

2. सरपंच

ग्राम पंचायत, अजीमाबाद, पारदी, तहसील नागदा.

1. प्रतिनिधि

कलेक्टर, जिला उज्जैन

2. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, म.प्र. वि.सं. संभाग, उज्जैन.

3. प्रतिनिधि

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उज्जैन.

4. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन.

5. प्रतिनिधि

श्री डी. जी. शमनकर, इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया), 88-सी वैभव नगर, एक्स कनाडिया रोड, इन्दौर.

6. प्रतिनिधि

श्री पी. पी. अग्रवाल, इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) एफ./ई. एच. आई. जी-10, शिवाजी नगर, होटल सिराज के पास, भोपाल.

7. प्रतिनिधि

श्री विश्वास भास्कर फडनीस, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, 109 दशहरा मैदान, उज्जैन.

(झ)

संयोजक

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.

CA/10703 (227-4)
1 व्यवहार वाद क्र०- 3ए/19

न्यायालय :- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अति.
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, उज्जैन म०प्र०
(पीठासीन अधिकारी-गौरव अग्रवाल)

संस्थित दिनांक 17.03.2015 व्य० वाद क्र०-3ए/2019
CIS No. 232101022262015
CNR No. MP1301-000936-2015



अनिल पिता मन्तुलाल जोशी
आयु-56 वर्ष, धंधा-वैद्यगिरी
निवासी-171, निकास चौराहा अंकपात मार्ग
उज्जैन (म०प्र०)

वादी

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन कार्यालय कोटी पैलेस उज्जैन
2. अपर कलेक्टर जिला उज्जैन कार्यालय कोटी पैलेस उज्जैन
3. तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन कार्यालय कोटी पैलेस उज्जैन
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधिनियम उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता :- श्री अर्पित वर्मा
प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता :- श्री मनीष गोयल

//निर्णय //
(आज दिनांक 19.07.2019 को घोषित)

01- यह वाद अंकपात मार्ग जिला उज्जैन में स्थित भूमि सर्वे क्र. 1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, सर्वे क्र.1281/1/2 रकबा 0.105 हैक्टेयर एवं

गौरव अग्रवाल
19.7.19
(गौरव अग्रवाल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

166

सर्वे क्र.1281/4 रकबा 0.11 हैक्टेयर पर वादी के स्वामी व.आधिपत्यधारी होने की घोषणा, प्रतिवादीगण को उसमें हरतक्षेप का अधिकार न होने से स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि दिनांक 09.02.2015 को न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा वादी को इस आशय का सूचना पत्र प्रेषित किया था कि भूमि शासकीय है और वादी का आधिपत्य, नामान्तरण व स्वामित्व किस आधार पर है, वह प्रकट करें।

03- वाद पत्र संक्षेप में यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का वादी स्वामी व आधिपत्यधारी है। भूमि पर दो मकान, औषधालय एवं हनुमान मंदिर निर्मित है जिसमें वादी अपने पिता के समय से लगभग 80 वर्षों से काबिज है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व में अन्य की भूमियाँ, पश्चिम में अंकपात मार्ग मुख्य सड़क, उत्तर में अन्य की भूमियाँ तथा दुकाने व दक्षिण में हनुमान मंदिर व उसकी भूमि तथा सर्वे क्र.1302 स्थित है। वर्ष 1911-12 संवत् 1968 में सर्वे क्र.1205 के रूप में रकबा 40 बीघा 3 बिसवा भूमि थी जिसमें से 34 बीघा 3 बिसवा भूमि में तालाब था और 6 बीघा भूमि खेती के रूप में स्थित थी जो तत्समय भूमि स्वामी हटेशिंह ब्राम्हण और काश्तकार भाउलाल के नाम दर्ज थी। सर्वे नम्बर 1205 वर्ष 1928 में सर्वे क्र.1281 में परिवर्तित हुआ। वर्ष 1935 में वादी के पिता स्व. श्री मन्नुलाल जोशी उर्फ पंडित मन्नुलाल का उक्त भूमि पर काश्तकार के रूप में आधिपत्य था और उनके द्वारा जमीनदार ठाकुर रामरतन नम्बरदार एण्ड नायब तहसीलदार मौजा केरबा शहर उज्जैन को काश्तकारी शुल्क 75 जिसे मतालवा कहा जाता था, प्रतिवर्ष अदा किया जाता था। वादी के पिता द्वारा काश्तकार होने से संवत् 2006 वर्ष 1949 तक मतालवा प्रतिवर्ष अदा किया गया। शहर उज्जैन ग्वालियर स्टेट का भाग होने से तत्कालिन कानून अनुसार प्रकरण क्र. 170/संवत् 2006 वर्ष 1949-50 के द्वारा वादी के पिता का नामान्तरण भूमि पर हुआ। भूमि का बटांकन होकर सर्वे क्र.1281/1, 1281/2, 1281/3 एवं 1281/4 में परिवर्तित हुए। वादी के पिता का नाम काश्तकार के रूप में वर्ष 1949 में दर्ज होने के उपरांत जमीनदारी अवोलिशन अधि० तथा उसके उपरांत पुक्का कृषक अधिकार

(Handwritten Signature)
19.2.19
(कै. अ. अ. अ.)

पुष्पक कृषक अधिकार
श्री रामरतन ठाकुर व तहसीलदार
मौजा केरबा, उज्जैन (म.प्र.)



अधिनियम के अंतर्गत वादी के पिता भूमि के पक्के कृषक हुए और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त होने से उनका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया। सर्वे नम्बर 1281/1 को सर्वे क्र.1281/1/1 एवं 1281/1/2 किया गया। सर्वे क्र.1281/1/1 में कुल रकबा 7.286 हैक्टेयर भूमि पर वादी के पिता कृषि कार्य करते थे तथा शेष भूमि पर तालाब था। सर्वे क्र.1281/1/2 में 0.105 हैक्टेयर कृषि भिन्न भूमि को रखा गया जिस पर वादी के पिता द्वारा दो मकान निर्मित किये गये थे। 1281/3 पर वाटर वर्क्स विभाग उज्जैन का कार्यालय निर्मित था और 1281/4 पर हनुमान मंदिर निर्मित था। सर्वे क्र.1281/2 को सड़क इम्प्रूवमेंट विभाग के द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया था।

04- वाद पत्र अनुसार वादी के पिता द्वारा सर्वे क्र.1551 रकबा 3.469 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र.1553 रकबा 0.481 हैक्टेयर भी क्रय किये गये थे जो उनकी मृत्यु उपरांत उनकी पत्नि व बड़े बेटे के नाम पर नामान्तरित हुए। इस प्रकार वादी के सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल भूमि सर्वे क्र.1281/1/1, 1281/1/2, 1281/3, 1281/4, 1553, 1551 कुल कित्ता 6 रकबा 11.425 हैक्टेयर सम्मिलित थी। वादी के पिता स्व. श्री मन्नुलाल जी की मृत्यु के उपरांत सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 7.286 हैक्टेयर, 1281/1/2 रकबा 0.105 है., 1281/3 रकबा 0.063 है. व 1281/4 रकबा 0.021 है. पर वर्ष 1970-71 में आदेश दिनांक 19.06.1971 के आधार पर परिवार के मुखिया मनमोहन पिता मन्नुलाल व रेवतीबाई विधवा मन्नुलाल का नाम भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हुआ। सर्वे क्र.1281/1/1 के कुल रकबा 7.286 हैक्टेयर भूमि में से 0.964 हैक्टेयर कृषि भूमि को छोड़कर शेष भूमि रकबा 6.322 हैक्टेयर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1974 के माध्यम से विक्रय कर दिया था। इस प्रकार सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.964 कृषि भूमि मनमोहन जी के नाम है और शेष भूमि जिसमें तालाब की भूमि भी सम्मिलित थी, मनमोहन जी द्वारा विक्रय कर दी गई थी। वर्ष 1976 नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत वादी के परिवार के विरुद्ध सिलिंग प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जिसमें वादी के परिवार की समस्त भूमियों को सम्मिलित करते हुए फाईनल स्टेटमेंट जारी हुआ था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22.09.1979 के अनुसार पांच सदस्यों की पात्रता अनुसार 200 आरे के हिसाब

(Signature)
 (पंजीबद्ध न्यायाधीश)
 प्रथम न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)
 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

108

से एक हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 4.103 हैक्टेयर भूमि को अतिशेष घोषित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा ट्रेस कर 1281/1/1 रकबा 0.964 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र.1281/1/2 रकबा 0.105 हैक्टेयर भूमि छोड़कर शेष अधिग्रहित की गई थी। सर्वे क्र.1281/1/1 की खुली भूमि में से कुछ भूमि को भिन्न-भिन्न विक्रय पत्रों से माध्यम से विक्रय भी किया गया था और सड़क प्राधिकरण द्वारा इसी भूमि में से अधिग्रहण भी किया गया था जिसमें मुआवजा राशि 592163/-रु. प्राप्त हुई थी। वादी के परिवार की शेष भूमि का मुखिया मनमोहन की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 31.01.2011 को उनकी पत्नी कमला, माँ रेवतीबाई का इंद्राज खसरा पंचशाला वर्ष 2011-12 में किया गया। कमलाबाई एवं रेवतीबाई की मृत्यु होने से वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 09.02.2015 को असत्य रूप से सूचना पत्र बिना किसी आधार के प्रेषित किया गया और भूमि को तालाब की बतायी गई। तहसीलदार द्वारा असत्य आधार पर प्रतिवेदन बनाया गया है और भूमि को शासकीय बताकर अतिक्रमण हटाने की धमकी दी है। अतः निर्णय के पद क्रमांक 1 में वर्णित डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

05-- वादोत्तर के माध्यम से प्रतिवादी ने वाद पत्र के अभिवचनों से इंकार किया है और वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.1281 गोवर्धन सागर के नाम से होकर शासकीय भूमि होना बतायी है। बंदोबस्त खसरा अनुसार उक्त भूमि 56 बीघा 18 बिसवा की होकर उसकी नफसीक तालाब की तय है। खसरे में भूमि मिलकियत सरकार कमेटी ब.न.194 के नाम दर्ज है। इसी खसरे में छोटेलाल काश्तकार तथा रघुनाथ व रामचन्द्र शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है। भूमि सर्वे क्र.1281 का बटाकन हो चुका है और कई टुकड़ों में विभक्त होकर निजी स्वामी के रूप में दर्ज है, किंतु उक्त भूमि गोवर्धन सागर का भाग है जिसका उपयोग आम जनता के द्वारा किया जाता था। जिला रिकार्ड शाखा में वर्ष 1928 के पश्चात् वर्ष 1962-63 तक के खसरा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार वर्ष 1963 के खसरों में निजी व्यक्तियों के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हुए हैं। खसरे में वादी का नामान्तरण होने से उसे कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। कलेक्टर उज्जैन के आदेश से स्थल निरीक्षण करने पर भूमि को उज्जैन के सप्त सागरों में से एक गोवर्धन सागर की भूमि

Goswami
19.7.19
(प्रथम अधिवक्ता)
प्रथम अधिवक्ता, वकील एवं
के न्यायालय के प्रथम अधिकारी
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)



होना पाया गया था। तहसीलदार उज्जैन द्वारा दिनांक 30.01.2015 को कलेक्टर उज्जैन को प्रतिवेदन प्रेषित कर सर्वे क्रमांक 1281 के समस्त बटाकन शासकीय घोषित कर राजस्व अभिलेख में योग्य आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया था जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 09.02.2015 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य किया गया है। वादी को विधि की प्रक्रिया के अनुरूप कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। तालाब राज्य सरकार में निहित होते हैं। अतः वादोत्तर स्वीकार कर वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06- उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, दस्तावेज के अवलोकन उपरांत निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके समक्ष निष्कर्ष, विवेचना उपरांत अंकित किये गये-

सं०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, सर्वे क्र. 1281/1/2 रकबा 0.105 एवं सर्वे क्र. 1281/4 रकबा 0.011 हैक्टेयर स्थित अंकपात मार्ग जिला उज्जैन का विधिवत भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है?	"अप्रमाणित"
2.	क्या प्रतिवादीगण अवैधानिक रूप से वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पर से वादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है?	"अप्रमाणित"
3.	क्या प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रेषित सूचना पत्र एवं उक्त आधार पर प्रचलित समस्त कार्यवाही अवैधानिक होकर प्रभावहीन एवं शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है?	"अप्रमाणित"
4.	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क प्रस्तुत किया गया है?	"प्रमाणित"
5.	सहायता एवं वाद व्यय?	निर्णय के पद क्र. 44 के अनुसार वाद सव्यय

(Handwritten Signature)
 (सहायक न्यायाधीश)
 प्रथम व्य. न्यायाधीश एवं एक
 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
 न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

निरस्त किया गया।


// सकारण निष्कर्ष //

वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का निराकरण: -

07- उक्त सभी वाद प्रश्न के संबंध में अभिलेख पर अंतरमिश्रित साक्ष्य मौजूद है और सभी वाद प्रश्नों का निराकरण एक दूसरे से सम्पूक्त होने से साक्ष्य के दोहराव को टालने के उद्देश्य से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08- अनिल जोशी वादी साक्षी क्रमांक-01 के मुख्य परीक्षा शपथ पत्र के अनुसार उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक-1281/01/01 रकबा 0.505 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक-1281/01/02 रकबा 0.105 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक-1281/04 रकबा 0.011 हेक्टेयर अंकपात मार्ग जिला उज्जैन पर स्थित है। उक्त भूमि पर वादी के दो मकान, औषधालय एवं हनुमान मंदिर निर्मित है और लगभग 80 वर्षों से पिता के समय से काबिज है। उक्त भूमि उज्जैन शहर के मध्य स्थित है। वर्ष 1911-12 में संवत् 1968 के खसरे में सर्वे क्रमांक-1205 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा भूमि थी, जिसमें से 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि में तालाब व 06 बीघा भूमि खेती के रूप में थी, जिसका स्वामी हट्टेसिंह ब्राह्मण और काश्तकार भासलाल था। सर्वे क्रमांक-1205 वर्ष 1928 में सर्वे क्रमांक-1281 हो गया। वर्ष 1935 में वादी के पिता स्वर्गीय श्री मन्नुलाल जोशी का भूमि पर काश्तकार के रूप में आधिपत्य था और काश्तकारी शुल्क 75/-रूपये मतालवा ठाकुर रामरतन नंबरदार एण्ड नायब तहसीलदार मौजा कस्बा शहर उज्जैन को प्रतिवर्ष अदा कर रसीद प्राप्त की जाती थी। उक्त मतालवा संवत् 2006 वर्ष 1949 तक अदा किया था। उज्जैन, ग्वालियर स्टेट में होने से तत्कालिन कानून अनुसार प्रकरण क्रमांक-170/संवत् 2006 द्वारा मन्नुलाल का नामांतरण भूमि पर किया गया और उनका नाम काश्तकार के रूप में दर्ज हुआ। भूमि का बटाकन कर सर्वे क्रमांक-1281/01 से 1281/04 में विभाजित

S. S. Rawat
11.7.19
(मुख्य अग्रवाल)
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)




हुई।

09- वादी के अनुसार वर्ष 1949 में काश्तकार के रूप में नाम दर्ज होने के उपरांत जमींदारी अबोलिशन अधिनियम और पक्का कृषकाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वादी के पिता पक्के कृषक हुए। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि स्वामी हुए और तदनुसार राजस्व अभिलेख में नामांतरण हुआ। सर्वे क्रमांक-1281/01 को रिनंबरिंग कर सर्वे क्रमांक-1281/01/01 व 1281/01/02 किया गया, जिसमें से 1281/01/01 में कुल रकबा 7.286 हेक्टेयर भूमि पर उसके पिता कृषि कार्य करते थे और शेष भूमि पर तालाब था। सर्वे क्रमांक-1281/01/02 में रकबा 0.105 हेक्टेयर में कृषि भूमि को रखा गया था, जिस पर वादी के पिता ने दो मकान निर्मित किये थे। सर्वे क्रमांक-1281/03 पर वॉटरवर्क्स विभाग का कार्यालय निर्मित था एवं सर्वे क्रमांक-1281/04 पर हनुमानजी का मंदिर निर्मित था। सर्वे क्रमांक-1281/02 को इम्प्रुवमेंट विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया था।

10- वादी के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक-1551 रकबा 3.469 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक-1553 रकबा 0.481 हेक्टेयर उसके पिता द्वारा क्रय की गयी थी। इस प्रकार वादी के संयुक्त परिवार के स्वामित्व की कुल भूमि 1281/01/01, 1281/01/02, 1281/01/03, 1281/01/04, 1551 एवं 1553 कुल 06 रकबा 11.425 हेक्टेयर सम्मिलित हुई थी।

11- वादी के अनुसार सर्वे क्रमांक-1281/01/01 रकबा 7.286 हेक्टेयर, 1281/01/02 रकबा 0.105 हेक्टेयर, 1281/03 रकबा 0.063 हेक्टेयर व 1281/04 रकबा 0.021 हेक्टेयर पर संवत् 2027 वर्ष 1970-71 में आदेश दिनांक 19/06/71 द्वारा परिवार के मुखिया व वारिसान मनमोहन व रेवतीबाई का नाम इन्द्राज हुआ था। मनमोहनजी के द्वारा 1281/01/01 कुल रकबा 7.286 हेक्टेयर भूमि में से 0.964 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष रकबा 6.322 हेक्टेयर भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18/07/74 के माध्यम से विक्रय कर दिया गया। शेष


(गोप्य अप्रचलित)
18/7/19
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

1/2

भूमि बटांकन उपरांत मनमोहनजी के नाम रही व विक्रित भूमि में तालाब की भूमि सम्मिलित थी, को मनमोहनजी द्वारा विक्रय कर दी गयी थी।

12- वादी के अनुसार वर्ष 1976 में नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत इसके परिवार के विरुद्ध सीलिंग प्रकरण क्रमांक-12 x 6/76-77 मध्यप्रदेश शासन वि० मनमोहन आदि प्रचलित हुआ था तथा विवरणी के आधार पर फाइनल स्टेटमेंट जारी किया गया था। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा उज्जैन के आदेश दिनांक 22/09/1979 के अनुसार परिवार के पांच सदस्यों की पात्रता अनुसार 1.0 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष भूमि 4.103 हेक्टेयर भूमि को अतिशेष घोषित किया गया। वादी के परिवार के पास सर्वे क्रमांक-1281/01/01 रकबा 0.964 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक-1281/01/02 रकबा 0.105 हेक्टेयर छोड़कर शेष भूमि शासन में वैधित हुई थी। सर्वे क्रमांक-1281/01/01 की खुली भूमि में से कुछ भूमि को विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया था। वर्ष 2003 में सड़क प्राधिकरण के द्वारा सर्वे क्रमांक-1281/01/01 की कुछ भूमि को अधिग्रहण किया गया था।

13- वादी के अनुसार परिवार की बची शेष भूमि पर मुखिया मनमोहन की मृत्यु के पश्चात आदेश दिनांक 31/02/11 के द्वारा उनकी पत्नी कमला और माता रेवतीबाई का नाम खसरा पंचशाला 2011-12 में दर्ज किया गया। कमलाबाई व रेवतीबाई की मृत्यु हो जाने से अनिल का नाम उक्त दोनों नंबरों पर स्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज किया गया, जो सर्वे क्रमांक-1281/01/01 रकबा 0.505 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक-1281/01/02 रकबा 0.105 हेक्टेयर है।


14- वादी ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में संवत् 1968 का खसरा प्रदर्श पी-01, संवत् 1984 का खसरा प्रदर्श पी-02, तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रदत्त लीज रसीद वर्ष 1940, 1941, 1947, 1948 क्रमशः प्रदर्श पी-03 लगायत प्रदर्श पी-06, खसरा संवत् 2008 वर्ष 1951-52 से 2014-15 क्रमशः प्रदर्श पी-07 लगायत प्रदर्श पी-25, नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा तैयार किये गये नक्शे प्रदर्श

S. J. Singh
19.7.19
(गरीब अग्रवाल)

प्रथम व्याख्या, वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

पी-26-27, व व्यपवर्तन आदेश प्रदर्श पी-28 नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति की विवरणी प्रदर्श पी-29, आदेश प्रदर्श पी-30, भूमि धारक की विवरणी प्रदर्श पी-31, नोटिफिकेशन का सूचना पत्र प्रदर्श पी-32, टैक्स रसीद प्रदर्श पी-33 से 36, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के द्वारा दिया गया सूचना पत्र प्रदर्श पी-37, बिद्युत बिल प्रदर्श पी-38 से 41, कारण बताओ सूचना पत्र प्रदर्श पी-42 से 44, नोटिस दिनांक 11/03/2015 प्रदर्श पी-45, डाक रसीद प्रदर्श पी-46 से 49, वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-50 से 52, सी०डी०आर्टिकल-01, फोटोग्राफ्स की रसीद प्रदर्श पी-53, फोटोग्राफर का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-54 व नगर निगम का दिनांक 28/12/2015 का पत्र प्रदर्श पी-55 प्रस्तुत किया है।

15- मुन्नुसिंह बारस्कर प्रा०सा०1 के अनुसार सर्वे क्रमांक-1281 कुल रकबा 56 बीघा 18 बिस्वा गोवर्धनसागर उर्फ निकास के नाम की भूमि होकर शासकीय भूमि है। खसरा के नफसीक कॉलम में तालाब का इन्द्राज है। उक्त भूमि का अधिकांश भाग तालाब के रूप में होकर सार्वजनिक उपयोग आम जनता के द्वारा किया जाता है। भूमि तालाब के रूप में संरक्षित है और निस्तार के अधिकारों का उपयोग तालाब से किया जाता है। वादीगण वर्ष 1963 के पश्चात् खसरा इन्द्राज के आधार पर स्वत्व होना बताते हैं। जबकि विधि अनुसार नामांतरण स्वत्व का प्रमाण नहीं होता है। सर्वे क्रमांक-1281 पर निजी व्यक्तियों के नामांतरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने पर कलेक्टर उज्जैन ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा था। तहसीलदार के आदेश पर पटवारी के द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि सप्त सागरों में से एक गोवर्धनसागर की भूमि सर्वे क्रमांक-1281 बुधवारिया क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त सर्वे नंबर कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। तहसीलदार उज्जैन द्वारा पटवारी के पंचनामा व प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर उज्जैन को प्रतिवेदन प्रेषित कर सर्वे क्रमांक-1281 के समस्त बटांकन को शासकीय घोषित करने का निवेदन किया था। जिस पर अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-01/अ-39/2014-15


(मुख्य अधिवक्ता)
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

114



दिनांक 09/02/15 को प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टेड भूमि स्वामी को जारी की गयी थी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से धारा-182 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन होने का उल्लेख किया था और कारण बताओं सूचना पत्र भी पृथक से जारी किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही समस्त कार्यवाही की जा रही है।

16- प्रतिवादी साक्षी के अनुसार भू-राजस्व संहिता की धारा-251 समस्त तालाबों को राज्य सरकार में निहित होने का प्रावधान करती है। तदकारण सर्वे क्रमांक-1281 तालाब की भूमि पर राज्य शासन का स्वत्व है। वादी ने तहसीलदार उज्जैन के समक्ष दिनांक 17/08/2012 को धारा-115 भू-राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर तालाब शब्द दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया था, जिसे निरस्त किया जा चुका है। सर्वे क्रमांक-1281 वर्ष 1928 से ही तालाब के लिये दर्ज भूमि है, जिसे परिवर्तित करने का अधिकार राज्य शासन को भी नहीं है।

17- प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-01 ने समर्थन में तहसीलदार उज्जैन द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार की गयी कार्यवाही की प्रोसिडिंग दिनांक 15/01/15 से 30/01/15 प्रदर्श डी-01 अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रोसिडिंग दिनांक 07/02/15 से 04/08/15 पांच पृष्ठों में प्रदर्श डी-02 पटवारी द्वारा तहसीलदार को दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श डी03 तहसीलदार द्वारा दिया गया प्रतिवेदन दिनांक 31/01/15 प्रदर्श डी-04, अपर कलेक्टर द्वारा प्रकाशन हेतु जारी पत्र दिनांक 09/02/15 प्रदर्श डी-05, विज्ञप्ति दिनांक 09/02/15 प्रदर्श डी-06, अपर कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 10/02/15 प्रदर्श डी-07, वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब 10 पृष्ठों में प्रदर्श डी-08, तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक-09/अ6 अ/13-14 की प्रोसिडिंग दिनांक 20/03/13 से 07/04/14 प्रदर्श डी-09, वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-115 दिनांक 17/08/12 प्रदर्श डी-10 प्रस्तुत किया है।

(मौख्य अग्रवाल)
19.7.19
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)



18- प्रतिवादी की ओर से पटवारी हल्का क्रमांक-38 कमलेश शर्मा प्र०सा०2 को परीक्षित कराया गया है। उसके मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र के अनुसार भी भूमि सर्वे क्रमांक-1281 कस्बा उज्जैन का कुल रकबा 56 बीघा 18 बिस्वा रहा है, जो गोवर्धनसागर निवास के नाम से तालाब की भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग की शासकीय उपयोग की है। उक्त भूमि सप्त सागरों में से एक गोवर्धनसागर की भूमि है, जिसका उल्लेख हिन्दू पुराणों में निहित है। भूमि का उपयोग निस्तार अधिकारों के लिये किया जाता है। सर्वे क्रमांक-1281 पर निजी व्यक्तियों का नामांतरण होने से कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन चाहा गया था। तहसीलदार के आदेश पर इसने स्थल निरीक्षण कर पंचनामा एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि भूमि सर्वे क्रमांक-1281 भूमि गोवर्धनसागर की भूमि है, जिसकी मिल्कीयत सरकार के नाम से दर्ज है। इसके प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31/01/15 को सर्वे क्रमांक-1281 के समस्त बटाकन को शासकीय घोषित करने का निवेदन किया गया था, जिसपर अपर कलेक्टर द्वारा न्यायालय के प्रकरण में प्रेसविज्ञप्ति जारी कर सूचना पत्र जारी किया गया था। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-251 के द्वारा समस्त तालाब राज्य सरकार में निहित होते हैं। संहिता के लागू होने पर ऐसे तालाब जो राज्य सरकार में नहीं है, वह 06 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित हो चुके हैं। वादी के द्वारा खसरे में से तालाब शब्द विलोपित करने का आवेदन निरस्त किया जा चुका है। तहसील न्यायालय के द्वारा भूमि को तालाब की भूमि माना गया है, जिसकी नोईयत परिवर्तित करने का अधिकार राज्य शासन को भी नहीं है।

19- वादी अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक-1205 परिवर्तित क्रमांक-1281 40 बीघा 03 बिस्वा का कुल क्षेत्रफल में से 36 बीघा 03 बिस्वा भूमि में तालाब था और 06 बीघा भूमि पर खेती की जाती थी, जिसका स्वामी हटेसिंह ब्राह्मण था और काशतकार भाउलाल था। वर्ष 1935 में वादी के पिता भूमि पर काशतकार हुए थे और उनके द्वारा नायब तहसीलदार को 1949 तक मतालवा भी

(Signature)
 (संवेद्य अधिकारी)
 प्रथम वक्ता, वार्ड एन
 के न्यायालय, 15 अक्टूबर, 2015
 सागराबाद, उत्तर प्रदेश

दिया गया था। तत्कालीन विधि अनुसार वादी के पिता का वर्ष 1949-50 में नामांतरण हुआ था और म०प्र०भू-राजस्व संहिता के प्रवर्तन पर भूमि स्वामी हुए थे। शासन द्वारा वाटर वर्क्स कार्यालय एवं सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है और मुआवजा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत भी वादी के भाई व संयुक्त परिवार को भूमियों को स्वामी मानते हुए भूमि अधिग्रहित की गयी और स्वामी होना माना गया है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर निर्विवाद रूप से आधिपत्य है तथा विधि के अनुक्रम से भूमि स्वामी हुए हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं शासन के आदेशों से होती है। अतः वादपत्र स्वीकार कर डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया है।

20- म०प्र० राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मनीष गोयल का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि की मिल्कीयत सरकार की है। वादग्रस्त भूमि तालाब के प्रयोजन के लिये संरक्षित भूमि है, जिसका वादी एवं उसके पूर्वजों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और अवैध विक्रय किया गया है। वादग्रस्त भूमि सप्त सागर में से एक गोवर्धनसागर की भूमि का भाग है, जो पौराणिक महत्व की भूमि है। किसी भी व्यक्ति को शासकीय भूमि जो तालाब के लिये आरक्षित है, स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर भी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि स्वामित्व का प्रश्न म०प्र०शासन और वादी के मध्य होने से धारा-57 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायालय को वाद श्रवण की अधिकारिता नहीं है। अतः वादपत्र मिथ्या आधारों पर होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

21- सर्वप्रथम न्यायालय को स्वामित्व के प्रश्न की सुनवाई की अधिकारिता है या नहीं, इस बिन्दु का निराकरण किया जाना उचित होगा। न्यायदृष्टांत रामसहाय वि० म०प्र०राज्य व अन्य 1996 राजस्व निर्णय 195 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि म०प्र०भू-राजस्व संहिता की धारा-57 (2) एवं 257 का वर्जन भूमि स्वामी अधिकार की घोषणा के लिये लागू नहीं होता है और यह आवश्यक नहीं है कि पहले उपखंड अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जावे। अतः प्रतिवादी

(सिद्ध अग्रवाल)

प्रथम न्यायाधीश एवं एक
के न्यायालय के प्रधान अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

अधिवक्ता का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। इस न्यायालय को शासन व किसी व्यक्ति के मध्य स्वत्व का विवाद होने की दशा में वाद श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है।

22- वादी ने तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार कृषक व स्वत्व अधिकार प्राप्त होना बताया है। अतः इस संबंध में तत्समय प्रचलित विधि का उल्लेख किया जाना उचित होगा। तत्समय कानून माल ग्वालियर संवत् 1983 प्रचलित था। कानून माल, ग्वालियर संवत् 1983 की धारा-2 (29) में मौरुषी कृषक को पारिभाषित किया है, जो निम्नानुसार है:-

काश्तकार मौरुषी उसे कहते हैं, जिसका हक काबिल विरासत होकर उसे माल गुजार बिला हुक्म अदालत बेदखल नहीं कर सकता और न बिला रजामंती उसके या बिल हुक्म अदालत के उसपर लगान इजाफा कर सकता है।

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि काश्तकार मौरुषी को विरासत का अधिकार होता है और बिना न्यायालय के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

23- संवत् 2007 में मध्यभारत रेवेन्यु टेनेन्सी एक्ट लागू किया गया, जिसकी धारा-54 की उपधारा-7 में पक्का कृषक को पारिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

पक्का कृषक से तात्पर्य उस कृषक से है, जो या जिसका पूर्ववर्ती पक्का कृषक, हिताधिकारी अपने पट्टे के संबंध में इस विधान के प्रभावशील होने के समय राजनियमानुसार "रैयत पट्टेदार", "मामूली मौरुषी", "गैर-मौरुषी" तथा "पुख्ता मौरुषी" के रूप में लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ था, या जो भविष्य में सक्षम सक्षम अधिकारी द्वारा इस रूप में विधिवत मान्य कर लिया जाये।

24- म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-185 मौरुषी कृषक को परिभाषित करती है, जिसकी उपधारा-01 की कड़िका-2 मध्यभारत क्षेत्र में संहिता के प्रवृत्त होने के समय उल्लेखित श्रेणी के कृषकों को मौरुषी कृषक के अधिकार प्रदान

(Handwritten Signature)
1971
(गैरसद अग्रवाल)
प्रथम व्.न्याया. वर्ग एत
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (भ. प्र.)

118



करती है, जिसमें इनाम भूमि कृषक, उपकृषक या साधारण कृषक या मध्यभारत रैयतवाली उपपट्टेदार संरक्षण विधान 1955 में यथापरिभाषित रैयतवादी उपपट्टेदार या मध्यभारत जागिर समाप्ति विधान 1951 में यथापरिभाषित कोई जागिर भूमि, उपकृषक के रूप में या उपकृषक के कृषक के रूप में या मध्यभारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 में यथापरिभाषित स्वामी की कोई भूमि, उपकृषक के रूप में, या उपकृषक कृषक के रूप में धारण करता है, उसे मौरुषी कृषक के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

25— संहिता की धारा-190 मौरुषी कृषक को भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान करने के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार, " (1) जहां कोई भूमि स्वामी, जिसकी कि भूमि सिवाय उन प्रवर्गों के, जो कि धारा-185 की उपधारा-1 के खंड-1 की मद का तथा ख में विनिर्दिष्ट है, धारा-185 की उपधारा-1 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के मौरुषी कृषक द्वारा धारित है, धारा-189 की उपधारा-1 के अधीन आवेदन उस कालावधि के भीतर नहीं करता है, जो कि उसमें अधिकथित है, वहां उस मौरुषी कृषक को, उसके द्वारा ऐसे भूमि स्वामी से धारित भूमि के संबंध में भूमि स्वामी के अधिकार पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से प्रोद्भूत हो जायेंगे। उपधारा-2क के अनुसार, "जहां भूमि स्वामी की भूमि उपधारा-1 में निर्दिष्ट मौरुषी कृषक से भिन्न मौरुषी कृषक द्वारा धारित है, वहां उस मौरुषी को ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी के अधिकार- (क) धारा-185 की उपधारा-1 के खंड-1 की मद-क तथा ख में विनिर्दिष्ट किये गये प्रवर्गों के मौरुषी कृषकों के मामले में, मूल अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से; (ख) किसी अन्य मामले में, उस तारीख के, जिसको की ऐसे कृषक को मौरुषी कृषक के अधिकार प्रोद्भूत होते हैं, ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से; प्रोद्भूत हो जायेंगे"। म0प्र0भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम क्रमांक-23 वर्ष 2018 द्वारा संहिता का अध्याय-14 विलोपित किया है, जिसमें धारा-185 से 202 सम्मिलित है।

S. G. Rawat
 (गौरी अग्रवाल)
 19-11-19
 प्रथम व्. न्याया. वर्ग एक
 के न्यायालय के प्रधान अधिकारी
 न्यायाधीश, उच्च न्यायालय (म. प्र.)

26-

वादी ने प्रदर्श पी01 का खसरा वर्ष 2011-12 संवत् 1968 को प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक-1205 40 बीघा 03 बिस्वा का कुल रकबा है, जिसमें तालाब की भूमि 34 बीघा 03 बिस्वा के रूप में लिखा है और शेष भूमि पर चने की फसल बोना अंकित करते हुए मालिक के रूप में हटेशिंह ब्राह्मण तथा काश्तकार के रूप में भाउलाल दखलकार का नाम इन्द्राज है। इस राजस्व खसरे के अवलोकन से दर्शित है कि सर्वे क्रमांक-1205 जो परिवर्तित होकर 1281 हुआ था, में से तालाब की भूमि निर्विवाद रूप से 34 बीघा 03 बिस्वा थी। प्रदर्श पी02 खसरा संवत् 1984 वर्ष 1927 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त सर्वे क्रमांक के खाना क्रमांक-06 में भूमि का स्वामी मिल्कीयत सरकार थी, ओर काश्तकार के रूप में छोटेलाल वल्द भाउलाल व शिकमी काश्तकार के रूप में रघुनाथ वल्द रामचन्द्र व रामचन्द्र का नाम अंकित है। खाना क्रमांक-29 व 30 में भूमि रकबा 36 बीघा 03 बिस्वा तालाब के रूप में दर्ज है। उक्त दोनों खसरों से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि सर्वे क्रमांक-1205 के कुल रकबे में से 34 बीघा 03 बिस्वा भूमि तालाब की थी। प्रदर्श पी02 के खसरे का अवलोकन करने से यह भी दर्शित है कि खसरे के खाना क्रमांक-2 में सर्वे क्रमांक-1205/1 अंकित है, जो यह दर्शित करता है कि पुराना सर्वे नंबर-1281 की कृषि भूमि 04 बीघा को पृथक कर बटांकन से तालाब की भूमि को सर्वे क्रमांक-1205/1 नया नंबर प्रदान किया गया था। इसी कारण से इस खसरे में स्वामी के रूप में सरकार का नाम इन्द्राज किया गया है और हटेशिंह अथवा अन्य किसी का नाम स्वामी के रूप में इन्द्राज नहीं किया गया है।

27-

वादी ने वादपत्र के अभिवचन अनुसार पद क्रमांक-2 में अभिवचनित किया है कि प्रकरण क्रमांक-170/संवत् 2006 वर्ष 1949-50 के द्वारा आदेश पारित कर वादी के पिता का नामांतरण किया गया था किन्तु वादी के द्वारा उक्त आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कारण दर्शित किया गया है कि उक्त आदेश किन परिस्थितियों में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख पर वादी की ओर से प्रस्तुत समस्त राजस्व अभिलेखों का परिशीलन करने पर भी किसी भी

Sograwp
12.7.19
(गौरव अग्रवाल)

प्रथम व्यवस्थापक, वार्ड फंड
के न्यायालय के प्रधान अधिकारी
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

120



दस्तावेज में उक्त आदेश की प्रविष्टि नहीं की गयी है। तदकारण यह कहा जा सकता है कि वादी के पिता का वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण किसी वैध आदेश से नहीं हुआ था।

28- वादी ने वर्ष 1927 के उपरांत वर्ष 1950 तथा उसके पश्चात के खसरे प्रस्तुत किये हैं किन्तु वर्ष 1927 से 1950 के मध्य के कोई भी खसरे-खतौनी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह भी दर्शित नहीं होता है कि वादी का वर्ष 1935 से वर्ष 1950 तक वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य था और उसके द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। वादी ने प्रदर्श पी03 से प्रदर्श पी06 की रसीदें प्रस्तुत की हैं जो ठाकुर रामरतन जमींदार नंबरदार एण्ड नायब तहसीलदार मौजा कस्बा शहर उज्जैन के द्वारा वर्ष 1940, वर्ष 1941, वर्ष 1946 व वर्ष 1949 की हैं, जिसके अनुसार पंडित मन्नुलाल वल्द कन्हैयालाल वैद की ओर से मतालवा अदा किया गया है किन्तु उक्त रसीदों में कोई भी सर्वे क्रमांक अंकित नहीं है कि किस भूमि के संबंध में वादी के पिता द्वारा मतालवा अदा किया गया था। अभिलेख पर ऐसा कोई पट्टा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके माध्यम से यह दर्शित हो कि वादी को भूमि का आधिपत्य प्रदान किया गया था। वर्ष 1911 से वर्ष 1950 के मध्य तक अभिलेख पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, जो यह दर्शित करता हो कि वादी कानून माल ग्वालियर संवत् 1983 में उल्लेखित कारतकार मौरुषी की हैसियत रखता था।

29- प्रदर्श पी-08 के खसरा संवत् 2007 वर्ष 1950-51 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि भूमि सर्वे क्रमांक-1281 के बटांकन हो चुके थे। सर्वे क्रमांक- 1281/1 पर मालिक के रूप में रामरतन व कृषक के रूप में मुन्नालाल का नाम इन्द्राज है और भूमि के विवरण में 30 बीघा 04 बिस्वा भूमि को तालाब की भूमि बताया गया है। सर्वे क्रमांक-1281/2 सड़के के लिये भूमि एवं 1281/3 वाटर वर्क्स कार्यालय उज्जैन और 1281/4 हनुमानजी मंदिर के नाम पर अंकित है किन्तु प्रदर्श पी-08 में वादी के पिता के नाम का इन्द्राज किस आधार पर हुआ, इसका कोई

Signature
14.7.19
(सर्वेक्षण अधिकारी)

प्रधान व्याख्याता, सर्वे एवं
केन्द्रीय न्यायालय के प्रधान अधिकारी
न्यायमार्ग, उज्जैन (म. प्र.)

उल्लेख संवत् 2007 के खसरे प्रदर्श पी08 में नहीं किया गया है। जहां खसरा प्रदर्श पी-02 में भूमि की मिल्कीयत शासन की थी, वहां वादी के पिता का नाम किस आधार पर अंकित किया गया है, इसका कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-08 के खसरे में सर्वे क्रमांक के साथ गोवर्धनसागर भी अंकित किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य खसरे प्रदर्श पी09 से प्रदर्श पी-25 जो वर्ष 1963 से वर्ष 2019 तक है, में वादी के पिता का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत स्वर्गीय वि० इंदरकौर 1996 06 एस०सी०सी-223 अवलोकनीय है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण की प्रविष्टि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करती है और न ही भूमि पर उसके स्वत्व को समाप्त करती है। ऐसी प्रविष्टि से भूमि पर स्वत्व के संबंध में कोई अनुमान भी सृजित नहीं होता है।

30- संवत् 2007 वर्ष 1959-51 प्रदर्श पी08 के खसरे में वादी का नाम काश्तकार के रूप में इन्द्राज है। संवत् 2007 के अधिनियम के अनुसार पक्का कृषक के अधिकार "रैयत पट्टेदार", "मामूली मौरुषी", "गैर-मौरुषी" तथा "पुख्ता मौरुषी" को ही प्राप्त हुए थे, यदि खसरा प्रविष्टियों को विधि अनुसार भी माना जाये तो भी वादी की प्रस्थिति उक्त उल्लेखित किसी भी कृषक की नहीं है। तदकारण वादी के पिता को संवत् 2007 में अंकित पक्का कृषक के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और पक्का कृषक के अधिकार प्राप्त न होने से भू-राजस्व संहिता के अनुसार भूमि स्वामी के अधिकार भी प्राप्त नहीं होते हैं।

31- प्रकरण में प्रारंभ से प्रदर्श पी01 के खसरे के अनुसार 06 बीघा भूमि ही हट्टेसिंह ब्राह्मण के स्वामित्व की थी और शेष भूमि तालाब के लिये संरक्षित थी। ऐसी स्थिति में तालाब की भूमि पर वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सामान्यतः ग्रीष्म रितु में तालाब का पानी सूखने पर उससे लगी हुई भूमि पर कृषि करने, सब्जियां उगाने के लिये भूमि उपलब्ध कराने

(गोप्य अग्रवाल)
19.7.19
प्रथम न्यायाधीश, वार्ड एक
के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त

122



से ऐसी भूमि पर तत्समय प्रचलित कानून अथवा वर्तमान में प्रचलित किसी भी कानून द्वारा भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

32- इस प्रकरण में वादी के अभिवचनों के पद क्रमांक-05 के अनुसार ही वादी के भाई मनमोहन व रेवतीबाई का नाम परिवार की मुखिया होने से मन्नुलाल के स्थान पर इन्द्राज हुआ था, मनमोहन के द्वारा सर्वे क्रमांक-1281/1/1 की कुल रकबा 7.286 हेक्टेयर भूमि से 0.964 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष भूमि विक्रय पत्र दिनांक 18/07/1974 के माध्यम से विक्रय कर दी थी, जिसमें तालाब की भूमि भी सम्मिलित थी। स्वयं वादी ने ही यह अभिकथन किये हैं कि उसके भाई द्वारा तालाब की भूमि विक्रित की गयी थी और जो शेष भूमि है, वह कृषि भूमि है। वादी के उक्त अभिकथनों से ही यह दर्शित होता है कि वादी व उसके पूर्वजों के द्वारा शासकीय तालाब की भूमि का विक्रय किया गया था और शेष भूमि को निजी भूमि होने का दावा कर रहे हैं, जबकि वादी अथवा उनके पूर्वजों को इसके संबंध में कोई अधिकार नहीं था।

33- इस प्रकरण में कुल रकबे का गणित भी महत्वपूर्ण है। सर्वे क्रमांक-1281 का कुल रकबा 40 बीघा 04 बिस्वा था। उज्जैन में प्रचलित माप के अनुसार 05 बीघा भूमि का एक हेक्टेयर माना जाता है, जिससे 40 बीघा 03 बिस्वा भूमि 8.06 हेक्टेयर होती है, जिसमें से 06 बीघा भूमि अर्थात् 1.02 हेक्टेयर भूमि 1911 के खसरे के अनुसार कृषि भूमि थी और शेष तालाब की भूमि थी। यदि तर्क के लिये सम्पूर्ण 8.06 हेक्टेयर भूमि वादी या उसके पूर्वजों के स्वामित्व की मान ली जाये, तो कितनी भूमि वादी के द्वारा व्ययनित की गयी है, यह देखा जाना आवश्यक है। वादी के भाई के द्वारा 6.322 हेक्टेयर भूमि का विक्रय करना बताया गया है। 0.21 हेक्टेयर की भूमि सर्वे क्रमांक-1281/4 जिसमें हनुमान मंदिर स्थित है, को वादी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-18 में हनुमान मंदिर को दान देना बताया है। सर्वे क्रमांक-1281/2 को इम्प्रूवमेंट विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित करना

(Handwritten signature)
(गौरी अग्रवाल)
प्रथम व्यवस्थापक, तर्क एक
के न्यायालय के प्रथम अधिकारी
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)


बताया है, जिसका रकबा 0.24 हेक्टेयर होना प्रस्तुत खसरा प्रदर्श पी017 से दर्शित है। सीलिंग प्रकरण में वादी के पिता के स्वामित्व की कुल 4.014 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें सर्वे क्रमांक-1551 रकबा 3.469, सर्वे क्रमांक-1533 रकबा 0.489 सम्मिलित है। उक्त दोनों सर्वे क्रमांक-1551 व 1533 का पूर्ण अधिग्रहण किया गया था और शेष 0.056 हेक्टेयर भूमि सर्वे क्रमांक-1281 के भिन्न बटाकनों से ली गयी थी। इसके अतिरिक्त वादी ने वर्ष 2003 में भी सर्वे क्रमांक-1281/1/1 में से भी सड़क प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण करना बताया है, जिसका मुआवजा 592163/-रूपये चेक से वादी के परिवार को प्राप्त हुआ था। वादपत्र अथवा साक्ष्य में उक्त अधिग्रहण के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ही यह स्पष्ट किया है कि सड़क प्राधिकरण द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहण की गयी थी। यदि तर्क के लिये उक्त भूमि की गणना ना भी की जाये तो भी वादी या उसके परिवारजन द्वारा 6.848 हेक्टेयर भूमि का व्ययन किया जा चुका है, जो लगभग 34 बीघा 2 बिस्वा होती है। जहां मूल भूमि प्रारंभ से ही 06 बीघा रकबे की थी, वहां वादी व उसके पूर्वजों के द्वारा कृषि भूमि के अतिरिक्त तालाब की भी भूमि विक्रय कर दी गयी है। जिसका कोई अधिकार वादी या उसके परिवारजन को नहीं था।

34-- जहां तक वादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि म0प्र0शासन अथवा उसके अन्य विभागों द्वारा वादी या उसके पूर्वजों को स्वामी मानते हुए भूमियां अधिग्रहित की गयी हैं और सीलिंग अधिनियम में भूमियां अतिशेष घोषित की गयी हैं, वहां शासन वादी के स्वत्वों को चुनौती देने से विबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि म0प्र0शासन विधिक व्यक्ति है, जिसका प्रतिनिधित्व कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों के द्वारा अधिग्रहित भूमियां अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सीलिंग प्रकरण में की गयी कार्यवाही यदि त्रुटिपूर्ण है, अथवा जानबूझकर असदभाविक तरीकों से की गयी है, तो ऐसे कार्य से विधिक व्यक्ति को विबंधित नहीं किया जा सकता है। वैसे भी इस प्रकरण में विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि शासन की ओर से वादी या उसके पूर्वजों को कोई वचन नहीं दिया गया है और न ही ऐसे

Gograwal
19.7.19
(गोख अग्रवाल)

प्रथम द्या. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

124



वचन पर वादी तथा उसके पूर्वजों के द्वारा कोई पश्चात्कर्ती कार्य किया गया है।

35- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत बसंत कुमार राधाकिशन बोरा वि० बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द पोर्ट ऑफ बॉम्बे 1991 एआईआर एस सी 14 में भी इस तथ्य की पुष्टि की है जिसके अनुसार "It is equally settled law that the promissory estoppel can not be used compelling the government or a public authority to carry out a representation or promise which is prohibited by law or which was devoid of the authority or power of the officer of the government or the public authority to make. We may also point out that the doctrine of promissory estoppel being an equitable doctrine, it must yield place to the equity, if larger public interest so requires, and if it can be shown by the government or public authority for having regard to the facts as they have transpired that it would be inequitable to hold the government public authority to the promise or representation made by it.

36- यह भी उल्लेखनीय है कि जहां भूमि की नोड्यत वर्ष 2011 के खसरे प्रदर्श पी-01 से तालाब की भूमि होना स्पष्ट है और स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र और साक्ष्य में इन तथ्यों को अभिवचनित किया है वहां उसे अथवा उसके पूर्वजों को ऐसी संपूर्ण भूमि पर स्वामित्व प्राप्त होने अथवा भूमि का अंतरण करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं से बेहतर हित अंतरित नहीं कर सकता है। इस संबंध में लिगल मेकिजम Nemo date quot non habet उल्लेखनीय है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी ने शासकीय तालाब की होना बताया है जो गोवर्धन सागर की भूमि है और वादी की ओर से प्रस्तुत प्रत्येक खसरे में सर्वे क्रमांक के साथ ही भूमि पर गोवर्धन सागर भी अंकित है। प्रतिवादी ने गोवर्धन सागर उज्जैन को उज्जैन में स्थित सप्त सागर में से एक सागर होना बताया है जिसका धार्मिक महत्त्व है और पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। अर्थात्

Sogargi
 10.5.19
 (गोख भागवाल)

प्रथम व्याख्याता वर्ग एक
 के न्यायालय के प्रथम अधिकारी
 न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र)

वादग्रस्त भूमि न केवल शासकीय है अपितु पौराणिक महत्व की भूमि है जिसे संरक्षित किया जाना शासन के लिए आवश्यक है। अतः इस प्रकरण की परिस्थितियों में मध्यप्रदेश शासन पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है।

37- म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा-57 इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान करती है कि समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व है। अतः यह भार उस व्यक्ति पर है, जो भूमि पर स्वत्व का दावा करता है कि वह अपना स्वत्व प्रमाणित करे। अतः वादी अधिवक्ता के तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

38- वादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मुन्नुसिंह बारसकर प्रतिवादी साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में वादी के सुझावों को स्वीकार किया गया है और समस्त दस्तावेजों को भी स्वीकार किया गया है। स्वयं प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति से वादी का दावा प्रमाणित होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी का सामना प्रतिपरीक्षण में वादी के द्वारा दस्तावेजों से कराये जाने पर प्रतिवादी साक्षी ने दस्तावेजों की अंतरवस्तुओं को स्वीकार किया है किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि साक्षी के द्वारा दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया है। किसी दस्तावेज में क्या लिखा है इस संबंध में की गई मौखिक साक्ष्य अथवा की गई स्वीकारोक्ति वैसे भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 एवं 92 उपबंध करती है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है वहां मौखिक साक्ष्य का वर्जन होता है। अतः इस संबंध में तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

39- वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उसके स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि से अवैधानिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है तथा उनके द्वारा प्रेषित सूचना पत्र तथा प्रचलित समस्त कार्यवाही प्रभावहीन व शून्य है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पदवार की गई विवेचना से वादी उक्त वादग्रस्त भूमियों का स्वामी होना नहीं पाया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को स्वत्व का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सूचना पत्र प्रदर्श डी-7 भी जारी किया

Gaganwar

(गणेश अधिवक्ता)

प्रथम व्यवस्थापक, जून एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

126

गया था जिसमें वादी की ओर से प्रदर्श डी-8 का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया था जो दर्शित करता है कि वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि उसे बलपूर्वक अथवा अवैधानिक तरीके से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

40- वादी को प्रेषित सूचना पत्र प्रदर्श डी-7 के पूर्व तहसीलदार उज्जैन के द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। इसके उपरांत ही तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत न केवल वादी को व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की गई है बल्कि दैनिक समाचार पत्र में उद्घोषणा भी प्रकाशित करायी गई है। सक्षम न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रकरण में सुनवाई करते हुए कार्यवाही की जा रही है। अतः यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रेषित सूचना पत्र व उसके आधार पर प्रचलित कार्यवाही शून्य होकर निरस्त की जाने योग्य है।

41- उक्त पटवार विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादी भूमि सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्र.1281/2 रकबा 0.105 है। एवं सर्वे क्र.1281/4 रकबा 0.011 है। स्थित अंकपात मार्ग जिला उज्जैन का स्वामी है। यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि में से अवैधानिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तथा प्रेषित सूचना पत्र व उसके आधार पर प्रचलित कार्यवाही शून्य है। अतः वाद प्रश्न क्र.1, 2 व 3 अप्रमाणित के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।


42- आगामी वाद प्रश्न पर विवेचना प्रारंभ करने से पूर्व यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने वादोत्तर के पद क्रमांक 3 में उल्लेख किया है कि जिला रिकार्ड शाखा में वर्ष 1928 के पश्चात् वर्ष 1962-63 तक के खसरा दस्तावेज का अभिलेख उपलब्ध नहीं है जबकि वादी की ओर से ही इस

Singhania
(सिंहानिया)
प्रथम व्या.न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

प्रकरण में वर्ष 1928 के पश्चात् के खसरे संवत् 2007 प्रदर्श पी-8 प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 12 अगस्त 2014 को वादी को नकल प्रदान की गई है। इसी प्रकार खसरा वर्ष 1951-52 संवत् 2008 प्रदर्श पी-7 के खसरे की नकल वादी के द्वारा 07 जनवरी 2015 को प्रदान की गई है। उक्त दोनों ही खसरों पर हेड कॉर्पोरेट कलेक्टर उज्जैन के हस्ताक्षर होना दर्शित है। अर्थात् एक व्यक्ति को जहां खसरों की प्रतिलिपि प्राप्त हो रही है वहीं शासन को स्वयं का पक्ष रखने के लिए ऐसे दस्तावेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो कि स्वयं शासन के आधिपत्य की विषय वस्तु है। अन्य वर्ष के अभिलेखों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि वह उपलब्ध है या नहीं। शासकीय अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस प्रकार खो जाना अथवा नष्ट हो जाना चिन्ताजनक होकर जांच का विषय है। इस संबंध में कलेक्टर उज्जैन को इस निर्णय की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह इस संबंध में संबंधित कर्मचारी (चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त) के विरुद्ध जांच संस्थित करें और दोषी पाये जाने पर समुचित कार्यवाही की जावे। शासकीय अभिलेख का संरक्षण किया जाना अतिआवश्यक है।

वाद प्रश्न क.4 का निराकरण :-

43- यह वाद वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि बताते हुए स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर घोषणात्मक सहायता हेतु 1000 रु. मूल्यांकन कर 500 रु. न्यायालय शुल्क तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 500 वाद का मूल्यांकन कर 120 रु. न्यायालय शुल्क कुल 620 रु. पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा वांछित अनुतोष पारिणामिक अनुतोष न होकर पृथक-पृथक है क्योंकि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी का आधिपत्य स्वीकार किया गया है। अतः स्वत्व घोषणा हेतु अनुसूची 11 के अनुच्छेद 17 के अनुसार निश्चित न्यायालय शुल्क 500/-रुपये एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क 120/-रुपये उचित है। अतः वादप्रश्न क० 04 का "प्रमाणित" के रूप में निराकरण किया गया।


(गोपबन्धु शर्मा)

प्रथम न्याया, वर्ग एक
के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

128

वाद प्रश्न क्रमांक 5 का निराकरण: -

44- वादी अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह भूमि सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्र. 1281/2 रकबा 0.105 है. एवं भूमि सर्वे क्र.1281/4 रकबा 0.011 हैक्टेयर स्थित अंकपात मार्ग जिला उज्जैन का स्वामी है। यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि में से अवैधानिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तथा प्रेषित सूचना पत्र व उसके आधार पर प्रचलित कार्यवाही शून्य है। अतः यह वाद निरस्त किया जाता है। निम्नानुसार डिक्ली तैयार की जाये :-

- (I) वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह भूमि सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्र.1281/2 रकबा 0.105 है. एवं सर्वे क्र.1281/4 रकबा 0.011 है. स्थित अंकपात मार्ग जिला उज्जैन का स्वामी है।
- (II) वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत है।
- (III) वादी स्वयं का और प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
- (IV) अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार या परिशिष्ट अनुसार जो भी कम हो देय हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

S. Agrawal
(गौरव अग्रवाल) 19.7.19

S. Agrawal
(गौरव अग्रवाल) 19.7.19

प्रथम अति० व्यव० न्यायाधीश वर्ग-1
(गौरव अग्रवाल)
उज्जैन नोप०
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रधान अधिकारी

प्रथम अति० व्यव० न्यायाधीश वर्ग-1
(गौरव अग्रवाल)
उज्जैन नोप०
प्रथम व्य. न्याया. वर्ग एक
के न्यायालय के प्रधान अधिकारी

10703/22-7-19
29.7.19

वादीगण को प्रतिवादीगणों के द्वारा अंकपात मार्ग (अ. प्र.) अमिलेखवागार को बेतने की तारीख वादक पत्र (और भी एच सही विवरणों सहित) अमिलेखवागार से (अमिलेख वादक पत्र के अमिलेखवागार से) प्राप्त होने की तारीख वादक को और भी तथा सही विवरण देकर सूचना देने की तारीख वादक को और धन जमा कराने की तारीख देने की तारीख

कॉलम 6 या 7 की सूचना के पालन की तारीख तैयार की तारीख 29.7.19
अस्तित्व हेतु का प्रमाण क 29.7.19

प्रधान प्रतिनिधिकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म. प्र.)
29.7.19

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order XX Rules 6 and 7)

Civil Suit No. 3A/2019

न्यायालय :- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के न्यायालय के
प्रथम अति-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, उज्जैन
(पीठासीन अधिकारी - गौरव अग्रवाल)

संस्थित दिनांक 17.03.2015

व्य० वाद क्र०-3ए/2019

CIS No. 232101022262015

CNR No. MP1301-000936-2015

अनिल पिता मन्नुलाल जोशी
आयु-56 वर्ष, धंधा-वैद्यगिरी
निवासी-171, निकास चौराहा अंकपात मार्ग
उज्जैन (म०प्र०)

वादी

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन
कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन
2. अपर कलेक्टर जिला उज्जैन
कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन
3. तहसीलदार, तहसील व जिला उज्जैन
कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधिनियम
उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिवादीगण

Claim for - वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु।

This suit coming on this day for final disposal before me in the presence of (for the
plaintiffs) Shri - श्री अर्पित वर्मा अधिवक्ता

(for the defendants) Shri - श्री मनीष गोयल अधिवक्ता।

It is ordered and decreed that -

यह वाद निरस्त किया गया। निम्नानुसार डिक्री तैयार की जाती है:-

- वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह भूमि सर्वे क्र.1281/1/1 रकबा 0.505 हैक्टेयर, भूमि सर्वे क्र.1281/2 रकबा 0.105 है. एवं सर्वे क्र.1281/4 रकबा 0.011 है. स्थित अंकपात मार्ग जिला उज्जैन का स्वामी है।
- वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत है।
- वादी स्वयं का और प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
- अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार या परिशिष्ट अनुसार जो भी कम हो देय हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
के न्यायालय के प्रथम अति-व्यवहार
न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

17/3/15

130



and that the sum of Rs. /-

be paid by the
defendants

plaintiff

क श्राफ्त तारांक १०७०३/२२-७-१९
 आवदक की उपस्थिति हेतु की गई १०-७-१९
 आवदक है उपस्थित हानों को तारांक २२-७-१९ defendant
 आवदक पत्र (और भी एक सहित तारांक २२-७-१९
 राहों) अभिलेखागार को प्रेषण की तारीख
 आवदक पत्र के अन्तिम अंश (of costs of this suit, with interest thereon at the rate of ----- percent
 तारांक ५ और भी या सही तिथि पर तारांक
 आवदक को प्राप्त होने की तारीख
 आवदक को और भी तथा सहित तारांक २५-७-१९
 सूचना देने की तारीख Given under my hand and the seal of the Court this-
 आवदक को और धन जमा कराने की सूचना
 देने की तारीख

to the
plaintiff

कालम 5 या 7 की सूचना के पालन में
 इतिहास तैयार की तारीख २९-७-१९
 इतिहास देवे त तारांक २०-७-१९

COST OF SUITS

[Signature]
 प्रथम न्यायाधीश
 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
 न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

	Plaintiff		Defendant	
	Rs.	P.	Rs.	P.
1. Stamp for plaint	620-00	0	Stamp for Powers	0
2. Stamp for application & affidavit	80-00	0	Stamp for application & affidavit	
3. Stamp for Powers	10-00	0	Stamp for exhibits	
4. Stamp for exhibits			Stamp for Petitions 1	
5. Pleader's fee on Rs.	प्रमाणित नहीं	0	Pleader's fee	प्रमाणित नहीं 0
6. Subsistence for witness			Subsistence for witness	
7. Commissioner's fee			Service of process	
8. Service of process	15-00	0		
Total	725-00	0	Total	00-00 0

[Signature]
 प्रथम न्यायाधीश
 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
 न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

प्रधान प्रणालिकार
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन (म.प्र.)
कमांक 700 / नग्रानि/पीपीयू/27/08/2022 उज्जैन दिनांक
प्रति

कलेक्टर,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- गोवर्धन सागर के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक सामान्य-दो/2022 उज्जैन दिनांक 10.03.2022.



उपरोक्त संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्र.क. 11/2022 (श्री बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में विस्तृत टीप निम्नानुसार है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराया जाता है, कि अंगीकृत उज्जैन विकास योजना 2021 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.06.2006 से प्रभावशील) अनुसार कंडिका 2.15 के बिंदु क्रमांक 17 जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण में सप्त सागर का उल्लेख किया गया है। सप्त सागर की सारणी 2-सा-4 के क्रमांक 4 पर गोवर्धन सागर का उल्लेख किया गया है।

क्रं.	विवरण	स्थिति	सागर का स्वरूप	प्रदूषण के कारण	सागर पर प्रभाव	सुधार की संभावना
4	गोवर्धन सागर	निकास के पूर्व तथा नगर कोट की रानी देवी के दक्षिण पश्चिम में स्थित बुधवारिया चौराहा तथा अंकपात मार्ग पर	जल संग्रहण क्षेत्र (सागर को जल प्रदाय करने वाले मुख्य चैनलों की सफाई)	<ul style="list-style-type: none"> सागर का पुराव कचरा घर की तरह उपयोग आसपास की आबादी द्वारा शौचालय की तरह उपयोग 	<ul style="list-style-type: none"> जल की गुणवत्ता का अत्यन्त खराब होना विभिन्न बिमारियों का घर मच्छर 	<ul style="list-style-type: none"> सागर को जल प्रदाय करने वाले स्रोतों की सफाई मछली पालन से जल की इकोलाजी सुधारना आसपास की आबादी की सीवेज व्यवस्था में सुधार भविष्य में सागर में कोई पुराव/निर्माण मराव पर प्रतिबंध

टीप:- इनके प्रदूषण व अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए सुधारात्मक सुझाव दिये गये हैं। इनका मूल स्वरूप व क्षेत्र आसपास के भू-उपयोग के कारण कम होता जा रहा है। सागर के किनारे के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी मृदाकटाव हुआ है बचाया जाना चाहिये, इन जल स्रोतों में होने वाले इकोलाजीकल बदलाव के कारण बतलाये जाना चाहिये। ताकि इनका उपयोग ठीक ढंग से हो सकें व उज्जैन नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों का अस्तित्व बना रहे। सप्त सागर के चारों ओर 30.0 मीटर ग्रीन बेल्ट रखा जाना आवश्यक होगा।

अंगीकृत उज्जैन विकास योजना 2021 में गोवर्धन सागर के सर्वे क्रमांक 1281 का भू-उपयोग जलाशय एवं गोवर्धन सागर के चारों ओर 30.0 मीटर हरित क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। विकास योजना 2021 की कंडिका-2.15 के बिन्दु क्रमांक-17 (जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण) की छायाप्रति संलग्न है।

गोवर्धन सागर से संबंधित सर्वे क्रमांक 1281 के संबंध में कार्यालयीन अभिलेखों एवं आवश्यक होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर के त्रुटि सुधार प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों अनुसार स्थिति इस प्रकार है:-

निरन्तर.....2

Atu


//2//

- भानुशाली गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन का आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 15.03.1987 को प्राप्त हुआ, जो इस कार्यालय के आवक क्रमांक 4435 दिनांक 15.12.1987 द्वारा प्राप्त हुआ।
- कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281/1/1 रकबा 5.322 जो उज्जैन विकास योजना 1991 में आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित थी। कार्यालय नस्ती में तकनीकी परीक्षण अनुसार प्रश्नाधीन भूमि विकास योजना मानचित्र अनुसार आवासीय उपयोग के अंतर्गत है, तथा विकास योजना 1991 की अंगेजी बुक पृ. क्रमांक 250 की कंडिका 14.34 अनुसार प्रारंभ में गोवर्धन सागर शैक्षणिक उपयोग हेतु निर्धारित किया गया था। किंतु यदि पाँच वर्ष में कोई शैक्षणिक संस्था यहाँ स्थापित नहीं होती है तो आमोद प्रमोद केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग क्या माना जावे की टीप का उल्लेख नस्ती की नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक 1 पर किया गया है।
- तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 222 दिनांक 18.01.1988 द्वारा संचालक से मार्ग दर्शन चाहा गया। संचालक द्वारा उक्त संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस की निर्धारित अवधि में किया जाना था। अतः उज्जैन विकास योजना 1991 के रंगीन मानचित्र को आधार मानकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 728-734 दिनांक 02.03.1988 द्वारा आवासीय भू-उपयोग मानते हुये अनुज्ञा जारी की गई।
- आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 13.02.1989 को अनुमोदित अभिन्यास की कालावधि बढ़ाने बाबत आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 673 दिनांक 02.03.1989 द्वारा समयावधि बढ़ाई गई, का पत्र नस्ती में उपलब्ध है। किंतु नोटशीट उपलब्ध नहीं है।
- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1440/नग्रानि/90 उज्जैन दिनांक 19.07.1990 जो कार्यालयीन जावक पंजी में दर्ज है। परन्तु नस्ती में उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र में लेख किया गया है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के आदेश क्रमांक 268/सी.टी.सी./90 भोपाल दिनांक 06.07.1990 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार अभिन्यास की समयावधि निम्न आधार पर बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

- 1 प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान जलाशय का भाग है जो कि गोवर्धन सागर के नाम से प्रसिद्ध है।
- 2 ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की विरासत होने तथा इसके हेतु निहित जनसंभावना को विचारते हुए इसे यथावत रखा जाना महत्वपूर्ण है।
- 3 वर्तमान स्थल पर जलाशय होने से आवासीय उपयोग हेतु विकास किया जाना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन अभिन्यास की समयावधि बढ़ाने से इंकार किया जाता है।

भानुशाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन में प्रकरण क्रमांक 101/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.06.91 द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन के पत्र क्रमांक 1440 दिनांक 19.07.1990 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अपीलार्थी भानुशाली गृह निर्माण समिति की सुनवाई की जाकर तथा प्रकरण में आये तथ्यों पर साक्ष्य आदि ली जाकर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करे। कमिश्नर के उक्त आदेश के बाद क्या कार्यवाही हुई कार्यालय को ज्ञात नहीं। उक्त नस्ती कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं।


सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन (म.प्र.)

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

इसके अतिरिक्त योगेश्वर टेकरी के समीप का स्थान एवं गांधी उद्यान का स्थान इन गतिविधियों हेतु प्रस्तावित है। इन स्थानों से नगर की इन गतिविधियों हेतु मध्यवर्ती क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने की आशा है।

कार्यालय

वर्तमान में मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित नगर निगम कार्यालय, सिटी कोतवाली, अग्निशामक केन्द्र कार्यालयों को नजरअली मिल क्षेत्र में ले जाना प्रस्तावित है।

आमोद-प्रमोद

धीरसागर स्थित गांधी उद्यान विशाल उद्यान के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। योगेश्वर टेकरी को भी उद्यान के रूप में विकसित कर इस क्षेत्र का भूदृश्यीकरण प्रस्तावित है। रुद्र सागर को भी जो मध्यवर्ती क्षेत्र के बाहर है, उद्यान के रूप में विकसित किया जावेगा यद्यपि प्रारम्भ में गोवर्धन सागर शैक्षणिक उपयोग हेतु निर्धारित किया गया था किन्तु यदि आगामी पांच वर्षों में कोई शैक्षणिक संस्था यहाँ स्थापित नहीं होती है तो आमोद-प्रमोद केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती क्षेत्र में बहुत से छोटे उद्यान विकसित किये जावेंगे। इन उद्यानों के लिए स्थान वृत्त खण्ड स्तरीय योजना बनाते समय निश्चित किए जावेंगे।

भूमि उपयोगों का पुनर्स्थापन तथा रिक्त भूमि का विकास

कुछ असंगत एवं असक्षम भूमि उपयोग को स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है तथा इस प्रकार रिक्त भूमि को अन्य उपयोग में लाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के भूमि उपयोग की सूची निम्न सारणी में दी जा रही है :—

उज्जैन :- भूमि उपयोग का पुनर्स्थापन एवं रिक्त भूमि का विकास १४-सा.-२

क्रमांक	भूमि उपयोग का स्थानान्तरण	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर उपयोग
१	२	३	४

(अ) असंगत उपयोग

१	थोक सब्जी एवं फल बाजार	निवेश इकाई क्रमांक ४	फुटकर सब्जी बाजार एवं मार्ग हेतु स्थान
२	मिश्रित थोक कपड़ा बाजार एवं फुटकर बाजार	निवेश इकाई क्रमांक ९	फुटकर कपड़ा बाजार
३	अनाज मण्डी एवं गोदाम	चिमतगंज मण्डी	चौक के रूप में वाणिज्यिक क्षेत्र
४	लकड़ी के पीठे, आरा मिल एवं पत्थर गोदाम	लकड़ी के पीठे निवेश इकाई क्रमांक २	वाणिज्यिक, आवासीय एवं मार्ग हेतु स्थान

Offices

Present Municipal Corporation office, City Kotwali and Fire Brigade are proposed to be shifted to Nazar Ali Mill area.

14.34 Recreational

Gandhi Udyan in Kshir Sagar is proposed to be developed as park. Yogeshwar Tekri is also proposed to be developed as park and suitable landscaping is to be provided in the area. Rudra Sagar, which is located outside the central area, is also proposed to be developed as park. Though Goverdhan Sagar has provisionally been earmarked for educational use, but could be developed as recreational centre if no new educational institution comes up in the next five years. Other small parks are also proposed to be provided at the central area. The location of these parks will be decided at the time of preparation of plans for various localities in the central area.

14.35 Re-location of Uses and Development of Vacated Land

Certain incompatible uses and inefficient uses are proposed to be relocated and area so vacated is proposed to be used for other purposes. A list of such uses is given below. Their proposed location and the proposed use of the areas so vacated is also given :—

UJJAIN : RELOCATION OF USES AND DEVELOPMENT OF VACATED LANDS

14—T. 12

S. No.	Uses to be shifted	Proposed location	Use after vacation
1	2	3	4

A. INCOMPATIBLE USES

1.	Wholesale vegetable and fruit market	Planning Unit No. 4	Retail vegetable market and road space
2.	Wholesale cloth market mixed with retail trade	Planning Unit No. 9	Retail cloth market
3.	Grain market and godowns	Chimanganj Mandi	Commercial complex in the form of chowk
4.	Timber pithas, saw mills and patthar godowns	Timber Market Planning Unit No. 2	Commercial complex in the road space
5.	Ice Factory	Industrial area Maksi Road	Residential

DESPATCH REGISTER डिस्पैच रजिस्टर

Page No. 110
पृष्ठ संख्या

S. No. क्रम संख्या	Date तिथि	Name & Address नाम व पता	Place स्थान	SUBJECT विषय	File	Stamps		Stamps		Remarks टिप्पणी
					Head/No. फाइल का नाम/संख्या	Received टिकटें प्राप्त की Rs. P.	Affixed टिकटें लगाई Rs. P.	Balance टिकटें बाकी Rs. P.		
						19 JUL 1990				
1440	19/7/90	सचिव, भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति, ठाकुरात मागी पटेल कालोनी उज्जैन	उज्जैन	भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति के कार्यालय (समयावधि तद्विना वाक्य)		19 JUL 1990				AD का
1441	—	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मंडल भोपाल	भोपाल							
1442	—	आयुक्त उज्जैन विभाग उज्जैन	उज्जैन							
1443	—	कलेक्टर उज्जैन	—							
1444	—	आयुक्त नगरपालिका निगम उज्जैन	—							
1445	—	कार्यालय अवेश न.मान उज्जैन	—	यात्रा अग्रिम श्री पुनः पुनः सावधान /						
1446	—	महालेखाकार, मंडल ग्वालियर	ग्वालियर							
1447	—	आयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मंडल	इंदौर							

16. कब्रिस्तान एवं शमशान घाट

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तान एवं शमशान यथावत् रहेंगे। वर्तमान में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यशील कब्रिस्तान एवं शमशान को यथावत् रखने का प्रस्ताव है। जब तक कि जनसामान्य की मांग या उचित कारण से कहीं अन्यत्र विस्थापित किये जाने की स्थिति न बनें। कब्रिस्तान एवं शमशान घाट के समीप शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है। नये कब्रिस्तान व शमशान घाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे। किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17. जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण

जलस्रोत उज्जैन नगर की प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण व अभिन्न अंग है। उज्जैन नगर का धार्मिक ही नहीं वरन् इकोलॉजिकल महत्व भी है। क्षिप्रा नदी व सप्त सागर इस प्राकृतिक विरासत का भाग है।

उज्जैन : सप्त सागर (जल स्रोत)

2-सा-14

क्र.	विवरण	स्थिति	सागर का स्वरूप	प्रदूषण के कारण	सागर पर प्रभाव	सुधार की संभावना
1	2	3	4	5	6	7
1	रुद्र सागर	● महाकाल मंदिर के समीप.	● रिचार्ज क्षेत्र गंदा नाला व हनुमान नाले का डिस्चार्ज क्षेत्र.	● केचमेंट क्षेत्र में विकसित आबादी का कचरा व सीवेज. ● सागर के क्षेत्र पर निर्माण अतिक्रमण.	● तटों का कटाव तथा किनारों पर नगरीय गतिविधि के कारण पुराव, जल की गुणवत्ता अत्यधिक खराब.	● ग्रंथों के अनुसार क्षिप्रा नदी से जुड़े दो चैनल का पुनर्द्वार सागर के किनारे भवन निर्माण गतिविधि पर रोक. सागर के किनारों पर गंदगी/मलबा हटाना क्षेत्रीय वृक्षों का रोपण व नगर निगम उज्जैन द्वारा प्रस्तावित ईकोसिटी योजना के अनुसार विकास.
2	विष्णु सागर	● अंकपात राम जनार्दन मंदिर के पास.	● डिस्चार्ज क्षेत्र	● सागर में मिट्टी/गाद का भर जाना. ● सागर में बनस्पति ● सागर की पाल का कटाव.	—	● गहरी करण (डिसिल्टेशन). ● तटों पर वृक्षारोपण.
3	क्षीर सागर (बावड़ी रूप)	● स्कंद पुराण अर्वातिका कांड में उल्लेख.	● जल संग्रहण क्षेत्र गंधावती का स्रोत किंतु नयी सड़क व कंटाल क्षेत्र के विकास से अवरुद्ध.	● मुख्य कारण मिट्टी का जमा होना (सिल्टेशन).	● पानी का बहाव न होना तथा जल की गुणवत्ता खराब.	● डिसिल्टेशन तथा सफाई. ● तालाब की मरम्मत व सफाई. ● सागर के पर्यावरण हेतु मछली पालन.

1	2	3	4	5	6	7
4	गोवर्धन सागर.	<ul style="list-style-type: none"> ● निकास के पूर्व तथा नगरकोट की रानी देवी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित. ● बुधवारिया चौराहा तथा अकंपात पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल संग्रहण क्षेत्र (सागर को जल प्रदाय करने वाले मुख्य चैनलों की सफाई). 	<ul style="list-style-type: none"> ● सागर का पुराव ● कचरा घर की तरह उपयोग. ● आसपास की आबादी द्वारा शौचालय की तरह उपयोग. ● वृहद रूप में स्थायी निर्माण. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल की गुणवत्ता का अत्यंत खराब होना. ● विभिन्न बीमारियों का घर. ● मच्छर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सागर को जल प्रदाय करने वाले स्रोतों की सफाई. ● मछली पालन से जल की इकोलॉजी सुधारना. ● आसपास की आबादी की सीवेज व्यवस्था में सुधार. ● भविष्य में सागर में कोई पुराव/निर्माण, भराव पर प्रतिबंध.
5	पुरुषोत्तम सागर (सप्त सागर).	<ul style="list-style-type: none"> ● ईदगाह के उत्तर में अकंपात मार्ग पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल संग्रहण क्षेत्र (वर्ष भर) जल उपलब्ध है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● रेत (सिल्टेशन) 	<ul style="list-style-type: none"> ● वर्षा में सिंघाड़े की खेती (200 वर्ष से). 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिंघाड़े की खेती जारी रखी जाये. ● पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है.
6	रत्न सागर (उंडासा-तलाब).	<ul style="list-style-type: none"> ● उज्जैन नगर से 12 कि.मी. दूर मक्खी मार्ग पर. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिंचाई के उपयोग हेतु तथा आसपास के उद्योगों को जल प्रदाय (सिंथेटिक्स) फेक्ट्री, दुग्ध डेरी. ● पिंगला नदी से जल प्राप्त क्षेत्र. 	<ul style="list-style-type: none"> ● खेती पर उपयोग होने वाली रसायनिक खाद. ● आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी. 	<ul style="list-style-type: none"> ● जल की गुणवत्ता वर्तमान में काफी उपयुक्त है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● आसपास की आबादी एवं गतिविधियों पर नियंत्रण ताकि सागर को जल प्राप्त होने के चैनल बंद न हो.
7	पुष्प सागर (सूरज कुंड)	<ul style="list-style-type: none"> ● रुद्र सागर के समीप साकीपुर क्षेत्र में. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सूरज कुंड के अतिरिक्त मूल स्वरूप नष्ट प्रायः. ● सागर में स्थित बावड़ी में पानी उपलब्ध. 	<ul style="list-style-type: none"> ● बावड़ी पर मकानों द्वारा अतिक्रमण. ● पानी का स्रोत भी बंद हो गया है. 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिल्टेशन ● जल की गुणवत्ता खराब. 	<ul style="list-style-type: none"> ● मूल स्वरूप को पुनः बनाया जावे. ● जल स्रोत को पुनर्जीवित करना.

नोट.—इन सभी सप्त सागर के अध्ययन से पता चलता है कि इनका मूल स्वरूप व क्षेत्र आसपास के भू-उपयोग के कारण कम होता जा रहा है. सागर के किनारे के क्षेत्र में जहां-कहीं भी मृदा कटाव हुआ है, बचाया जाना चाहिए. आसपास के ग्रामीण क्षेत्र व आबादी को इन जल स्रोतों में होने वाले 'ईकोलॉजिकल' बदलाव के कारण बतलाये जाना चाहिए, ताकि इनका उपयोग ठीक ढंग से हो सके व उज्जैन नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों का अस्तित्व बना रहे.

सप्त सागर के चारों ओर 30 मीटर ग्रीन बेल्ट रखा जाना आवश्यक होगा.

अपील संख्या: 328 दिनांक 6.4.22

न्यायालय कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन

प्रकरण क्रमांक 101/89-90 अपील

7



श्री भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित अकपात मार्ग, पटेल कालोनी उज्जैन

-----अपीलान्ट

विरुद्ध

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन

-----रिस्पा०

आदेश

1 आज दिनांक 17-6-91 को पारित ।


अपीलान्ट श्री भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित अकपात मार्ग, पटेल कालोनी उज्जैन द्वारा यह अपील संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन के आदेश क्रमांक 1440/न.ग्रा.नि./90 दिनांक 19-7-90 से असन्तुष्ट होकर म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं ।



2- प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि, अपीलान्ट अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत सर्वे नंबर 1281/1/1 रकबा 5.322 हेक्टर भूमि का आवासीय अभिन्यास तैयार कराकर अनुमोदन हेतु रिस्पा० के कार्यालय में प्रस्तुत किया । अभिन्यास के साथ कालोनाइजर लायसेन्स भी प्रस्तुत किया । इस आवेदनपत्र पर बाद जांच रिस्पा० ने दिनांक 2-3-88 को अपीलान्ट के अभिन्यास में संशोधन करते हुए अधिनियम की धारा 30:3: एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अधीन शर्तों के अधधीन रहते हुए स्वीकृति दी । इस स्वीकृति पश्चात् दिनांक 13-2-89 को अपीलार्थी ने अभिन्यास की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस आवेदनपत्र पर रिस्पा० द्वारा दिनांक 1-3-9 तक की अवधि बढ़ाई । दिनांक 27-2-90 को अपीलार्थी सामिति द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जाने हेतु पुनः आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । इस आवेदनपत्र को रिस्पा० ने अवधि निम्न आधार दशाति हुए दिनांक 19-7-90 को अस्वीकृत कर दी :-

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन

328




9

प्रकरण क्रमांक-101/89-90 अपील


- 1+ : प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान जलाशय का भाग है जो कि, गौरधनसारा के नाम से प्रसिद्ध है ।
- :2: ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की विरासत होने तथा इसके हेतु निहित जनभावनाओं को विचारते हुए इसे यथावत् रखा जाना महत्वपूर्ण है ।
- :3: वर्तमान स्थल पर जलाशय होने से आवासीय उपयोग हेतु विकास किया जाना संभव नहीं है ।

इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक श्री एल०पी०भास्कर ने अपनी तर्क में निम्न मुख्य बातें कही हैं :- यह कि, अपीलान्त की सहकारी समिति 1971 से रजिस्टर्ड है उसके द्वारा पटेल नगर कॉलोनी बनाई है तथा यह अभिन्यास पटेल नगर एक्सटेन्शन का होकर सर्वे क्रमांक-1281/1/1 का है । इस भूमि के संबंध में विकास प्राधिकरण उज्जैन ने दिनांक 24-2-87 को आपत्ति प्रमाणपत्र दिया है । भूमि को राजस्व विभाग द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उनके ज्ञापन क्रमांक-एफ० 1/64/1/9/87 दिनांक 23-5-87 से मुक्त की गई है । भूमि का नामांतरण दिनांक 25-7-87 को अपीलार्थी के नाम पर हुआ है । अपीलार्थी ने कॉलोनाईजर लायसेन्स भी दिनांक 5-10-87 को प्राप्त किया है । दिनांक 2-3-88 को अपीलार्थी का अभिन्यास स्वीकृत किया गया । अपीलार्थी ने धारा 172 के अंतर्गत भूमि की नोंदियत परिवर्तन कराई है । अपीलान्त सोसाइटी ने दिनांक 9-2-88 को कलेक्टर को सोसाइटी के विकास करने की सूचना दी किन्तु 90 दिन की समयावधि में कलेक्टर को कोई सूचना प्राप्त न होने के कारण यह मानकर कि विकास करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, विकास कार्य प्रारंभ कर दिया तथा प्लान्ट के सारथियों को वितरण कर दिया । दिनांक 16-5-88 को कलेक्टर ने सोसाइटी को विकास न करने हेतु लिखा । यह पत्र कुछ शिकायतों के आधार पर लिखा गया था । यह कि, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने उनके माध्यम से विकास करने की शर्त पर दिनांक 24-2-87 को आपत्ति प्रमाणपत्र दिया था अतः विकास प्राधिकरण इस विवादित भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है इसलिये उसके द्वारा भी आपत्ति प्रमाणपत्र की मांग की गई । विकास प्राधिकरण ने दिनांक 19-7-90 को विकास करने से इन्कार कर दिया ।



338



11

प्रकरण क्रमांक- 101/89-90 अपील

पटवारी अभिलेख में विवादित भूमि गोरधन सागर की नहीं है । रिस्पा० ने निर्देशों के आधार पर अभिन्यास की अवधि बढ़ाने से इन्कार किया है । क्या निर्देशों के आधार पर इन्कार किया जा सकता है । अभिन्यास की अवधि न बढ़ाने के पूर्व अपीलाट की सुनवाई नहीं की है जबकि विवादित भूमि जलाशय का भाग ही नहीं है । अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत अभिन्यास की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाया जाने का प्रावधान है । अपीलाधी को जब वर्ष 88 अभिन्यास स्वीकृत किया गया था तो नियमानुसार उसे वषानुवर्ष 2 बार अव बढ़ाई जा सकती थी । इस स्वीकृत अभिन्यास का पुनरावलोकन करने का अधिकार रिस्पा० को नहीं है । इन्कार भी इस आधार पर किया गया है कि विवादित भूमि जलाशय का भाग है तथा एतिहासिक तथा धार्मिक विरासत का महत्व है । क्या जलाशय में विकास संभव ही सकता है । रिस्प ने स्थल का निरीक्षण तक नहीं किया ।



4- अपीलाधी के विद्वान अभिभाषक वदारा की गई बहस का जवाब देते हुए रिस्पा० का तर्क है कि, इस प्रकरण में शिकायत होने पर, प्रकरण संचालक को प्रेषित किया गया था तथा उन्हीं के निर्देशानुसार अभिन्यास की अवधि नहीं बढ़ाई गई है । अधिनियम की धारा 30 में सुनवाई का प्रावधान नहीं है । इस संबंध में अपीलाधी के अभिभाषक का तर्क है कि, प्रकरण में क्या शिकायत हुई इस शिकायत पर उनके पक्षकार को नहीं सुना गया न ही शिकायत की प्रुति दी जाकर जवाब लिया गया । क्या धारा 33 के अंतर्गत नये आधार लिये जाकर अभिन्यास को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

Handwritten signature/initials

5- उभयपक्ष वदारा की गई बहस पर विचार किया एवं अधीनस्थ कार्यालय की नस्ती का अवलोकन किया । अपीलाधी का दिनांक 2-3-88 का अभिन्यास स्वीकृत किया गया था । इसमें शर्त क्रमांक-6 निम्न प्रकार थी :-

" प्रश्नाधीन भूमि समतल होने के कारण इसे समतल करने पश्चात् सम्पूर्ण क्षेत्र का सीमांकन अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा " ।

तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत दिनांक 1-3-90 तक प्रथम बार अवधि बढ़ाई गई तथा द्वितीय बार अवधि के आवेदनपत्र पर रिस्पा० ने

1947



DEL



DEL

प्रकरण क्रमांक-101/89-90 अपील


द्विवादित भूमि को जलाशय का भाग मानते हुए तथा ऐतिहासिक तथा धार्मिक विरासत होने के कारण अनुमति नहीं दी।

6- अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है :-

" ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा जो धारा 30, 31 या धारा 32 के अधीन दी गई हो उसके ऐसे दिने जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक प्रस्तुत रहेगी और उसके पश्चात् वह व्यपगत हो जावेगी"।

परंतु संचालक, आवेदन किया जाने पर ऐसी कालावधि को वषानुवर्ष बढ़ा सकेगा किन्तु कुल कालावधि उस तारीख से, जिसको कि, अनुज्ञा आरंभ में दी गई थी, किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि ऐसा व्यपगत होना, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा के लिये किसी पश्चातवर्ती आवेदन का ^{वर्जन} ~~वर्जन~~ नहीं करेगा।







7- विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 2-3-88 को जो अभिन्यास स्वीकृत किया गया है उसकी शर्त क्रमांक-6 का पालन अपीलार्थी द्वारा किया गया या नहीं इस आधार पर इस अभिन्यास की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकता था/कोई नवीन मुद्दे को आधार बना पूर्व स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार रिस्पॉन्ड को जब तक उद्भूत न होते, जब तक कि, मूल आदेश अपील अध्या सिविलजन् में निरस्त न कर दिया गया हो।

8- प्रत्यर्थी के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ कि, अधिनियम की धारा 30 में सुनवाई किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकरण में पूर्व में भी प्रत्यर्थी संयुक्त संचालक ने सुनवाई करके ही अनुमति दी थी। आ बाद में सुनवाई का प्रावधान न होने का उनका तर्क गलत है व न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है। विचाराधीन प्रकरण में पूर्व में अनुज्ञा दी गई है तथा अनुज्ञा की अवधि भी एक वर्ष की बढ़ाई गई है। विद्वतीय बार अनुज्ञा की अवधि बढ़ाने से इन्कार किया गया है। ऐसी सूरत में अपीलार्थ को सुना जाना आवश्यक था। अपीलार्थी को सुनवाई किये बगैर कोई

380

111
* 11/1/1962

JULY



15

प्रकरण क्रमांक-101/89-90 अपील

परिवर्तित आदेश देना न्यायसिद्धांत के विपरित होगा ।

9- अधिनियम की धारा 30, धारा 29 के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदनपत्रों पर आदेश देने के अधिकार संचालक को दिये गये हैं । संचालक ने यह अधिकार अधिनियम की 75:2: के अंतर्गत, अपर संचालक एवं सभागीय संयुक्त संचालक को अधिसूचना क्रमांक-883/डी0टी0सी0/73 भापाल दिनांक-16-11-73 से प्रत्यायोजित किए हैं । इससे स्पष्ट है, संयुक्त संचालक द्वारा पारित किया गया आदेश संचालक का आदेश माना जावेगा । अधिनियम की धारा 32 पुनरीक्षण से संबंधित है । पुनरीक्षण में राज्य सरकार को एक वर्ष के अंदर स्वप्रेरणा से संचालक द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकन करने के अधिकार है, किन्तु पुनरावलोकन में आदेश पारित करने के लिये पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है, का प्रावधान है । आलोच्य आदेश शासन द्वारा पुनरीक्षण में नहीं लिया गया है ।







10- अपीलांतर्गत आदेश में संयुक्त संचालक ने संचालक के ज्ञापन क्रमांक-2686/सी0टी0सी0/90 दिनांक 6-7-90 का संदर्भ देते हुए अभिन्यास की अतिरिक्त नहीं बढ़ाई है, जैसा कि आदेश के पैरा 9 में उल्लिखित किया गया है । अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत संचालक के अधिकार संयुक्त संचालक व प्रत्यायोजित किये गये हैं । ऐसी दशा में संयुक्त संचालक को स्वविवेक से उचित अभिन्यास को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना था किन्तु ऐसा न करते हुए संचालक के ज्ञापन का संदर्भ देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

11- उपरोक्त विवेचना के आधार पर रिस्पॉन्स का आदेश दिनांक-19-7-90 नियमों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तदनुसार अपील स्विकार करते हुए अधीनस्थ कार्यालय का अपीलांतर्गत आदेश दिनांक 19-7-90 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि, अपीलार्थी की सुनवाई की जाकर तथा प्रक में आए तथ्यों पर साक्ष्य आदि ली जाकर इस प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण किया जाये ।

3 (न्यायालय, उच्च न्यायालय, दिल्ली)

[Signature]
 1 ए0के0 विजयवर्गीय ।
 कमिश्नर,
 उज्जैन संभाग, उज्जैन.

143



- पत्र प्राप्ति का दिनांक 6.4.22
- (1) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता में उपस्थित हो के लिए कहा गया। 6.4.22
- (2) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता उपस्थित हुआ 6.4.22
- (3) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता अनन्तर या शुद्ध विवरणों के सहित या बिना अभिलेख समूह को को भेजा। 6.4.22
- (4) दिनांक जिस पर आवेदन पत्र अभिलेख समूह को अभिलेख सहित या अनन्तर या शुद्ध विवरणों के हेतु अभिलेख विना प्राप्त हुआ। 6.4.22
- (5) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता का अनन्तर का शुद्ध विवरणों के हेतु सूचना की गई।.....
- (6) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता को अनन्तर धन हेतु सूचना दी गई।.....
- (7) दिनांक जिस पर शुद्ध विवरणों का सूचना का प्राप्ति हुआ।.....
- (8) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता को सूचना दी गई।.....
- (9) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता को सूचना दी गई।.....
- (10) दिनांक जिस पर आवेदनकर्ता को सूचना दी गई।.....
- (11) वसूल दिनांक का सूचना शुद्ध 30=00 6.4.22

6-4-22
6-4-22
 30=00
 6.4.22
 6.4.22

अभिलेखकर्ता सुनगाकार

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संजी कृत, २०१२ अर ३२१
बिश्माला भवन भरतपुरी उज्जैन सभाग उज्जैन ।

क्रमांक/ 1440 /नगानि/90
प्रति,

15

उज्जैन, दिनांक 19/7/90

सचिव,
भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति,
अकषात मार्ग, बटेल कालोनी,
उज्जैन.

विषय:- भानुशाली गृह निर्माण सहकारी समिति के अभिन्वात की समयबाधि बढ़ाने बाब
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र घु.क्रं 1033 दिनांक 30/5/90

-x-

संदर्भित घुष्ठांकन के तारतम्य में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म०३० भोपाल से ज्ञापन क्रमांक 2686/सीटीसी/90 भोपाल, दिनांक 6/7/90 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कस्बा उज्जैन के खतरा क्रमांक 1281/1/1 की भूमि के अभिन्वात की समयबाधि निम्न आधार पर बढ़ावा जाना उचित नहीं है :-

- 11। प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान जलाशय का भाग है जो कि गोबर्धन सागर के नाम से प्रसिद्ध है ।
- 12। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की विरासत होने तथा इसके हेतु निहित जन भावनाओं को विचारते हुए इसे बचावत रखा जाना महत्वपूर्ण है ।
- 13। वर्तमान स्थल पर जलाशय होने से आबासीय उपयोग हेतु बिकास किया जाना संभव नहीं है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन अभिन्वात की समयबाधि बढ़ाने से इनकार किया जाता है ।

Amunika
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
उज्जैन सभाग उज्जैन ।
उज्जैन, दिनांक


म०३०/
प्रति लिपि:- /नगानि/90

- 11। संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म०३० भोपाल को उनके ज्ञापन क्रं 2686 दिनांक 6/7/90 के तारतम्य में सूचनार्थ ।
- 12। आयुक्त उज्जैन सभाग उज्जैन को सूचनार्थ ।
- 13। कलेक्टर उज्जैन को सूचनार्थ ।
- 14। आयुक्त नगरपालिक निगम उज्जैन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन है कि प्रश्नाधीन अभिन्वात की समयबाधि बढ़ाये चकतीत होने से उपरोक्त भूमि पर भवन निर्माण आदि अनुज्ञा देना उचित नहीं होगा ।



Stamp 11-50
62

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,



कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
विशाला भवन भरतपुरी उज्जैन संभाग उज्जैन 1.

क्रमांक /
प्रति,

726
/नग्रानि/87

उज्जैन, दिनांक 2-3-88

श्री भाग्यलाला सुह निवासे सहकारी सोसायिटी
पटवर्धन कावगावा उज्जैन

विषय:- ग्राम उज्जैन की भूमि खसरा क्रमांक 1281/1/1
रकबा 6.60 ए.एस. सेक्टर का आवासीय अभिन्यास स्वीकृत करने
बाबत ।
संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र कार्यालय में दिनांक 15/12/87 संख्या 1/3/88 को प्राप्त ।

संदर्भाधीन आपके आवेदन पत्र में यथावर्णित आवासीय अभिन्यास संबंधी विकास कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु आपको स्तद द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा-ग्राम निवेश, अधिनियम, 1973 की धारा 30 की उपधारा 13 एवं मध्यप्रदेश भूमि-विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए अनुज्ञा दी जाती है ।

111 संलग्न अभिन्यास के आधार पर कालोनी के आंतरिक विकास हेतु शासन द्वारा अनुसार 10% धरोहर तथा 2% सुपरविजन की राशि नगरनिगम/पंचायतिका उज्जैन में जमा करवानी होगी । शासनादेश अनुसार रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से वाह्य विकास राशि विकास प्राधिकरण/सुधार उज्जैन में जमा करवानी होगी । कालोनी का विकास नगरनिगम/पंचायतिका द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के आधार पर पूर्ण होने पश्चात विकास पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर नगरनिगम/पंचायतिका द्वारा भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जावेगे ।

(2) मओप्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक स्प-3 33/32/85 दिनांक 26/8/87 के अनुसार हरे रंग से घरेलू नौकरों/इन्फार्मल सेक्टर के लिये अभिन्यास में पन्द्रह प्रतिशत अविकसित भूमि आरक्षित की गई है जो गंदी बस्ती को पूर्णतः मंडल या शासन द्वारा निर्देशित संस्था को भूमि के क्रय की वास्तविक लागत बराबर राशि पर देना होगा ।

131 अभिन्यास में प्रस्तावित 60 फीट एवं अधिक चौड़े मार्गों का सीमांकन इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कराने पश्चात कराना आवश्यक होगा तथा इस अनुज्ञा के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर अभिन्यास अनुसार सीमांकन में अंतर आने पर इस कार्यालय से सीमांकन अभिन्यास अनुमोदित कराना होगा ।

141 विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तात्विक सुविधाएं जैसे जल प्रदाय, मल-प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था आदि अभिन्यास में अंकित कर स्थानीय संस्था से उसको अनुमोदित कराना होगा ।

151 अपूर्ण भूखंडों पर उनके पूर्ण होने तक एवं एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखंडों पर लाईन हटाये जाने तक भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी ।

161 प्रस्तावित भूमि उपकरण होने के कारण इसे उपकरण से उपकरण के लिए अनुज्ञा दी जायेगी ।

Handwritten signature

11/2/11

4/3/88

146

1/2/1

161 अभिन्यास में आरक्षित पार्क हेतु खुले क्षेत्र एवं प्रति सौ मीटर पर एक की दर से सड़को के दोनों ओर नियोजित वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा ।

171 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व एवं सीमा विवाद होने, गलत जानकारी देने या ज्ञाप में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त की जावेगी ।

181 म0प्र0नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानानुसार इस अनुज्ञा की कालावधि एक वर्ष तक प्रवृत्त होगी तथा कालावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञा आरंभ में दी गई तारीख से वर्षानुवर्ष बढ़ाई जा सकेगी जिसकी कुल अवधि तीन वर्ष होगी ।

191 भूमि का डायवर्टन होने के पूर्व विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जावे । उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुज्ञा से:-

- 1 एक 1 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959.
 - 2 दो 1 नगर भूमि सीमा विनियम अधिनियम 1976.
 - 3 तीन 1 म0प्र0विनिर्दिष्ट अर्ब आवरण निवारण अधिनियम, 1982.
 - 4 चार 1 म0प्र0नगरपालिका अधिनियम 1956 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो तो वह लेनाहोगी तथा उनसे आरोपित शर्तों का आरंभ: पालन करना होगा ।
- अनुज्ञादित योजना की प्रति संलग्न है ।

संयुक्त:- एक 111

21/2/88 23/88

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन, दिनांक 2-3-88

729 to 734

- 1 क्रमांक 1 अनुमोदित अभिन्यास की प्रति सहित सूचनार्थ अर्पित:-
- 2 1 1 अध्यक्ष, म0प्र0मंदी बस्ती निर्मूलन मंडल, भोपाल ।
- 2 2 1 जिलाध्यक्ष, जिला ~~उज्जैन~~ को उनके लायसेंस क्रमांक ~~48~~
- 3 1 1 दिनांक ~~13/10/82~~ के संदर्भ में अर्पित ।
- 3 3 1 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन ।
- 4 4 1 आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/निगम/परिषद ~~उज्जैन~~
- 5 5 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास ~~उज्जैन~~
- 6 6 1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ~~उज्जैन~~

कृपया इस निवेश अनुज्ञा को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के अंतर्गत आवासीय उपयोग हेतु भू-व्यवर्तन करने का अनापत्ति पत्र माना जावे । आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 4816/32/82 दिनांक 13/10/82 अनुसार जिन नगरों में विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास हैं उनमें म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के अंतर्गत बने नियम 4 131 अनुसार विकास व्यय आंकलन के आधार पर प्रतिभूमि आपके कार्यालय में अलग से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

21/2/88 23/88
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन.

